खण्ड-135, अंक-5
शुक्रवार, 10 वैशाख, शक संवत् 1876
(30 अप्रैल, 1954 ई0)

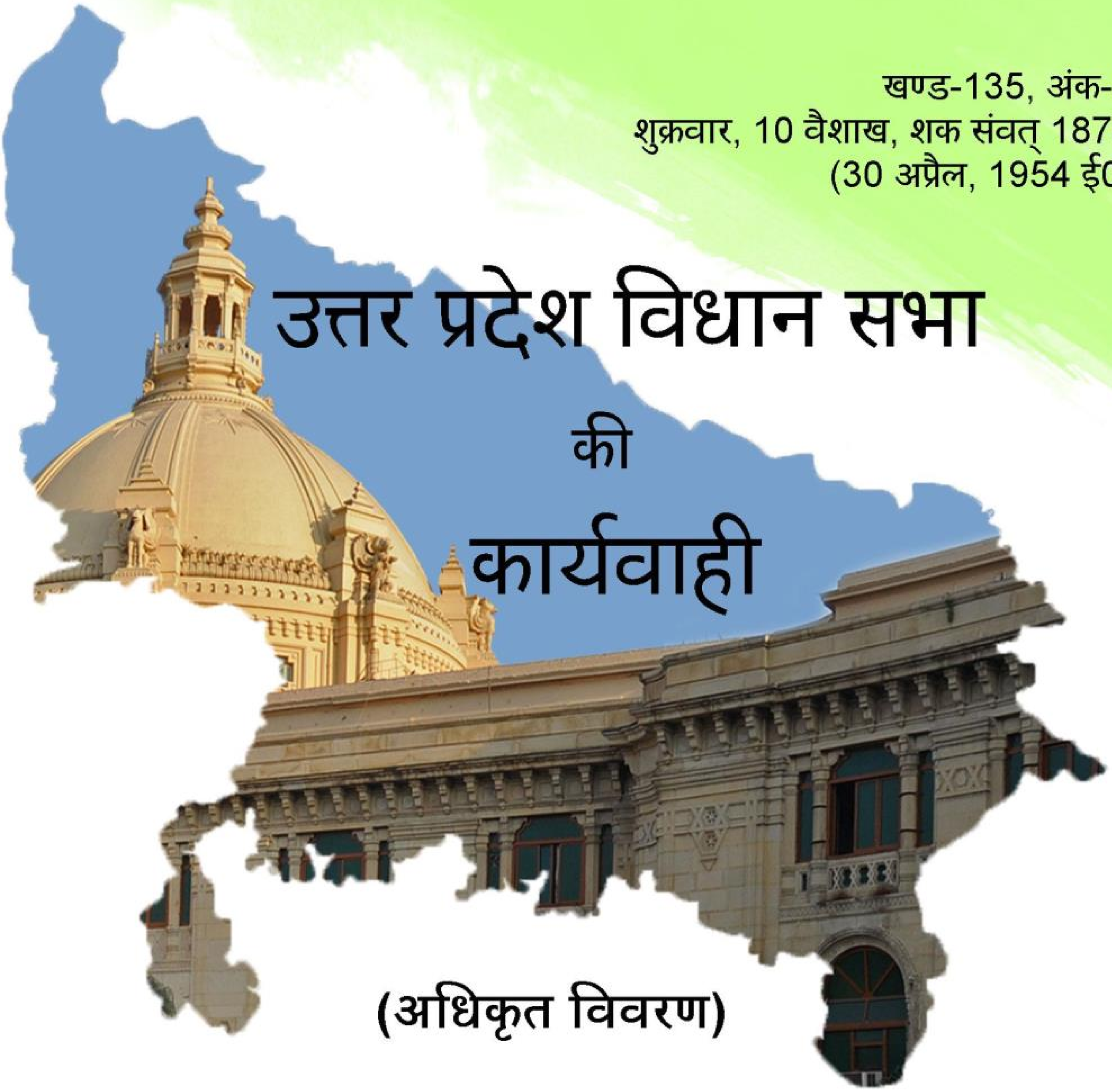

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 135 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले,
उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
दवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाँडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर, मिश्र श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री

सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला फैजाबाद में मालीपुर-जलालपुर रोड के निर्माण के लिये सहायता

*१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जिला बोर्ड फैजाबाद की मालीपुर-जलालपुर रोड के निर्माण को पूरा करने के लिये इस वर्ष कुछ और भी धन देने का निर्णय किया है ? यदि हाँ, तो कितना ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—मालीपुर-जलालपुर रोड के निर्माण के लिये १९५४-५५ में आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या जिला बोर्ड फैजाबाद ने इस सम्बन्ध में कुछ धन की मांग की थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हाँ, जिला बोर्ड फैजाबाद ने २५ हजार रुपया इसके लिए माँगा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस बात पर ध्यान देते हुए कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड्स में जिले में यह सबसे ज्यादा ट्राफिक वाली रोड है, क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री भविष्य में कुछ धनराशि देने पर विचार करेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम— जो रुपया इस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की सहायता के लिए है वह किस तरह बाँटा जायगा, अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है। खास-खास सड़कों के लिए दिया जाय या सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया जाय और यह उस पर छोड़ दिया जाय कि वह जो मुनासिब समझे करे, यह बात अभी तय नहीं हुई है।

कानपुर जेल से अपने ऊपर लगाये गये अभियोगों के सम्बन्ध में श्री राजनारायण का पत्र

*२—श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आज़मगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास श्री राजनारायण सिंह, एम० एल० ए०, नेता विरोधी दल का कानपुर जेल से कोई पत्र आया है ?

कारावास उप-मंत्री (श्री मुजफ्फ़र हसन)— जी हाँ।

*३—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—यदि हाँ, तो क्या गृह मंत्री उस पत्र की प्रतिलिपि मेज़ पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी क' आगे पृष्ठ ३५८–३५९ पर)

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री राजनारायण सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि जगदम्बा सहाय स्कूल पर उन्हें मालूम हुआ कि दर्शनपुरवा में लाठीचार्ज हुआ है और वहाँ पर ३०४० कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—अब तो यह मामला कोर्ट के सामने है। इसलिए इस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि राजनारायण सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि दर्शनपुरवा पोलिंग स्टेशन से ४ फर्लांग की दूरी पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस के साथ कुछ कांग्रेस जन चौराहे पर बात कर रहे थे?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—उस खत की कापी में लिखा है। देख लीजिए।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार नेता विरोधी दल का जो पत्र माननीय गृह मंत्री के पास आया है उसको सदन में पढ़ने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—इतना बड़ा पत्र मैं यहां पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जिला मैजिस्ट्रेट ने सदन को सूचना दी थी कि माननीय राजनारायण सिंह ने दो पुलिस कांस्टेबिलों को पोलिंग बूथ पर मारा था इस पत्र में उन्होंने इससे साफ इन्कार किया है और इसे झूठा बताया है?

श्री हुकुमसिंह—जैसा कि पहले कहा गया है यह मामला कोर्ट के सामने सबजुडिस है इसलिए उसके बारे में कोई राय जाहिर करना अनुचित है

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, हम तो उस पत्र का कंटेंट पूछना चाहते हैं, राय जाहिर करने के लिए तो कह नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—वह तो जवाब वह दे चुके कि उस पत्र को पढ़ लीजिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि राजनारायण जी के ऊपर जो चार्जेज लगाये गये हैं यह किसके कहने पर लगाये गये हैं—पुलिस के या किसी और व्यक्ति के?

श्री हुकुमसिंह—पुलिस ने जो वाकयात पाये उनके आधार पर लगाया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पुलिस के किस अधिकारी या अधिकारियों ने यह चार्जेज लगाये हैं?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस मामले की चार्जशीट किस तारीख को सम्बन्धित न्यायालय के पास भेजी गई थी?

श्री हुकुमसिंह—यह वाकयात इस समय मेरे पास नहीं है।

तारांकित प्रश्न

* १–२—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

* ३–४—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

चीत बड़ा गांव (बलिया) के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के निकाले जाने पर दो विद्यार्थियों द्वारा अनशन

*५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चीत बड़ा गाँव (जिला बलिया) के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को मैनेजिंग कमेटी द्वारा निकाले जाने तथा उसके विरोध में दो विद्यार्थियों द्वारा गत ३० जुलाई, १९५३ से अनशन करने के विषय में कोई शिकायत उसके (सरकार के) पास आई है? अगर हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)— जी हाँ। अनशन शीघ्र ही समाप्त हो गया और किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री झारखंडे राय— क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह अनशन करने वाले लोग कौन थे और उनकी क्या मांगें थीं?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जहाँ तक मालूम हुआ है यह एक स्कूल के छात्र थे। मांगें क्या थीं यह पता नहीं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह चीत बड़ा गाँव के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब को मैनेजिंग कमेटी ने किस आधार पर निकाला था?

डाक्टर सीताराम—प्रिंसिपल साहब को इस आधार पर निकाला था कि वह रुपये का ठीक उपयोग नहीं करते थे, अनुशासनहीनता बढ़ गयी थी, पार्टीबन्दी करते थे और उनका व्यवहार ठीक नहीं था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि दो विद्यार्थियों का अनशन अब भी चल रहा है?

श्री हरगोविन्द सिंह—सरकार को यह मालूम नहीं है। जहाँ तक सरकार को मालूम है कोई अनशन इस वक्त नहीं चल रहा है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रिंसिपल कनफर्म्ड थे या टेम्पोरेरी?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के कनफर्म्ड प्रिंसिपल थे।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों के अनशन करने का कोई और भी कारण था?

श्री हरगोविन्द सिंह—पहले ही बता दिया है कि उनकी मांगें क्या थीं, पता नहीं है।

*६-७--श्री राम सुन्दर पाण्डेय--[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*८-१०-- श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*११--श्री बाबूनन्दन--[२८ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२--श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)--[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

ऐतिहासिक भवनों की सुरक्षा

*१३--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)-- क्या सरकार को पता है कि बुन्देलखंड के जिलों में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें (किले) हैं, जो न तो आरकियोलाजिकल विभाग के अधीन हैं और न उत्तर प्रदेश सरकार का ही उन पर कोई अधिकार है?

डाक्टर सीताराम-- जी हाँ।

*१४--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ ऐसी इमारतें सन् १९४०-४२ के जमाने में अंग्रेजी सरकार द्वारा व्यक्तिगत आदमियों के हाथ बेंच दी गयी हैं?

डाक्टर सीताराम--जी हाँ।

*१५--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार इन ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षित रखने के लिये कोई ठोस कदम उठायेगी?

डाक्टर सीताराम-- सरकार महत्वपूर्ण स्मारकों की सूची बना रही है। जो स्मारक संरक्षण योग्य होंगे उनके लिये उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो हिस्टारिकल मानूमेंट्स प्राइवेट आदमियों के हाथ बेचे गये हैं वह खराब न होने पायें इसके लिये सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह--उत्तर में कहा गया है कि उनकी सूची बन रही है, जो मानूमेंट्स हैं। उसके बाद ही इसका निर्णय हो सकेगा कि उनकी रक्षा किस प्रकार से की जाय।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक सूची न बन जाय उस वक्त तक यह मानूमेन्ट्स उन प्राइवेट आदमियों द्वारा खराब न कर दिये जायं इसके लिए सरकार कोई कदम उठाने के लिये तैयार है? यदि हाँ, तो क्या?

श्री हरगोविन्द सिंह--उसमें कुछ वैधानिक आपत्ति हो सकती है, क्योंकि जिसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट आदमियों के हाथ बेंच दिया है वह उनकी निजी सम्पत्ति हो गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी-- क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रश्न १४ में लिखित कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिनको व्यक्तिगत आदमियों के हाथ बेंच दिया गया है?

श्री हरगोविन्द सिंह--उत्तर दे दिया कि इसकी सूची बन रही है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार को पता है कि झांसी की रानी के महल में झांसी की कोतवाली स्थित है ?

डाक्टर सीताराम— जी हां।

श्री राम नरेश शुक्ल—क्या सरकार उस कोतवाली को हटा कर उसको स्मारक के रूप में स्थापित करने की सोच रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह— जी हाँ। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामनरेश शुक्ल—इस पर कब तक निर्णय करने को सरकार सोच रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह— शायद दो साल के बाद कोतवाली खाली हो जायगी।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—क्या इन बेची गयी इमारतों के सिलसिले में सरकार इनको वापस लेने के प्रश्न पर भी विचार करने के लिए तैयार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, यदि वह ऐसी हुई जिनको प्रिजर्व करना जरूरी है, तो उस पर विचार करेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या ऐतिहासिक भवनों की रक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—केन्द्रीय सरकार का इसके लिये अपना एक अलग विभाग है और उससे वह ऐसे भवनों की रक्षा करती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन इमारतों की सूची कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरा खयाल है कि अगस्त-सितम्बर तक बन जायगी।

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन मानूमेंट्स के अन्दर ऐसे ऐतिहासिक स्थान भी मिलते हैं जैसे हस्तिनापुर इत्यादि ? यदि हां, तो प्रादेशिक सरकार उनकी रक्षा के लिये क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हस्तिनापुर तो मैं समझता हूं कि अपनी जगह पर ही है। उसकी रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई पुराने मानूमेंट्स होंगे तो जरूर उनकी रक्षा की जायगी।

श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार बांदा जिले में करवी में पेशवों के महल, जो बिना मरम्मत खराब हो रहे हैं उनको भी सुरक्षित करने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने उत्तर दे दिया कि सूची बन रही है और सूची बन जाने के बाद, जो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान होंगे जिनकी रक्षा करना आवश्यक है उनकी रक्षा की जायगी। लेकिन अगर प्रान्त के एक-एक स्थान के बारे में मुझ से इस समय पूछा-जाय तो मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं।

*१६-१७—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१९—श्री देवमूर्तिराम (जिला बनारस)—[स्थगित किया गया।]

*२०-२१—श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—[१४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

गवर्नमेंट माडल स्कूलों के अध्यापकों तथा जे० टी० सी० एवं बी० टी० सी० अध्यापकों का ग्रेड

*२२—श्री किन्दरलाल (जिला हरदोई)—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट माडल स्कूलों के अध्यापक तथा जे० टी० सी० पास अध्यापकों का ग्रेड एक है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*२३—श्री किन्दरलाल—क्या यह सही है कि सरकार जे० टी० सी० पास अध्यापकों के ग्रेड को रिवाइज करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*२४—श्री किन्दरलाल—यदि हां, तो क्या सरकार जे० टी० सी० ग्रेड के साथ-साथ गवर्नमेंट माडल स्कूल के अध्यापकों का भी ग्रेड रिवाइज करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

श्री किन्दरलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने जे० टी० सी० ग्रेड को रिवाइज करने के लिये कोई कमेटी बिठायी थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, उस पर विचार किया गया था।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी इन टीचरों का ग्रेड बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—४५ से शुरू होकर ८० तक जाता है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जे० टी० सी० अध्यापकों का ग्रेड न रिवाइज करने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—आर्थिक संकट और धनाभाव।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० टी० सी० ट्रेड अध्यापकों और जे० टी० सी० ट्रेंड अध्यापकों के ग्रेड में कोई अन्तर है ?

डाक्टर सीताराम—बी० टी० सी० ३० पाते हैं और जे० टी० सी० ४५-८० पाते हैं। लेकिन जहां तक इस प्रश्न का संबंध है दोनों अध्यापकों का एक ही वेतन है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सी० टी० ट्रेनिंग के स्थान पर जे० टी० सी० की ट्रेनिंग खुल गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सी० टी० की ट्रेनिंग तोड़ दी गयी है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे० टी० सी० मास्टरों की ओर से उनके पास कोई स्मृतिपत्र आया था और अगर आया था तो उसमें क्या मुख्य मांगें थीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पत्र के संबंध में याद नहीं है। लेकिन जैसा कि उत्तर दिया जे० टी० सी० के अध्यापकों के वेतन क्रम पर विचार किया गया।

एग्रीकल्चर टीचर्स के ग्रेड, उनकी ट्रेनिंग, तथा उनमें हरिजनों की संख्या

*२५—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि वह जो नये ऐग्रीकल्चर टीचर्स बहुत बड़ी संख्या में रख रही है उनके ग्रेड आदि क्या होंगे ?

डाक्टर सीताराम—ऐग्रीकल्चर टीचर्स के ग्रेड यह हैं:—

क—ग्रेजुएट्स के लिये १२०–८–२०० प्र० अ० १०–३०० रु०।

ख—अन्डर ग्रेजुएट्स के लिये ७५–५–१२० प्र० अ० ८–२०० रु०।

*२६—श्री बलवन्त सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह लोग कब काम पर बुलाये जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—संभवतः जुलाई, १९५४ से।

*२७—श्री बलवन्त सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस विषय की पूरी स्कीम को सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—स्कीम की प्रति प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६०–३६६. . पर।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार ने ग्रामों में जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक शिक्षा देने का कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—खेती भी उद्योग ही समझा जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नये ऐग्रीकल्चर टीचर्स जो रखे जा रहे हैं उनकी संख्या क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इरादा ३२ सौ टीचर्स के नियुक्त करने का है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन ३२ सौ में से अब तक कितने रखे जा चुके हैं ?

डाक्टर सीताराम—२५४३।

---

*नोट—तारांकित प्रश्न २५–२७ श्री वीरेंद्रपति यादव ने पूछे।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये जो अध्यापक रखे गये हैं इनमें से कितने एग्रीकल्चर के विद्वान हैं और कितने नहीं थे ?

डाक्टर सीताराम—इनमें से ७६० बी० एस० सी० (एग) या एम० एस० सी० (एग) हैं और १७८३ अन्डरग्रेजेऐट्स हैं। इस तरह से सब २५४३ हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन स्कूलों में जहां ये २५४३ अध्यापक रखे गये हैं कितनों के पास इस काम के लिये पर्याप्त भूमि मिल चुकी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—५० प्रतिशत को भूमि मिल चुकी है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी इस योजना का संक्षिप्त परिचय इस सदन के सम्मुख देने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सबसे संक्षिप्त विवरण तो इसका यही है कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल के पास १० एकड़ भूमि हो और उसमें वहां के लड़कों को कृषि की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो ३२ सौ अध्यापक रखे गये हैं उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं इतना ही कह सकता हूं कि जितने हरिजन मिल सके उनको रख लिया गया परन्तु क्या प्रतिशत उनका है यह नहीं बता सकता।

श्री अब्दुल मुईज खां—ये टीचर्स जिला बोर्ड के अधीन रहेंगे या सरकार के ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ये यों तो चूंकि सरकार इनका वेतन देगी सरकार के अन्डर रहेंगे, लेकिन अनुशासन उनके ऊपर जिला बोर्ड का भी रहेगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जमीन स्कूलों के लिये मिल रही है उनमें क्या गांव समाज की जमीन में से भी ली जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अध्यापक लिये गये हैं उनमें सभी ट्रेंड हैं या कुछ अन्ट्रेंड भी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, ट्रेन्ड भी हैं और अन्ट्रेंड भी हैं। ज्यादा संख्या अन्ट्रेन्ड की है, लेकिन ट्रेन्ड भी उसमें काफी हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन अध्यापकों को इस योजना की कोई ट्रेनिंग दी जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, इस समय ट्रेनिंग दी जा रही है।

*२८-३०—श्री रामनारायण त्रिपाठी—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३१—श्री जोरावर वर्मा—[२८ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]।

*३२–३४—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३५—श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—[१४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल और उनके लिए अनिवार्य शिक्षा की योजना

*३६—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र में कितने लड़कियों के प्राइमरी स्कूल हैं ?

डाक्टर सीताराम—तीन।

*३७—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने शहर के दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र में लड़कियों के लिये प्राइमरी अनिवार्य शिक्षा की योजना सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, धनाभाव के कारण यह योजना चालू नहीं की जा सकी।

*३८—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर में कुल कितना रुपया लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा पर खर्च होता है और उसका कौन सा हिस्सा दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र में खर्च होता है ?

डाक्टर सीताराम—३,५०,००० रु०।

कुछ नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस योजना को चालू करने का विचार रखती है और यदि रखती है तो कब तक ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, सरकार विचार रखती है जब उतना धन उपलब्ध हो जाय।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर में लड़कियों की शिक्षा पर जो व्यय होता है उसका सरकार पर कितना भार है ?

डाक्टर सीताराम—करीब २७ हजार रुपया।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री कोई निश्चित समय बता सकेंगे कि कब तक यह निश्चित योजना चालू की जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह बताना शायद संभव न होगा।

प्रतापगढ़ राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल में विज्ञान की कक्षायें

*३९—श्री रामअधार तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रतापगढ़ राजकीय हायर सेकेंड्री स्कूल में विज्ञान के साथ इन्टरमीजियेट कक्षा खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

नैनीताल के टनकपुर नयागोठ के शिल्पकारों को भूमि छोड़ने के लिए नोटिस और उनके लिए भूमि-व्यवस्था

*४०—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला नैनीताल के टनकपुर नया गोठ (मजरामोहनपुर) में करीब ३६ साल से बसे हुये शिल्पकार किसान वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर बसाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कहां?

डाक्टर सीताराम—जी हां, वहां के ३२ काश्तकारों को नोटिस दिया है कि वे जमीन छोड़ देवें। उन्हें जो जमीन बताई गई थी वह पसन्द नहीं आई है और अब फिर कोशिश की जा रही है कि उनको अन्य स्थान में जमीन दी जावे।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो जगह उन किसानों से छुड़ाई गयी है वह क्यों और किस कारण से छुड़ायी गयी है?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री खुशीराम—इसकी एवज में उन किसानों को जो यह जगह दी गयी है वह उनको क्यों पसन्द नहीं आयी?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसका उत्तर वही दे सकते हैं। यदि आप पूछेंगे तो उनसे पूछकर बताया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यह टनकपुर नया गोठ खास स्टेट में है या नैनीताल तहसील के किसी हिस्से में है?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो प्रश्नकर्त्ता को ही अच्छी तरह से मालूम होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपसे यह बात जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न तो माल विभाग से संबंध रखता है और शिक्षा विभाग या हरिजन सहायक विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह भूमि व्यवस्था के संबंध में है। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री को इसकी उतनी जानकारी नहीं हो सकती और न वह संतोषजनक उत्तर ही दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मालूम यह होता है कि स्कूलों के लिये यह जमीन प्राप्त (रिक्वीजीशन) की गयी होगी इस प्रकार से उनसे संबंध रखता है।

*४१—श्रीभोला सिंहयादव (जिला गाजीपुर)—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२—श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—[१४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३-४५—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[१४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४७—श्री भोलासिंह यादव—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४८-४९—राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०-५२—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[७ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*५३--श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--[वापस लिया गया ।]

*५४--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५५-५६--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले विभिन्न राजनैतिक दलों के व्यक्तियों की प्रादेशिक इतिहास कमेटी में मिलाने का विचार

*५७--श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के इतिहास से संबंधित व्यक्तियों को वह प्रादेशिक इतिहास कमेटी में co-opt करने का विचार रखती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?, क्या इस विषय में वह विभिन्न दलों से पूंछ-तांछ कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं। इसका कारण यह है कि समिति का निर्माण इस दृष्टि से किया गया है कि उसके द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास राष्ट्रीय दृष्टि-कोण से उपस्थित किया जायगा और उसमें आज या आज से पूर्व के सभी राजनीतिक दलों का आवश्यकतानुसार यथासंभव, जो कुछ भी योग रहा होगा, आ जायगा।

जी हां।

श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र--राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सरकार का क्या अभिप्राय है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जो सब लोग समझते हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह प्रादेशिक इतिहास कमेटी बन गयी है, यदि हां, तो उसमें कौन-कौन लोग हैं ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, बन गयी है और उसमें ७ मेम्बर्स इस प्रकार से हैं--

१--आचार्य नरेन्द्र देव
२--श्री कमलापति त्रिपाठी
३--प्रो० वीरबल सिंह
४-- ,, राम सरन
५-- ,, मोहम्मद हबीब
६--श्री बनारसी प्रसाद सक्सेना
७-- ,, मुकट बिहारी लाल

श्री व्रजविहारी महरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या इस इतिहास में राष्ट्रीय सैनिकों की प्रमाणित सूची भी रहेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इतिहास लिखे जाने पर इसका उत्तर संभव होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार यह बतायेगी कि इस प्रादेशिक इतिहास को बनाने में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है !

श्री हरगोविन्द सिंह--जो मीटिंग हुई थी उसमें कार्य विभाजन हुआ होगा, लेकिन उसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट हमारे पास नहीं आयी।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार उसमें एक हरिजनों का प्रतिनिधि भी रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इस आधार पर उस कमेटी में किसी को शामिल करना मेरे खयाल में जरूरी नहीं है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह प्रादेशिक कमेटी जिले के स्तर पर भी एक कमेटी बनाने का विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह प्रादेशिक कमेटी किस प्रकार इतिहास के लिये सामग्री इकट्ठा करेगी इसकी हमें कोई इत्तिला नहीं है ।

*५८-५९-**श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया)--[१४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६०-६१--**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)--[२१ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

*६२-६३--**श्री खयाली राम** (जिला मुरादाबाद)--[१४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

हरदोई जिला हरिजन सहायक कमेटी

*६४--**श्री चन्द्रहास** (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि हरदोई जिला हरिजन सहायक कमेटी में विधान सभा के हरिजन सदस्य ही मनोनीत किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य सदस्यों को भी इस कमेटी में रखने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम--केवल वे ही नहीं । यह प्रश्न नहीं उठता है ?

श्री चन्द्रहास--क्या सरकार यह जानती है कि इस कमेटी में पिछले दो वर्षों में कोई भी सवर्ण सदस्य सम्मिलित नहीं किया गया है ?

डाक्टर सीताराम--यह बात सही हो सकती है, लेकिन इसकी पावर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी गयी हैं वह जिनको चाहे रख सकता है ।

*६५--**श्री चन्द्रहास**--[१४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६६--**श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी** (जिला बनारस)--[१४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६७--**श्रीमती सफ़िया अब्दुल वाजिद** (जिला बरेली)--[२८ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६८-७०--**श्री कृष्णचन्द्र शर्मा** (जिला झांसी)--[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

संस्कृत शिक्षा परिषद् का पुनः निर्माण, उसका कार्य और उसमें हरिजन सदस्य

*७१--**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)--क्या यह सच है कि सरकार संस्कृत शिक्षा परिषद का पुनः निर्माण करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम--परिषद का पुनर्निर्माण हो चुका है ।

*७२--**श्री दीनदयालु शास्त्री**--यदि उत्तर हां में हो, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस नयी परिषद और पुरानी परिषद के स्वरूप में क्या अन्तर होगा ?

डाक्टर सीताराम--केवल संस्कृत विद्वानों की संख्या में एक की वृद्धि कर दी गई है, शेष स्वरूप यथापूर्व है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह समझा गया कि वह उपयोगी होगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार यह बतायेगी कि संस्कृत शिक्षा परिषद में कितने सदस्य बनारस के हैं और बाहर के कितने हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी सूची है, यदि आप चाहें तो उसको देख सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संस्कृत शिक्षा परिषद् के नव-निर्माण में कौन-कौन सदस्य मनोनीत किये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जो नामिनेशन हुआ है वह गजट में प्रकाशित हो गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं :--

१--प्रिंसिपल, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस।
२--इंसपेक्टर, संस्कृत पाठशाला, यू० पी।
३--फर्स्ट प्रो०, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस।
४--डा० बाबूराम सक्सेना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।
५-- ,, के० सी० पांडेय, लखनऊ यूनिवर्सिटी।
६--पं० धर्मेन्द्र नाथ शास्त्री, आगरा यूनिवर्सिटी।
७--डा० सूर्यकांत, बनारस यूनिवर्सिटी।
८--श्री सहदेव सिंह, एम० एल० ए०।
९-- ,, दीन दयालु शास्त्री, एम० एल० ए०।
१०--सभापति उपाध्याय, एम० एल० सी०।
११--श्री बागीश्वर विद्यालंकार, गुरुकुल कांगड़ी।
१२--प्रो० राजाराम शास्त्री, काशी विद्यापीठ।
१३--श्रीमती महादेवी वर्मा।
१४--पं० देवनायाकाचार्य, संस्कृत पाठशाला, बनारस।
१५-- ,, ललिता प्रसाद।
१६-- ,, कमला कांत मिश्रा।
१७-- ,, चन्द्र शेखर शास्त्री।
१८-- ,, राजाराम शास्त्री ग्राडगिल, संस्कृत कालेज, ग्वालियर।
१९-- ,, राम ज्ञान पांडेय।
२०--डा० पी० के० आचार्य।
२१--पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु।
२२--रजिस्ट्रार गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, सेक्रेट्री।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा परिषद में बनारस के विद्वान अधिक हैं और बनारस में उसका केन्द्र है, इससे संस्कृत शिक्षा की प्रगति में बाधा होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मेरा खयाल है इससे अधिक लाभ होता है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें कोई बैकवार्ड क्लास व हरिजनों का भी प्रतिनिधि है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इस आधार पर इसके बोर्ड का संगठन नहीं होता।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक इस शिक्षा परिषद ने क्या कार्य किया है ?

डाक्टर सीताराम--यह नयी शिक्षा परिषद् जो है वह पुरानी शिक्षा परिषद् के आधार पर ही बनायी गयी है, सिर्फ एक मेम्बर अधिक बढ़ाया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसकी कार्य प्रणाली क्या है, तो उस संबंध में मैं कह सकता हूं कि यह परिषद् रिकागनीशन का काम करती है, कोरसेज के सिलेबस बनाती है, एक्जामिनेशन कंडक्ट करती है और रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करती है।

*७३--**श्री रामेश्वरलाल**--[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*७४-७५--**श्री दलबहादुर सिंह** (जिला रायबरेली)--[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेश में सोशल वर्कर्स की नियुक्तियां, उनकी योग्यता तथा उनमें हरिजनों का अनुपात

*७६--**श्री धर्मसिंह**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुछ Social workers रखे जाने को हैं, यदि हां, तो कितने और कब से ?

डाक्टर सीताराम--उत्तर प्रदेश में कुछ सोशल वर्कर्स की नियुक्तियां सन् १९५३ से ही हो रही हैं और आगे भी होंगी।

*७७--**श्री धर्मसिंह**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास Social workers को रखने के लिये कितने प्रार्थना पत्र आये हैं ?

डाक्टर सीतराम--सोशल वर्कर्स के पदों के लिये गत वित्तीय वर्ष में सरकार के पास लगभग २०० प्रार्थना पत्र आये थे।

श्री धर्मसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ से लेकर अब तक कितने सोशल वर्कर्स की नियुक्तयां हुई हैं ?

डाक्टर सीतराम--करीब ४७ की।

श्री धर्मसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सोशल वर्कर्स का जिले में क्या-क्या काम है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह बड़ी भारी सूची है, आप सभी जानते होंगे कि क्या-क्या कार्य है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन सोशल वर्कर्स को क्या सहायता दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम--वह उनके काम पर मुनहसर है। डी० पी० ओ० की रिपोर्ट पर उनको ५० रु० से १०० रु० तक आनरेरियम दिया जा सकता है और इस प्रकार स्टेट में दिया भी जाता है।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन सोशल वर्कर्स में क्या हरिजनों का कोई परसेंटेज है ?

डाक्टर सीताराम--इसमें सभी जाति के आदमी हैं, हरिजन अधिक हैं लेकिन छानछान

की भावना को दूर करने के लिये जो अपने मन में कुछ श्रद्धा रखते हैं चाहे वह किसी वर्ग व जाति के क्यों न हों वे सभी रखे जाते हैं।

श्रीमती चन्द्रवती---क्या इसमें स्त्रियों के लिये भी मान्यता दी जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जरूर।

श्री धर्मसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ के बजट में सोशल वर्कर्स की नियुक्ति के लिये कोई प्राविजन था ?

श्री हरगोविन्द सिंह---१९५२-५३ का बजट देख लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर-प्रदेश में कुल कितने सोशल वर्कर्स हैं और उनके क्वालिफिकेशन्स क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम---यह तो बतलाया गया है कि ४७ हैं और उनकी योग्यता के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि उनकी योग्यता कोई निर्धारित नहीं है। उनकी योग्यता जो होती है वह सोशल वर्क की ही होती है।

श्री धर्मसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वे गांवों में काम करते हैं तो उनको कोई टी० ए० दिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं, उनको जहां तक हो सके आनरेरियम दिया जाता है।

श्रीमती चन्द्रवती---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सोशल वर्कर्स का पे स्केल क्या है ?

डाक्टर सीताराम---उनको पे स्केल में नहीं रखा जाता बल्कि आनरेरियम दिया जाता है और आनरेरियम में फर्क होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सोशल वर्क्स को यह काम भी सुपुर्द है कि वे जात-पांत को तोड़ने का कार्य भी करें ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन सोशल वर्कर्स का संगठन जाति के आधार पर हुआ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सोशल वर्कर्स में कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी होते हैं या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है, सोशल वर्कर के माने ही हैं कि उसका संबंध राजनीति से न हो।

श्रीमती चन्द्रवती---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सोशल वर्कर्स की क्वालिफिकेशन और एज क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---एज तो नहीं बतला सकता, लेकिन यह समझा जाता है कि उनमें ऐसी उपयोगिता होनी चाहिये कि उनके द्वारा सोशल सर्विस का कार्य सम्भव हो सके।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त किन्तु प्रिलिमिनरी ग्रांट न प्राप्त किये हुए † हायर सेकेन्डरी स्कूल

*७८--श्री जोरावर वर्मा--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने ऐसे मान्यता प्राप्त (recognised) हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिन्हें अभी तक प्रिलिमिनरी (टोकिन) ग्रान्ट प्राप्त नहीं हुई है? क्या सरकार इन स्कूलों की लिस्ट उनकी मान्यता (recognition) प्राप्ति तिथि सहित मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम--माननीय सदस्य की मेज पर दो सूचियां रख दी गई हैं जिससे यह सूचना प्राप्त हो जायगी।

*७९--श्री जोरावर वर्मा--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन संस्थाओं को इस वर्ष टोकिन ग्रांट दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम--गत वर्षभी प्राथमिकता अनुदान नहीं दिया जा सका।

श्री जोरावर वर्मा--मेरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, यह है कि प्रदेश में कुल कितने ऐसे मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिन्हें अभी तक प्रिलिमिनरी ग्रान्ट प्राप्त नहीं है। लेकिन मेरी मेज पर जो लिस्ट है उसमें नहीं दिखलाया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे कितने मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिन्हें अभी तक प्रिलिमिनरी ग्रान्ट प्राप्त नहीं हुई है?

श्री हरगोविन्द सिंह--जो सूची है, उसमें दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष--मेरे पास सूची नहीं आई है और मैं निर्णय नहीं कर सकता। मंत्री जी उसके हेडिंग पढ़ सकते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी सूची में एडेड और अनएडेड इन्सटीट्यूशंस की लिस्ट है...

श्री अध्यक्ष--इसके पहले भाग में दिया हुआ है कि चूंकि प्रिलिमिनरी ग्रान्ट नहीं मिली है, इसलिये उसकी फेहरिस्त नहीं है और अब प्रिलिमिनरी और टोकिन ग्रान्ट का सिस्टम खत्म कर दिया गया है, कि वह किसी को न दी जाय।

श्री जोरावर वर्मा--मेरे पास जो लिस्ट है उसमें दिखलाया गया है कि सन् ५४ में कौन रिकग्नाइज्ड और कौन एडेड इंस्टीटयूशन्स हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह कितने हैं कि जिनको प्रिलिमिनरी ग्रान्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष--इसको माननीय शिक्षा मंत्री जरा समझा दें, बगैर समझाये कुछ समझ में नहीं आयेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--सन् १९५२-५३ में सिस्टम यह था कि रिकग्नाइज्ड इंस्टीटयूशंस को २ वर्ष के लिये एक टोकिन ग्रांट दी जाती थी और उसका मतलब यह होता था कि उसके मिल जाने के बाद दूसरे वर्ष वह एण्टाइटिल हो जाता था ग्रांट इन एड पाने का। यह सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है। अब प्रिलिमिनरी ग्रांट का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। रिकग्नाइज्ड इंस्टीटयूशन्स रहेंगे और उसके बाद अगर गवर्नमेंट सैटिसफाई हो जायगी कि इस संस्था के पास ऐसे साधन हैं कि यह चल सकती है तो उसे सीधी ग्रांट इन एड दी जायगी।

---

† कार्यवाही में छापी नहीं गयी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देहातों में कुछ ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जहां उनका होना अत्यावश्यक है, लेकिन वहां की फाइनैंसल कंडीशन इतनी खराब है कि वह मंत्री जी की कंडीशन को पूरी नहीं कर सकेंगे, तो क्या सरकार उनको सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हर इंस्टीटयूटशन का अपना-अपना अलग-अलग केस होगा। उस पर वह कंसिडर किया जायगा। यह बतलाना कठिन है कि किस स्कूल को एड देंगे और किनको नहीं देंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि कुछ २ वर्षों से जिन शिक्षा संस्थाओं ने मान्यता प्राप्त की हैं उन्होंने सरकार को यह लिखित आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की आर्थिक सहायता सरकार से नहीं लेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, मान्यता कमेटी के सामने यह सवाल आया लोग लिखकर दे देते हैं, लेकिन मान्यता मिलते ही ग्रांट के लिये दौड़ने लगते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अब जिन संस्थाओं को मान्यता मिल चुकी है उनको ग्रांट देने के बारे में क्या नये नियम बनाये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वे सब विचाराधीन हैं। उनकी एक सूची बनाई जा रही है और उसके बाद निर्णय होगा कि क्या कायदे बनाये जायं ग्रांट देने के।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टोकिन ग्रांट न देने का निर्णय सरकार ने कब से किया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सन् १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष से।

श्री नकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या यह सही है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं को यह ग्रांट मिल कर बाद में मान्यता मिली ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरे सम्मुख ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा कौशाम्बी की खुदाई और उस पर व्यय

*८०—**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि इलाहाबाद में कौशाम्बी एक पुरानी और ऐतिहासिक जगह है जिसकी खुदाई के लिए इलाहाबाद यूनीवर्सिटी को यू० पी० सरकार ने एक भारी रक़म दी है ? यदि हां, तो वह धन कितना है और उस कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

सरकार ने अब तक ९४,९०० रु० का अनुदान दिया है। खुदाई की प्रगति सन्तोषजनक है परन्तु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी खुदाई की आवश्यकता अभी और होगी।

श्री अब्दुल मुईज खां—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट की पिछली बैठक में इस पर अधिक बहस रही और काफी असंतोष जाहिर किया गया ?

नोट—तारांकित प्रश्न ८० श्री रामनरेश शुक्ल ने पूछा।

श्री हरिगोवन्द सिंह---मुझे बिल्कुल मालूम नहीं।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार कौशाम्बी की महत्ता पर विचार रखते हुए उसकी खुदाई के कार्य को सीधे अपने हाथ में लेने की सोच रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अगर इस कार्य की प्रगति असंतोषजनक होगी तो सरकार इस कार्य को जरूर ले लेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस कौशाम्बी की खुदाई के सम्बन्ध में यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने क्या सिफारिश की थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---उसे आप यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट में पढ़ लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि इस कौशाम्बी की खुदाई के सम्बन्ध में बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय विद्वानों ने हिंसा भी की है ? अगर हां, तो किन-किन ने ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है।

श्री भगवानसहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौशाम्बी की प्राचीन इमारतों पर जो इलाहाबाद यूनीवर्सिटी काम कर रही है उससे सरकार को संतोष है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, तभी तो अनुदान दिया जा रहा है।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि खुदाई का कार्य किसके द्वारा संचालित हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम---इसके लिये एक-दो आदमियों की कमेटी बनी हुई है।

श्री केशभान राय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समिति ने इस कार्य के बारे में कोई सम्मति प्रकट की है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस समिति के अन्तर्गत तो यह खुदाई हो ही रही है। उसमें उनको सम्मति प्रकट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौशाम्बी की खुदाई में अब तक कितनी महत्वपूर्ण चीजें मिल चुकी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---बहुत सी चीजें मिल चुकी हैं। अगर आप देखना चाहें तो इलाहाबाद में जाकर देख सकते हैं। लेकिन सूची बतलाना तो बड़ा मुश्किल है।

श्री भगवान सहाय---कौशाम्बी की खुदाई के मामले में जो प्रगति हो रही है उससे सरकार को संतोष है, तो क्या इस बात को विचार में रखते हुये सरकार इलाहाबाद यूनीवर्सिटी की ग्रान्ट को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इससे ग्रान्ट बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कौशाम्बी की खुदाई के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की सिफारिशों को लागू करेगी कि ४४ हजार रुपया सालाना ग्रान्ट दी जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सिफारिशों के संबंध में यह भी देखना पड़ता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है।

अतारांकित प्रश्न

*१—श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२—३—श्री राम अधार तिवारी—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

कुछ प्रश्नों पर पूरक प्रश्नों के लिये अधिक समय की मांग

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के लिये समय केवल दो मिनट का दिया गया जिससे हमें सन्तोष नहीं हुआ। अभी दस मिनट का समय है। यदि आप की कृपा हो तो कुछ समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जितना मैंने आवश्यक समझा उतना समय दे दिया, क्योंकि मामला अदालत के विचाराधीन है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, यह सूचना ग़लत है। अभी तक अदालत के सामने मामला नहीं गया है। अभी उसकी इनक्वायरी हो रही है और माननीय मंत्री जी ने ग़लत कहा है।

श्री अध्यक्ष—जो कुछ यहां पर उत्तर मिला है उसके अनुसार मैं यह उचित समझता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा प्रश्नोत्तर न हों।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल गया है, लेकिन अगर दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता तो अच्छा था और अभी दस मिनट का समय भी है।

श्री अध्यक्ष—आपके पास लिखित उत्तर आ चुका है।

श्री जोरावर वर्मा—जो बात हुई वह पहले प्रश्न पर हुई। दूसरा प्रश्न इनकम्प्लीट है।

श्री अध्यक्ष—यह तो आपको पहले कह देना चाहिये था। अब मैं उसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी से सम्बद्ध प्रश्नों के ठीक उत्तर न मिलने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के लिये अनुमति की मांग

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय ठाकुर हुकुम सिंह, उद्योग मंत्री, जो आज माननीय गृह मंत्री की तरफ से उत्तर दे रहे थे, उन्होंने ग़लत बयान हाउस के सामने दिया है कि माननीय राजनारायण जी का मामला अदालत के सामने विचाराधीन है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि उन्हें यह नहीं मालूम है कि अदालत के सामने मामला कब गया, तो यह उन्होंने हाउस के सामने ग़लत बयानी की है। इसलिये मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि मैं इस प्रश्न को उठाऊं कि उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना की है और हाउस का अपमान किया है।

श्री अध्यक्ष—यहां एक उत्तर दिया गया और अगर वह उत्तर ठीक नहीं है तो उसके बारे में आप विवाद का समय मांग सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी अगर

[श्री अध्यक्ष]

इसके लिये स्पष्टीकरण देना चाहें कि मामला अदालत के सामने है या नहीं तो वह दे सकते हैं।

कारावास उपमन्त्री (श्री मुज़फ्फर हसन)--मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह मामला अदालत के सामने है।

श्री अध्यक्ष--वह इस बात को कह रहे हैं, तो जब तक अधिक स्पष्टीकरण नहीं होता तब तक ऐसा प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, आवश्यक यह है कि अलिबास्ट अपारचूनिटी हमको मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--आप इसकी तहकीकात कर लें। इस वक्त उन्होंने जवाब दे दिया है और मैं यह समझता हूं कि सरकार को ज्यादा जानकारी हो सकती है और आपको कम हो सकती है। ऐसी अवस्था में मैं एकदम से इजाजत नहीं दे सकता कि जब तक वाक़यात की तहकीकात न हो जाय तब तक ऐसा प्रश्न उठाया जाय।

श्री गेंदासिंह की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि श्री गेंदासिंह जी के सम्बन्ध में जो विशेषाधिकार समिति के पास प्रश्न विचाराधीन है उसकी रिपोर्ट के लिये अवधि बढ़ा कर ३० अप्रैल तक की गयी थी। समिति ने अपनी कल की बैठक में तीन मास का समय और बढ़ाने की मांग की है, तीन मास अर्थात् जुलाई सन् १९५४ के अन्त तक अतः यह तीन मास का समय बढ़ा दिया जाता है।

श्री राजनारायण की कानपुर के जिलाधीश द्वारा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के लिए अनुमति की मांग

श्री अध्यक्ष--एक प्रश्न माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी ने विशेषाधिकार का उठाने के लिये सोमवार के लिये कहा था और वह चाहते हैं कि आज उसको उठाया जाय। वह प्रश्न इस प्रकार से है :--

> "निश्चय हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कानपुर ने माननीय राजनारायण नेता विरोधी दल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जो पत्र भेजा उसमें असत्य बातें लिख कर इस भवन को धोखा दिया, जो विशेषाधिकार की अवहेलना है तथा सदन का अपमान है।"

इस विषय में मैंने काफी ग़ौर किया। जहां तक सदन को सूचना देने का विषय है, यह सदन का विशेषाधिकार है कि जिस वक्त कोई माननीय सदस्य की गिरफ्तारी हो फौजदारी के मामले में तो उसकी सूचना वह मुझको दें। इस विशेषाधिकार की पूर्ति के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कानपुर ने यह सूचना इस सदन को दी। तो जब किसी विशेषाधिकार के प्रश्न के ऊपर उसके संबंध में कर्तव्य का पालन जिला मैजिस्ट्रेट ने किया तो उस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठ नहीं सकता कि उसने विशेषाधिकार की अवहेलना की, बल्कि विशेषाधिकार के अनुसार कर्तव्य का पालन किया है क्योंकि उनका सूचना देने का कर्तव्य था। अब सवाल यह उठता है कि क्या सूचना असत्य दी। उसके विषय में सदन विचार कर सकता है। अगर धोखा देने का उनका प्रयत्न होता तो उनके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत विचार किया जा सकता था। उसका फैसला मैं बाद में देता। लेकिन प्रश्न यह था कि जो कुछ मने इस सदन में पढ़ कर सुनाया है उसमें

स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन कारणों से श्री राजनारायण की गिरफ्तारी हुई और उसमें हर जगह जो कारण बयान किये गये हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये एलीगेशन्स हैं। यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यह सिद्ध हो चुका है। एलीगेशन्स करने का अधिकार पुलिस को या मैजिस्ट्रेट को, जिसने गिरफ्तारी की, होता है और फैसला अदालत के द्वारा होता है। तो जो चीज ऐसी हुई उसी तरह से उन्होंने सदन को सूचना दे दी। 'एलीगेशन्स' शब्द डालकर यह नहीं कहा कि यह वाक़या हुआ ही है। राजनारायण जी अगर प्रतिवाद करना चाहते हैं, जैसा कि अभी मेरे पास उन्होंने प्रतिवाद करके पत्र भेजा है और दो एक एफीडेविट्स भी भेजे हैं और उसमें प्रतिवाद किया है कि जो सूचना दी गई है वह ग़लत है, तो वह ग़लत सिद्ध कर सकते हैं, अदालत के सामने या जहां भी यह मुक़दमा जाय। लेकिन सदन को तो केवल गिरफ्तारी व उसके कारणों की ही सूचना मिल जाने की आवश्यकता थी और वह कर्तव्य था जिला मैजिस्ट्रेट का कि वह सूचना दे। जब कि उस सूचना में भी उन्होंने शब्द 'एलीगेशन्स' डाला है कि इन एलीगेशन्स के ऊपर वह गिरफ्तार किये गये हैं, तो ऐसी अवस्था में असत्यता उसमें नहीं दिखलाई देती। इसलिये मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं कि यह उठाया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी आपकी इजाजत इसलिये चाहता था कि मैं सदन के सामने उन कारणों को उपस्थित कर सकूं जिसको कि मैंने इस विशेषाधिकार का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा अवहेलना का प्रश्न इस सदन के सामने उठाया है, अगर आप मुझे इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष--मैं इसके लिये अब इजाजत नहीं देता हूं क्योंकि मैंने फैसला दे दिया है। आपने प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी थी। उसमें कहीं नहीं दिया हुआ है कि किसलिये यह प्रश्न उठाया गया है। यह आपने मुझे अभी सूचना नहीं दी। आपने प्रश्न उठाने की सूचना दी और मैंने उसकी इजाजत नहीं दी।

श्री गेंदासिंह की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने का कारण

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी के विशेषाधिकार के प्रश्न पर जो समय की अवधि मांगी गई है उस विषय में मैं आप से कुछ विशेषता चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--मैंने तो सदन को सूचना दी है। फैसला मैं दे चुका हूं।

श्री भगवान सहाय--अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सदन के किसी भी माननीय सदस्य की विशेषाधिकार की अवहेलना सदन के मान और मर्यादा के माने रखती है। यह मानी हुई बात है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ऐसी हालत में कोई वजह समझ में नहीं आती है कि इतने विशेष महत्व के प्रश्न पर इतनी लम्बी चौड़ी अवधि की क्या आवश्यकता है?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि मैं आपको यह अधिकार नहीं देता हूं कि आप कोई टीका करें जब कि मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री भगवान सहाय--अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मोद्दबाना अर्ज करना चाहता हूं इसलिये आप कि हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष--आप कारण मुझ से पूछ सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि परिस्थिति यह है कि वह समिति जो विशेषाधिकार की समिति है उसने इजाजत मांगी है कि तीन महीने का मौका मिलना चाहिये। इसका कारण यह है कि बहुत से जटिल प्रश्न उसके सामने आये और कई ऐसे हैं जिनमें तहकीकात की आवश्यकता है। जब उस समिति को जिस पर सदन का पूरा विश्वास है और जिसे इस विषय में कि सदन के हर एक सदस्य की प्रतिष्ठा और मान मर्यादा और इस सदन की मान तथा मर्यादा कायम हो और उसके विशेषाधिकार सुरक्षित हों उतना ही ख्याल है जितना माननीय सदस्य को, तो यदि उसे आवश्यकता पड़ती है और वह चाहती है कि तीन महीने का इसलिये अवसर मिले कि पूरी तहकीकात करके सदन को उचित राय और सुझाव वह दे सके तो ऐसी अवस्था में किसी माननीय सदस्य का यह कहना कि उनको विशेषाधिकार की परवाह नहीं है या न्याय होने वाला नहीं है, उचित नहीं है। कई जटिल प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता होती है, वाकयात के सम्बन्ध में जांच करने की आवश्यकता होती है और उनमें समय लगता है। समिति के माननीय सदस्यों को तीन महीने के समय की और आवश्यकता थी। तब उन्होंने इस बात के लिये अनुमति मांगी है और यह सब बातें सोचने के बाद ही मैंने अनुमति दे दी है, तथापि मैं बराबर उनसे तकाजा करता हूं कि काम शीघ्र से शीघ्र हो। मैंने पहिले कम से कम यानी १५ दिन का समय दिया था, लेकिन समिति को दिक्कत मालूम हुई और अधिक समय की मांग हुई, उसको मैंने दिया। अब मालूम होता है कि बहुत से प्रश्नों की तहकीकात करने की आवश्यकता है तो जो मैं समझता हूं कि उनको पूरी सहूलियत देना आवश्यक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, जो मेरे द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न था उस पर दिन निर्धारित नहीं हुआ और काफी दिन व्यतीत हो चुके हैं। जितनी जल्दी यह हो उतना ही सदन की मर्यादा के अनुकूल है। आप कोई दिन नियत कर दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं उस दिन कह चुका हूं कि माननीय उपाध्यक्ष और नेता सदन मिलकर कोई दिन मुकर्रर करें मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सोमवार के लिए वह विचार कर रहे थे, लेकिन बाद में वह दिन ठीक नहीं हुआ। मैं सोमवार को उनसे पूछकर एक व्यवस्था दे दूंगा। अगर वह कोई दिन मुकर्रर न कर सकें तो मैं उचित समझूंगा वह दिन मुकर्रर करके सदन को बतला दूंगा।

श्री भगवान सहाय--अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह है कि आपका ख्याल यह है कि मुझे विशेषाधिकार समिति के सदस्यों में विश्वास नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि--

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठ जायं। आपकी जो बात है उसे विशेषाधिकार समिति के सदस्यों ने सुन लिया और उसका उनके ऊपर असर जो होना था वह हो गया। आप जल्दी चाहते हैं और सदन भी जल्दी चाहता है, इसका पता उनको लग गया और इसका परिणाम जो होना है वह होगा।

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उनके द्वारा भेजे गये प्रतिवाद को सदन मे पढ़ने की प्रार्थना

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता यह था कि जिस तरह से आपने जिलाधीश कानपुर का पत्र जो श्री राजनारायण सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में था, पढ़कर सदन में सुनाया, उसी प्रकार से श्री राजनारायण सिंह जी का प्रतिवाद जो आपके पास आया हुआ है उसको भी पढ़ देते तो बड़ी कृपा हम लोगों के लिये होती।

श्री अध्यक्ष—यह इसकी प्रथा नहीं है। सूचना देने का तो उनका कर्तव्य था इसलिये उनको यह सूचना देनी पड़ी। लेकिन प्रतिवाद पढ़ने की तो प्रथा यहां पर है नहीं। प्रतिवाद माननीय सदस्य प्रकाशन के लिये देना चाहते हों तो वह स्वयं ही कर सकते हैं या अदालत में जो कार्यवाही होगी उसके द्वारा भी प्रकाशन हो सकता है और प्रतिवाद हो सकता है। सदन उसके लिये स्थान नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा श्री ब्रजभूषण मिश्र पर लगाये गये गाली देने के इल्जाम को वापस लेने का अनुरोध

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, कल मेरे भाषण का जवाब देते हुये श्री रामनारायण त्रिपाठी ने मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया कि मैंने गाली दी। मैं चाहता हूं कि वह जो मेरे गाली वाले शब्द हों मुझे बताये जायं ताकि मैं उन्हें वापस लूं या फिर जो चार्ज मेरे ऊपर लगाया गया है वह वापस लिया जाय अन्यथा इसे एक्सपंज किया जाय।

श्री अध्यक्ष—यानी आपने गाली नहीं दी ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जब मेरा कल भाषण समाप्त हुआ तो माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी मेरे पास आये थे। उन्होंने जो कहावतें वगैरह इस्तेमाल कीं वह वाकई इस सदन की मर्यादा के प्रतिकूल थीं और इसलिये मैंने उसको फील किया। गाली देने के माने वही गाली नहीं होती। कुछ ऐसे ढंग से उन्होंने कहा कि जिसे मैंने वाकई फील किया। लेकिन जब उन्होंने मुझसे आ कर कहा कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था तो मैंने उनसे उसी वक्त कह दिया था कि अब इसका मुझे कोई मलाल नहीं है और जब आज वह यहां भी कहते हैं तो मैं तो और भी प्रसन्न हूं और संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री ब्रजभूषण मिश्र के खड़े होने पर) अब इसके ऊपर बहस नहीं होती। परसनल एक्सप्लेनेशन का मतलब ही यही है कि केवल स्पष्टीकरण हो।

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खण्ड ११ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन पर अंतिम भाषण देते हुये मैंने कल संक्षेप में यह बताया था कि मेरा यह संशोधन इसलिये नहीं है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों का ख्याल था .....सदन में शांति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य अगर बाहर जाना चाहते हों तो धीरे-धीरे, आवाज न करते हुये जायं तो अच्छा होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैंने इसलिये संशोधन पेश नहीं किया जैसा कि माननीय सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों का ख्याल है कि मैं ऐसा प्रतिबन्ध लगा देना चाहता हूं इसलिये कि जिस समय टैक्स लगाया जाय जनता पर तो वह कोरम कम से कम आधा होना चाहिये। उनके कार्य में रुकावटें पड़ें। मैंने संक्षेप में बतलाया कि मेरा यह इरादा नहीं है कि उनके कार्य में रुकावटें पड़ें। बल्कि मैंने यह बताया कि यह तो उनकी पापुलैरिटी का एक टेस्ट होगा कि अधिक से

---

* २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† २९ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अधिक लोग इकट्ठा होकर अपने ऊपर टैक्स लगायें और जैसा माननीय स्वशासन मंत्री कहते थे कि यह तो वालेंट्री कंट्रीब्यूशन है, स्वेच्छा से अर्थदान है, तो उन्हीं की भावना का आदर करते हुये मैंने यह संशोधन पेश किया था और कहा था कि इस स्वेच्छा दान में अधिक से अधिक लोगों का सहयोग होना चाहिए।

इस संबंध में यह भी कहा गया कि स्त्रियों के लिये बड़ी कठिनाई पड़ेगी। मैंने कहा कि यह प्रतिबन्ध अगर वहां रहेगा तो एक सामाजिक सुधार भी धीरे-धीरे वहां हो जायगा क्योंकि जो गांव पंचायत टैक्स लगाना चाहती है वह अपने टैक्स के पास कराने के लिये ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी।

श्री अध्यक्ष--सदन में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये। आवाज बहुत हो रही है, यह बन्द होनी चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--स्त्रियों के सुधार के संबंध में जब वादविवाद हुआ तो मैंने कहा यह था कि मेरे संशोधन को मान लेने से स्त्री सुधार में भी काफी प्रगति हो सकती है क्योंकि आधा कोरम रख दिया जायगा तो गांव सभा में आये सदस्यों को लाने की कोशिश करेंगे। उसमें पर्दा प्रथा भी टूट जायगी। ये बातें मैंने कल संक्षेप में कहीं थीं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह संशोधन ऐसे ही उपस्थित कर दिया गया। कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जहां कोरम आधा होता हो। मैं माननीय स्वशासन मंत्री की सेवा में कुछ किताबों के उद्धरण पेश करना चाहता हूं जिनमें कोरम १/५ से ज्यादा है या आधा है। पहला उदाहरण मैं मध्य भारत के पंचायत विधान ऐक्ट की धारा २५ से देता हूं जो इस प्रकार है :--प्रत्येक मंडल पंचायत दो महीने में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी, परन्तु १५ जून से १५ अक्टूबर तक के काल में ऐसी बैठक करना अनिवार्य नहीं होगा। ग्राम पंचायत, केन्द्र पंचायत तथा मंडल पंचायत के कार्य संचालन के लिये सरपंच और उप-सरपंच को मिला कर पदाधिक पंचों की संख्या की एक तिहाई पंचों की न्यूनतम उपस्थिति आवश्यक होगी। इसमें १/५ के बजाय एक तिहाई है। अब मैं पंजाब पंचायत ऐक्ट की धारा १४-ए की तरफ ध्यान दिलाता हूं। जो इस प्रकार है --

14 (*a*) "The Majority of the panches shall form the qucrum"

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--जरा गलतफहमी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गांव सभा का जिक्र है या पंचों का ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--पंच के मानी गांव सभा के ही अर्थ में हैं।

श्री अध्यक्ष--इस समय अनुशासन का भंग होना हुआ। जिस समय किसी सदस्य की बात आप सुनना चाहते हैं तो आप बैठ जायं। नहीं तो आप यह कह दीजिये कि मैं ईल्ड नहीं करता, मैं खड़ा रहूंगा, सुनना नहीं चाहता। लेकिन दोनों का साथ-साथ खड़ा रहना अनुचित है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं सुनना चाहूंगा।

श्री मोहन लाल गौतम--मैं यह कह रहा था कि इस समय गांव सभा के कोरम का जिक्र है न कि पंचों के कोरम का। गलत कोटेशन देने से हाउस में भ्रम पैदा हो सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैंने स्वशासन मंत्री की बात ध्यान से सुनी। सभाओं में आमतौर से मैजारिटी से फैसला होता है, एक तिहाई कोरम है या एक चौथाई कोरम है। अगर कोरम पूरा होगा तो फैसला मैजारिटी से होता है, लेकिन इस ऐक्ट में विशेषता यह है कि "मेजारिटी आफ दी पंचेज शैल फार्म दी कोरम"। एक प्रदेश में यह व्यवस्था भी संभव है।

में माननीय सदस्यों से पंच और गांव सभा में कोई भेद न करके गलत बात कह कर, अपनी बात मनवा लूं ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। लेकिन इस बात की तरफ फिर ध्यान दिलाऊंगा कि "मैजरिटी आफ दी पंचेज शैल फार्म दी कोरम" कोरम होने के बाद बहुमत से ही फैसला होता है, लेकिन यहां कोरम ही मैजारिटी आफ दी पंचेज है, यह नई बात है। यह पंजाब और मध्य भारत की बातें रहीं। कल ब्रजबिहारी मिश्र जी ने कह दिया कि दुनिया की किसी किताब में ऐसा नहीं है। मैं इसी प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट १९२२ की धारा ४९(१) की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। उसमें यह है—

"49 (1) The quorum necessary for the transaction of business which is required to be transacted by special resolution shall be one half of the total number of members of the board for the time being."

वह कोरम स्पेशल लेजिस्लेशन के लिये आधा होगा। मैं इसी के साथ साथ धारा ११९ पढ़ देना चाहता हूं कि स्पेशल लेजिस्लेशन किन-किन विषयों में होता है। ११९ धारा में यह है।

"119--Upon receipt of the copy of the rules sent under the preceding section, the board shall by special resolution direct the imposition of the tax with effect from a date (to be specified in the resolution) not less than six weeks from the date of such resolution."

तो विशेष परिस्थितियों में कोरम आधा रख दिया है और ४९ की धारा (२) जो है उसमें लिखा है—

"The quorum necessary for the transaction of any other business shall be one third of such total number of members."

और साधारण परिस्थितियों में वह कोरम एक तिहाई होगा। जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित है वहां आपने संशोधन द्वारा इस बात का प्राविजन किया है कि साधारण कार्यों के लिये कोरम १/५ होना चाहिये। लेकिन ऐसे प्रस्तावों पर जिनमें टैक्सेशन पर विचार हो रहा है उनके लिये गांव सभाओं का कोरम आधा होना चाहिये। अब माननीय ब्रजविहारी मिश्र जी सम्भवतः इस बात के समर्थक हो गये होंगे कि विशेष परिस्थितियों में जहां टैक्सेशन का सवाल हो वहां कोरम आधा होना चाहिये। पंचायतों की पापुलरिटी के ख्याल से और माननीय मंत्री की इस भावना की कद्र करते हुये कि यह टैक्स नहीं है बल्कि स्वेच्छा से अर्थ दान है मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी अब इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और मेरी हिम्मत कुछ और इसलिये बढ़ जाती है कि उन्होंने अभी तक इस संबंध में अपनी कोई राय नहीं दी है। उनका प्रथम और आखिरी भाषण एक ही होगा। इसलिये आशा है कि वह इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक खास बात को जो मैंने किसी और अवसर पर कही थी काफी दोहराया गया। मैंने किसी वक्त यह कहा था कि जो लोग स्वयं अपने ऊपर टैक्स लगाते हैं अर्थात् टैक्स लगाने वाली अथारिटी दूसरी न हो और जिन पर टैक्स लगाया जाय वे भी दूसरे न हों तो वे जो स्वयं अपने ऊपर टैक्स लगाते हैं वे एक प्रकार का दान देते हैं। मैं अब भी यह कहता हूं कि जो गांव सभा वाले अपने ऊपर टैक्स लगाते हैं और अपनी भलाई के कामों को समझ कर स्वय अपने ऊपर टैक्स लगाते हैं तो उन्हें लगाना चाहिये कहीं कोई गलती हो गई हो तो सवाल दूसरा है। लेकिन आधा कोरम कर दिया जाय और जो भाषा इसमें लिखी हुई है उसका जो मतलब मैं समझता हूं वह यह है कि एडजर्न्ड मीटिंग में भी आधा कोरम होना जरूरी है।

"Provided further for the meetings of the Gaon Sabha in which resolutions regarding taxation will be considered, one half of the total number of members of the Gaon Sabha shall form the quorum"

[श्री मोहनलाल गौतम]

यह, चाहे जितनी इच्छा हो तो भी ऐसा होना असंभव सा हो जायगा। टैक्स लगाते वक्त ज्यादा से ज्यादा आदमी वहां मौजूद हों, ऐसी इच्छा होते हुये भी मुझे यह व्यवहारिक मालूम नहीं होता। इसलिये कि चाहे जितनी हम कोशिश करें चाहे जितनी गेंदासिंह जी एटीपर्दा कान्फ्रेंसेज करते रहें, लेकिन यह बात मान कर चलना होगा कि एक लाख ग्यारह हजार गांवों में, या साढे ३६ हजार गांव सभाओं में जहां कि गेंदा सिंह जी के प्रचार से प्रभावित हो कर एंटी पर्दा मूवमेंट काफी सक्सेसफुल हो गया हो, लेकिन ५००, ७०० गांव सभायें ऐसी हों जिनमें गेंदा सिंह जी का प्रचार सफल न हुआ हो और वहां स्त्रियां बैठकों में न आयें और काम करने वाले व्यक्ति जो वोटर हैं वे इधर-उधर काम करने चले जाते हैं तो बहुत संभव है कि बहुत सी गांव सभाओं में सारे व्यक्ति उपस्थित होना भी चाहें तब भी आधी संख्या भी न हो सके। इसलिये मुझे यह व्यावहारिक मालूम नहीं होता। आज कल के गांव में ७, ७ और ८, ८ यूनिट्स मिल कर गांव सभायें होती हैं। उनमें सारे लोग इकट्ठा होकर एक ही दिन आ सकें और इधर-उधर न जायें लेकिन पुरुषों की संख्या आधी न हो तब भी इस कोरम का होना असंभव हो जायगा। जो टैक्स लगाया जाता है उसके पहले पंचायत में प्रोपोजल्स होते हैं और गांव सभा के सामने वे आते हैं। फिर वे प्रोपोजल गांव पंचायत के सामने जाते हैं। इसका काफी लम्बा प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी माननीय सदस्य ने मूव कर दिया और उन्होंने टैक्स लगा दिया। पहले एक मीटिंग होगी उसमें। ये बजट प्रोपोजल्स आयेंगे। ऐसा ही है कि चाहे जब मीटिंग हो गई जब चाहा तब टैक्स लगा दिया। ऐसा उस विधान में विसुएलाइज नहीं किया जा रहा है। इसलिये मेरी मजबूरी है क्योंकि यह कार्य को सुगम नहीं करेगा बल्कि कठिन बनायेगा। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (२) के अन्त में "पूर्ण विराम" के बजाय, कोलन रखकर निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय—

"Provided further that for the meetings of the Gaon Sabha in which resolutions regarding taxation will be considered, one half of the total number of members of the Gaon Sabha shall form the quorum.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर बिभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२३
विपक्ष में—९४)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १२

प्रू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नयी धारायें 11-A 11-B और 11-C का बढाया जाना।

१२—मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नयी धारायें 11-A, 11-B और 11-C बढा दी जायं—

Election of Pradhan

"11-A. (1) The President shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed and he shall be called Pradhan.

(2) The term of office of the Pradhan shall be 5 years from the date of his election : Provided that the State Government may by notification in the official *Gazette*, extend the term for a total period not exceeding one year.

(3) The notification under sub-section (2) may be published at any time before the expiry of 5 years aforesaid or where the period has been extended before the expiry of such extended period.

Election of Up-Pradhan.

11-B. (1) The Vice-President shall be elected annually by the Gaon Panchayat from amongst its members in such manner as may be prescribed and he shall be called Up-Pradhan.

(2) The term of office of Up-Pradhan shall be one year from the date of his election.

Prohibition of holding office simultaneously in Gaon Panchayat & Nyaya Panchayat and in more than one Goan Sabha.

11-C. No person shall simultaneously hold any office :—

(*a*) both in the Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat, or

(*b*) in more than one Gaon Sabhas and the rules may provide for [the vacation by a member who is so chosen to two such offices for the vacation] of one or the other office."

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में प्रस्तावित नई धारा 11-A की उपधारा (1) निम्न प्रकार से रख दी जाय :—

"(1) The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them by ballot"

अध्यक्ष महोदय, जिस धारा में मैंने यह संशोधन चाहा है वह इस प्रकार है :—

"The President shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed and he shall be called Pradhan"

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि प्रैसीडेंट की जगह प्रधान रख दिया जाय।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, आगे धर्मसिंह जी का भी संशोधन है जिसमें यही दोनों बातें हैं तो वह भी साथ ही ले लिया जाय। मैं अपनी राय एक साथ दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—अच्छा पहले त्रिपाठी जी खत्म कर लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय मंत्री जी मेरी पहली बात तो शायद स्वीकार करने जा रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वह बैलट की है। बैलट की महत्ता के बारे में ज्यादा बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में प्रायः सभी संस्थाओं में बैलट का सिस्टम रखा गया है, एक दो को छोड़ कर। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में मार्किंग सिस्टम है। मुझे पूरी आशा है कि जो विधेयक लाया है उसमें भी बैलेट से चुनाव रक्खा जायगा। प्रधान का चुनाव बैलट से ही होना चाहिये। बैलेट से चुनाव होने में मेरा ख्याल है सदन के किसी भी सदस्य को कोई एतराज नहीं होगा। हालांकि जमींदारी एबालीशन हो गया है, लेकिन आज भी गांवों की परिस्थिति यह है कि लोग सरकारी अधिकारियों और पुलिस से मिल कर गड़बड़ी करते हैं और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं, धमकी देकर झूठे केसेज फंसा कर इस बात पर जो जोर डालते हैं कि वोट उनके पक्ष में डाल दी जाय। पिछले चुनाव, जो चार वर्ष पहले हुये थे काफी संख्या में ऐसी शिकायतें आयी थीं। ऐसे लोग जो अभी तक शोषित रहे हैं, जिनका शोषण होता रहा है, वे अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक तो नहीं हो गये हैं कि इस पवित्र काम के लिये अपनी जायदाद का नुकसान करें या किसी झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के लिये तैयार हों। इस विधेयक से यह भी प्रतीत होता है कि गांव सभा के क्षेत्रों को चुनाव क्षेत्रों में भी बांटने की व्यवस्था की गयी है और यहां

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

तक भी संभावना है कि जिस प्रकार टाउन एरिया कमेटी में, नोटीफाइड एरिया कमेटी में, या म्युनिसिपल बोर्ड में सिम्बल सिस्टम की व्यवस्था की गयी थी, यह भी अपनाया जाय । माननीय मंत्री जी ने उसमें एक दो लकीरों की व्यवस्था कर दी थी। जब कि म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट पास हो रहा था उस समय माननीय स्वशासन मंत्री जी का ध्यान इस दिक्कत की ओर दिलाया गया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि नियम बनाते समय इसकी व्यवस्था कर दी जायगी । मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी सुन्दर व्यवस्था की और चिन्हों के साथ लकीरों का प्रयोग करके हमारी समस्या को हल कर दिया गया । इस विधेयक में इस बात का अंदेशा प्रकट किया गया कि कुछ गांव सभाओं के अंश बाकी रह जायेंगे, उनकी नामजदगी कर दी जायगी। लेकिन इसका विरोध किया गया था कि नामजदगी नहीं उसके लिये चुनाव होना चाहिये । २–२ मेम्बर या १–१ मेंबर की कांस्टीटुयेंसी कर दी जाय फिर हाथ उठाकर वोट लेने की आवश्यकता नहीं है । यह एक चालू तरीका है । मैं आशा करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इस पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री धर्मसिंह (जिलाबुलन्द शहर)—अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में धारा 11-A के उपखंड (1) में "President" के स्थान पर "Pradhan" रख दिया जाय और अंतिम शब्द" and he shall be called Pradhan" निकाल दिया जाय ।

यह एक टेकनिकल बात है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि कहीं प्रधान की व्याख्या की गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडिंग बिल के पेज ३ पर आया है (गग), उसमें है कि शब्द "प्रेसीडेंट" के स्थान पर शब्द "प्रधान" कर दिया जाय। जो डेफीनीशन है प्रेसीडेंट की उसमें जो डिफाइन्ड है कि आगे से हर जगह "प्रेसीडेंट" के स्थान पर "प्रधान" कर दिया जाय। (गगग) में है कि शब्द "वाइस प्रेसीडेंट" के स्थान पर शब्द "उप प्रधान" रख दिये जायं। ये दोनों चीजें आ गयी हैं। इसलिये "ऐंड ही शैल बि काल्ड प्रधान" रिडेंडेंट सा है। इसलिये "प्रेसीडेंट" की जगह 'प्रधान" कर दिया जाय तो ज्यादा सही होगा ।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी ने जो यह बात कही वह बहुत मुनासिब नहीं है। इसलिये कि यह तो सही है कि (गग) में आया है कि जहां-जहां शब्द "प्रेसीडेंट" आया है वहां-वहां पर शब्द "प्रधान" रख दिया जाय, लेकिन जब तक उसका एक्सप्लेनेशन क्लाज में नहीं लाया जाता, जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करते तब तक "प्रेसीडेंट" की जगह पर "प्रधान" रखने से काम नहीं चलेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह चीज तो अवश्य है कि "दि प्रेसीडेंट शैल बि एलेक्टेड बाई दि गांव सभा ऐंड ही शैल बी काल्ड प्रधान" यह तो मुनासिब है लेकिन "प्रेसीडेंट" की जगह, "प्रधान" करने के लिये उसका एक्सप्लेनेशन क्लाज लाना जरूरी है ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। जहां तक बैलट के सिद्धांत का प्रश्न है और .....

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने पेश किया है उसका

पहला अंश जो प्रेसीडेंट के प्रश्न के बारे में था उस पर विवाद जारी था। मेरी समझ में इसी पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह पहले तय हो चुका है कि दोनों एक साथ ले लिये जायं, इसलिये इसके ऊपर बहस हो सकती है।

महराजकुमार बालेन्दुशाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री के मुंह से हमने कई बार यह सुना और बहुत सही उन्होंने कहा कि यह कुछ लोगों का गलत विचार है कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल एलेक्शन से ही है।

माननीय मंत्री महोदय ने बहुत सही कहा कि यदि हम यह समझें कि एलेक्शन बार-बार कराने और एलेक्शन की सुविधाओं में कमी करके ही हम डेमोक्रेसी के रास्ते में जा रहे हैं तो यह एक गलत विचार होगा। इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और मेरा विचार है कि इस सदन के सभी सदस्य मानेंगे कि डेमोक्रेसी और एलेक्शन दोनों एक ही चीज नहीं हैं हालांकि एलेक्शन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और हालांकि मैं यह मानने को तैयार हूं कि एलेक्शन से डेमोक्रेसी समाप्त नहीं होती है किन्तु उससे यह परिणाम निकलता है कि बगैर एलेक्शन के और डेमोक्रेसी जिस सूरत में आज कल प्रचलित है उससे डेमोक्रेसी स्थापित नहीं की जा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि एलेक्शन के द्वारा हम किस बात की ओर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि एलेक्शन से हम किस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और इस संबंध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि एलेक्शन द्वारा हमारी कोशिश यही रहती है कि जनता अपनी इच्छानुसार अपने प्रतिनिधियों को चुने चाहे वे असेम्बली के लिये हों, चाहे हाउस आफ दि पीपुल के लिये हों उसका मुख्य कर्त्तव्य यह है कि निष्पक्षतापूर्वक और किसी प्रकार के दबाव से दूर होकर अपनी राय जाहिरा प्रकट कर सकें। इस संबंध में हमको इस संशोधन को देखना है। माननीय मंत्री महोदय इन विचारों से सहमत होंगे कि उनकी भी यह इच्छा है कि जितने भी चुनाव के उपाय किये जाते हों, या जहां आशा की जाती हो कि जनता के प्रतिनिधि आयें तो उनके विभाग पर किसी प्रकार का दबाव या किसी संस्था का दबाव न पड़े और जनता अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि छांटें। प्रश्न यह है कि क्या जिस रूप से इस बिल में यह क्लाज है अगर उसको संशोधित न किया जाय तो क्या उसको कार्यान्वित करने में अर्थात् जनता अपने सही प्रतिनिधि छांटने में सफल होगी या नहीं। इस बारे में अधिक कहना आवश्यक नहीं कि अब भी वातावरण केवल गांवों में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश में ऐसा बन जाता है कि एलेक्शन चाहे गांव सभा का हो या हाउस आफ प्युपिल्स का हो कि जहां एलेक्शन की बू पैदा हो जाती है कि वहां एक से एक दल और व्यक्ति टपक पड़ते हैं। सभी लोग वहां अपना महत्व सिद्ध करने के लिये पहुंच जाते हैं। तो जब कि हम ऐसा वातावरण पाते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि ऐसे वातावरण में हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम जनता के सामने ऐसे उपाय रखें ताकि ऐसे वातावरण के बावजूद भी जनता अपने प्रतिनिधियों को भली भांति छांट सके। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां पर जनता को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह अपने प्रधान को स्वयं छांटे तो यह भी आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान वातावरण को ध्यान में रखते हुये प्रधान का चुनाव सीक्रेट बैलट द्वारा हो। इस संबंध में मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी के सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा होगी और वह है कि यदि सीक्रेट बैलट द्वारा चुनाव होगा तो अधिक पैसे के खर्च का अन्देशा है और पैसे का खर्च होना आवश्क है या नहीं इस संबंध में भी मुझे संदेह है। जिस प्रकार असेम्बली के या हाउस आफ न्यूपिलस के मेम्बर्स का चुनाव हुआ उसी तरह से यह चुनाव करना आवश्यक नहीं है। इन प्रधानों के चुनाव में और गांव सभाओं के चुनाव में इतनी फारमेलिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किन्तु केवल एक बड़े बरतन और शायद चने के बीज, उर्द के बीज, अरहर के बीज आदि छोटी-छोटी चीजों से काम चल जायगा जो गांवों में पाई जाती हैं। उनको प्रयोग में लाया जा सकता है और सरलतापूर्वक बगैर अधिक खर्च के जनता की राय प्रकट की जा सकती है।

[महराजकुमार वालेन्दुशाह]

इसलिये मैं इस बात पर भी संदेह प्रकट करता हूं कि फाइनेन्शियल आस्पेक्ट की भी कोई भारी दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर को मान लीजिये कि इस तरह का खर्च होगा तब भी मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह उस खर्च को इतना महत्व न दें। मैं मान चुका हूं कि एलेक्शन मीन्स टु एन एन्ड है लेकिन वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्सटीट्यूशन बन गया है कि एलेक्शन केवल गांव सभा या गांव समाज के ही नहीं बल्कि वह तो देश भर में आगे होते ही रहेंगे। इसलिये यह आशा की जाती है कि ग्रामीण जनता ऐलेक्शन के महत्व को भलीभांति और पूर्ण रूप से समझे। यदि उनको डेमोक्रेसी के इस महत्व अंग अंग से पूर्णरूप से परिचित कराने में कुछ पैसे भी लग जायें तो मैं समझता हूं कि वह बेलवर्थ होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ओर फाल्स एकानामी का कदम न उठा कर मंत्री महोदय इस सीक्रेट बैलट के कार्य का श्रीगणेश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अधिक न कह कर मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि जो भी इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हों, जो भी फायनेंन्शिय डिफिकल्टीज हों उनसे हम बहुत हद तक सहमत होने के लिये तैयार होंगे, किन्तु हम इस बात को दोहरायेंगे कि मंत्री महोदय का कर्त्तव्य है कि यदि वे ग्राम समाज में जनतंत्र के इस छोटे से रूप को लाना चाहते हैं तो जनता को मौका दें कि वे अपनी इच्छा को प्रकट कर सकें और वह इच्छा तभी प्रकट हो सकती है जब उन्हें इस बात की सुविधा दी जाय कि वे बिला किसी डर, किसी दबाव के बिना किसी पक्ष के अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। यह उनका कर्त्तव्य है और इसी कर्त्तव्य को वे इस तरह से पूरा करेंगे यदि वे ग्राम के चुनाव सीक्रेट बैलट के जरिये से उसके इंस्टीट्यूशन को ला कर चुनाव कराने की कोशिश करें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन में यह कहा गया है कि चुनाव जो ग्राम-सभा के प्रधानों के हों वह बैलेट के जरिये से हों। इसमें जहां तक प्रजातांत्रिक प्रणाली का संबंध है वह सीक्रेट बैलेट के जरिये से भी हो सकता है और हाथ उठाकर भी हो सकता है। हमें यह देखना है कि जितना बड़ा चुनाव कराना है वह सरलता से कैसे हो सकेगा। इस समय हमारे प्रान्त में करीब ३६ हजार ग्राम सभायें हैं जिसकी औसत प्रत्येक जिले में करीब सात सौ आती है और अब यह भी प्रपोजल हो रहा है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनी है और ग्राम पंचायतों की कमेटी है उसमें आपस में झंझट है इसलिये अब ग्राम सभायें ही बनाई जायें और यह प्रथा जाती रहे और अगर ऐसा होगा तो ग्राम सभायें ५० हजार से ऊपर चली जायेंगी और प्रत्येक जिले में एक हजार से ऊपर की तादाद में ग्राम सभायें होंगी। अब यह देखना है कि इनमें इस प्रकार के चुनाव जो हों वे सरलता से हो जायं, ज्यादा बोझ भी उन पर न पड़े और दिक्कत भी न पड़े। चुनाव कराने या तो नायब तहसीलदार या तहसीलदार जायेंगे या कानूनगो जायेंगे। यदि ये जाते हैं तो अब देखिये कि चुनाव कराने में कितना समय लगेगा। एक जगह का चुनाव सीधे हाथ उठा कर करते हैं तो एक दिन में होगा। अगर एक ग्राम सभा का चुनाव एक दिन में खत्म होता है और एक जिले में सात साढे सात सौ इस समय है और आइन्दा एक हजार हो जायेंगी तो एक हजार दिन हुये। जिले में आठ या दस या बारह कानूनगो होंगे तो उनको चुनाव कराने में सौ दिन से भी अधिक लग जायेंगे। अब जो बात माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने कही है उसके माने यही होते हैं कि गांव के जितने भी वयस्क मतदाता हैं उनको बहुत से हिस्सों में बांटें और बहुत हिस्सों में बांट कर अलग-अलग चुनाव करवावें। इसके लिये बड़ा भारी समय लगेगा, एक साल से ज्यादा एक जिले में लग जायगा तो बड़ी भारी परेशानी का काम हो जायगा, तमाम काम बन्द हो जायेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि हमारे जो और प्रशासन के कार्य हैं उनमें बड़ी अड़चनें पड़ जायेंगी। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि ज्यादा मुलाजिम रख सकें। उन्हीं नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों, एस० डी० ओज० और कानूनगोओं से काम लेना है, जोकि इस वक्त काम कर रहे हैं। उनके सामने में बहुत सी ड्यूटीज हैं, बहुत से कर्त्तव्य हैं, बहुत से दूसरे और भी काम हैं, जोकि उन्हें करने हैं और साथ

में चुनाव भी कराना है। इसलिये यह असंभव हो जायगा कि वह कोई भी काम ठीक तरह से कर सकें। इसलिये मुख्य विधेयक में जो प्रस्ताव है कि इसका तरीका प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी पर छोड़ दिया जाय वही ठीक मालूम होता है। जो प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी होगी वह जो मुनासिब तरीका होगा उसे तय करेगी। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि बैलेट का तरीका खराब है। यह जरूर अच्छा है लेकिन हमें देखना यह है कि वह तरीका कार्यान्वित भी हो सकता है या नहीं। अगर वह तरीका प्रयोग में हीं नहीं आ सकता तो उससे क्या लाभ हो सकता है। यह तो बात वही हो जाती है जैसे कि कल कहा गया था कि "न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी।" इसलिये ऐसा तरीका होना चाहिये जो अच्छी तरह से चल सके। इसलिये मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी से यही कहूंगा कि वह संशोधन को वापस ले लें और आज कल जो तरीका चल रहा है उसी को चलने दें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हाउस के सामने पेश है मैं उसकी मुखालिफत करने के लिये हाजिर हुआ हूं। चुनाव के दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो चुनाव हाथ उठाकर हो या बैलेट के जरिये से किया जाय। लेकिन बैलेट के जरिये से मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह हो सकता है कि एलेक्शन आफिसर मुकर्रर हो, लिस्टें तैयार हों और उसके मुताबिक प्रेजाइडिंग आफिसर मुकर्रर हों, बैलेट छपें, उनके ऊपर सील लगे, क्रास मार्क हो तब बैलेट से चुनाव किया जाय। एक तरीका यह भी हो सकता है जैसे म्युनिसिपल बोर्ड में प्रेसीडेंट का चुनाव है। म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर चुनकर आये, परचों पर मुहर लगी, वह तकसीम हो गये, मेम्बरों ने उनपर नाम लिख दिया और उनको कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट जज ने एनाउन्स कर दिया कि फलाने की इतनी राय है और फलाने की इतनी राय है। यह दोनों ही तरीके बैलेट के हैं। तो अभी यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो मौजूदा बिल है उसमें यही लिखा हुआ है कि प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी तय करेगी कि कौन सा तरीका हो, हो सकता है कि वे बैलट का ही तरीका रखे। चूंकि अभी निर्णय नहीं हुआ है इसलिये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा तरीका होगा। लेकिन हां, एक बात जरूर समझ में आती है और वह यह कि बहुत से ऐसे देहात हैं जिनके बाशिन्दगान की आबादी ७,७ हजार है। प्रेसीडेंट का चुनाव, प्रधान का चुनाव गांव सभा करने जा रही है। गांव सभा की तादाद हम नहीं कह सकते कि ६ हजार होगी, ५ हजार होंगी, ३ हजार होगी या कितनी होगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हजार से लेकर १५०० तक वहां के रायदेहेन्दगानों की तादाद होगी। उनकी गिन्ती हाथों द्वारा बहुत मुश्किल मालूम होती है लेकिन साथ ही साथ एक बड़े पैमाने पर बाई बैलेट एलेक्शन कराना भी बड़ा दिक्कत तलब मालूम होता है। उसमें खर्चा भी ज्यादा होगा। मैंने एक मेम्बर से पूछा था कि कितने खर्चे का अन्दाजा है तो मुझे यह बतलाया गया कि खर्चा करोड़ों में भी पहुंच सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जो कोई भी तरीका हो लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हाथ उठाने के अन्दर जो दिक्कतें हो सकती हैं गिनने में उनसे भी बचाव किया जाना चाहिये। साथ ही साथ एक बैलट का भी तरीका हो सकता है। वह तरीका यह है कि वहां मीटिंग में पर्चे तकसीम हो जायं और उनपर वह निशान लगादें और फौरन का फौरन वहीं पर वह तय हो जाय इसके जांचने के लिये किसी अच्छे आफिसर या तहसीलदार या किसी अच्छे मनुष्य को वहां पर भेजा जा सकता है और वह अपने सामने चुनाव करा दे। इसलिये बाई बैलेट की जो मौजूदा तरमीम है उसको सपोर्ट नहीं करता और माननीय मंत्री जी ने जो उसके अन्दर आलरेडी संशोधन रख दिया है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं इसलिये कि उसमें काफी गुंजाइश है और उसके अन्दर ऐसे तरीके बतलाये जायेंगे और रखे जायेंगे कि जिससे चुनाव अच्छी तरह से हो सके सहूलियत से हो सके और ईमानदारी से हो सके।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो त्रिपाठी जी ने संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। हमारे प्रांत में ३६ हजार से अधिक ग्राम पंचायतें

[श्री रामहेत सिंह]

हैं। अगले चुनाव तक यह ग्राम पंचायतें बढ़ेंगी या नहीं यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मौजूदा हालत में अगर हम फी पंचायत के हिसाब से औसत लगायें और ४० मेम्बर भी फी पंचायत रखें, तो ४० लाख से ऊपर बैलट बाक्सेज होते हैं, यानी फी मेम्बर हम एक बैलट बाक्स रखें तो १४ लाख के करीब बैलेट बाक्सेज होंगे, लेकिन यह असंभव है कि एक मेम्बर उसी हिसाब से खड़ा हो। अगर दूने भी मेम्बर खड़े हो जायं तो २८ लाख बैलट बाक्सेज की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त ३६ हजार जब ग्राम पंचायतें हैं, तो अगर फी पंचायत पांच आदमी भी पुलिस के रखे जायं तो १ लाख ४० हजार पुलिस के आदमियों की प्रबन्ध के लिये जरूरत पड़ेगी और जब हम इस प्रकार चुनाव करायेंगे तो हम गैर जिम्मेदार अफसरों को भी नहीं भेज सकेंगे, नहीं तो यह सवाल पैदा होगा कि लो साहब ऐसे आदमियों को भेज दिया जिसका गांव वालों से संबंध था या मुखिया से संबंध था। इस प्रकार नायब तहसीलदार से कम दर्जे का कोई आफिसर भेजा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि यदि किसी छोटे अफसर को भेजेंगे तो यह पक्षपात लगाया जा सकता है कि उस अफसर ने न्यायपूर्वक चुनाव नहीं कराया। ऐसे बीसों झगड़ों हमारे सामने आयेंगे और इतने तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों या गजटेड अफसरों के साथ साथ एक लाख ४० हजार के ऊपर पुलिस वालों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार वह बिलकुल जनरल एलेक्शन के जैसा ढांचा पैदा हो जायगा। इसलिये एक तरफ हम किफायतशारी की योजना बनाते हैं कि जहां तक हो किफायतशारी से काम होना चाहिये, और दूसरी तरफ हम ऐसी योजना बनाने का सुझाव दें जिससे बेकार का पैसा खर्च हो और कोई फायदा भी न निकले। तो ऐसा सुझाव मेरी समझ में नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों को पांच छः साल हो चुके हैं और इस दरमियान में ग्राम पंचायतों के प्रधानों की कार्यवाही से, सरपंचों की कार्यवाही से और पंचों आदि की कार्यवाही से हर शख्स यह समझ गया है कि हमको किसको प्रधान बनाना चाहिये, किसको पंच बनाना चाहिये, किसको सरपंच बनाना चाहिये और कैसे हमारा भला हो सकता है। हम किसी प्रकार यह नहीं कह सकते हैं कि इस तरह सब गलत आदमी ही चुने जायेंगे। दूसरी बात यह है कि जो बड़ा एरिया होता है उस बड़े एरिया में और छोटे एरिया में बहुत फर्क पड़ जाता है। कहा यह जाता है कि अगर दबाव से काम लिया गया तो ठीक आदमी नहीं चुने जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें शुबहा है कि यदि आप किसी ऐसे आदमी को चुन लें जिस का गांव गांव में असर न हो तो यह मेरी समझ में नहीं आता है कि वह गांव का इन्तजाम ठीक तरह से कर सकता है। मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं कि किसी ऐसे शख्स को चुन लिया जाय जो किसी तरह की बुरी आदत रखता हो और जो सब मामला चौपट कर दे। जैसा संशोधन रखा गया है अगर उसके अनुसार चुनाव होता है तो बहुत खर्चा होगा और इन्तजाम करना नामुमकिन हो जायगा और फिर भी हमारे मित्रों को यह शिकायत होगी कि निष्पक्ष तरीके से बैलट बाक्सेज नहीं रखे गये, ठीक प्रबन्ध नहीं किया गया, बीस तरह की बातें फिर भी उसमें पैदा होने वाली हैं। तो जब छोटा एरिया है, एक गांव का मसला है उसमें अगर हाथ उठाकर चुनाव हो जायगा तो कौन सी बड़ी भारी दिक्कत हो जायगी। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और जो मंत्री जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं आपकी आज्ञासे माननीय रामनारायण जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिन आदरणीय मित्रों ने अभी इस संशोधन के विरोध में जिन तथ्यों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है वे तथ्य काफी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उन सबके पीछे केवल एक ही भावना रही है और वह यह है कि माननीय रामनारायण जी का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है। ३६ हजार ग्राम सभाएं हैं, उनमें इतने आदमी हैं न जाने क्या क्या दिक्कतें हैं। इसलिये अव्यावहारिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने के कारण इस बैलट वाले प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाय। श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आया जो पिछले सालों से पंचायतों और ग्राम सभाओं के प्रबन्ध का उनको अनुभव हुआ है उससे कुछ लाभ वह ग्रहण करना चाहते हैं अथवा नहीं, एक तरफ तो माननीय मंत्री जी इस विधेयक में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जुडिशियरी एलेक्टेड नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री जी जो न्याय संगत सिद्धांत हैं उनकी ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। उनका अभी भी यह विश्वास है कि न्यायाधिकारियों को या जुडिशियरी को इलेक्टेड नहीं होना चाहिये। तो दूसरी तरफ क्या माननीय मंत्री जी यह महसूस नहीं करते कि किसी भी चुनाव को खुला हुआ नहीं होना चाहिये? मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या यह प्रजातंत्र का सार्वभौम स्वीकृत सिद्धांत नहीं माना गया है, पाश्चात्य की प्रणाली से ही नहीं बल्कि संसार की जितनी भी प्रजातंत्रवादी प्रणालियां हैं चुनाव को खुला हुआ नहीं होना चाहिये। आखिर ब्रिटेन में जब हम चुनाव इतिहास को देखते हैं तो बैलेट शब्द का जब से इस्तेमाल हुआ है, १९ वीं शताब्दी के मध्य में वह इसलिये हुआ कि चुनाव हर एक क्षेत्र में बैलेट पद्धति के अनुसार होना चाहिये चाहे वह काउन्टी क्षेत्र हो, चाहे बरो क्षेत्र हो, चाहे वह हाउस आफ कामन्स का चुनाव हो, सब में बैलेट पद्धति होनी चाहिये। यह इसीलिये हुआ क्योंकि ब्रिटिश जनता ने शताब्दियों के संघर्ष के बाद, प्रजातंत्र में शताब्दियों के अनुभव और उपयोग के बाद इस बात को महसूस किया कि खुला हुआ चुनाव सही माने में प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं कहा जा सकता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आज वह महसूस नहीं करते कि मौजूदा चुनाव पद्धति से ग्राम सभाओं में जातिबाद को बढ़ावा मिल रहा है। क्या आज वह इस बात को महसूस नहीं करते कि ऐसी पार्टीबाजी से जो व्यक्तिगत गुटबन्दी है, जिसके पीछे कोई आदर्श नहीं होता, जिसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं होता, जिसके पीछे एक छोटे से गांव की बिरादरी के दृष्टिकोण की भावना होती है आज गांवों का जीवन चौपट हो रहा है? क्या आज माननीय मंत्री जी को यह बात देखने में नहीं आती कि आज चाहे कितनी भी अच्छी बात क्यों न हो अगर गांव का एक हिस्सा उसे मंजूर करता है तो दूसरा हिस्सा उसका इसलिये विरोध करता है कि एक हिस्से ने उसे मान लिया है? तो अगर हमें ग्राम्य जीवन की नवीन रचना करनी है, अगर हमें पंचायत राज के आदर्श को वास्तविक रूप में ग्रामीण जनता के सामने रखना है तो इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि वहां के चुनाव बिना किसी जोर जबरदस्ती के या बिना किसी बिरादरी की भावना से हो सकें।

दूसरी बात इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी चुनाव पद्धति में तारतम्य होना चाहिये। जहां कहीं भी बालिग मताधिकार के अनुसार चुनाव होता है, चाहे वह भारतीय स्तर पर हो, चाहे प्रदेशीय स्तर पर हो, चाहे शहरी स्तर पर हो हमको बालिग मताधिकार चुनाव के संबंध में एक समान पद्धति का अनुकरण करना चाहिये। अगर हम यह सोचें कि हाउस आफ पीपुल के एलेक्शन में या विधान सभा के चुनाव में बालिगों की वोटिंग बैलेट पद्धति से करेंगे और सोचें कि म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का चुनाव बैलेट पद्धति से करेंगे लेकिन जब गांवों का प्रश्न आता है, गांव सभा के सभापति का प्रश्न आता है वहां पर आप बैलेट पद्धति को ठुकरा देंगे। मैं इसको उपयुक्त नहीं समझता हूं। हमें चुनाव में एक समान नीति का अनुसरण करना चाहिये और प्रजातंत्र की नीति के अनुसार अनिवार्य भी है।

मैं इस संबंध में अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान कमेटी की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं जिस पर बहुत बड़ी बहस हुई थी। माननीय मंत्री जी देखेंगे कि कमेटी के सदस्यों की एक मत से राय थी कि वर्तमान चुनाव का तरीका जिसमें खुले रूप में से हाथ उठाये जाते हैं, ठीक नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया था कि हमें ग्राम सभा के ऊपर छोड़ना चाहिये, उन्हीं के ऊपर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

भार डालना चाहिये कि वह किसी प्रकार बैलट के अनुसार चुनाव करें। इसमें कमेटी ने सुझाव दिया था कि —

"It was suggested that the use of coloured earthen ware, empty tins or containers and use of coloured paper chits would perhaps enable the members of a Gaon Sabha to exercise their right of voting secretly."

कमेटी ने यह सुझाव भी दिया था कि पाश्चात्य प्रणाली को छोड़िये। लखनऊ में बैलेट पेपर्स मत छपवाइये, डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स के कंट्रोल में चुनाव होने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि हाउस आफ पीपुल्स का होता है। क्या आप एक दिन में चुनाव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसी पिछले चुनाव में प्रांत में अलग अलग तारीखें थीं? एक ही क्षेत्र में तीन-तीन तारीखें पड़ीं। आप नया तरीका निकालिये। आप ग्राम सभा के चुनावों में नया तरीका अपना सकते हैं। नये तरीके के अपनाने के संबंध में जिले के क्षेत्रों को बांटा जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि फलां तारीख को इतनी ग्राम पंचायतों का चुनाव होगा। अध्यापकों की सहायता भी ले सकते हैं। आप किसी रंगीन कागज पर मार्किंग करके नया तरीका निकाल सकते हैं। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि आप बैलेट पद्धति को ही ठुकरा दें यह कह कर कि इस पर इतना खर्चा पड़ेगा। आप वही पुराना तरीका जिससे पार्टीबाजी, गुट्टबाजी और वर्गवाद बढ़ता है, उसी को कायम रखना चाहते हैं।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस कमेटी के सामने माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी राय दी थी लेकिन कमेटी के सदस्यों की यही नीति रही कि इस संबंध में गांव सभाओं को पूरे अधिकार मिलने चाहिए कि वह सीक्रेट प्रणाली के अनुसार अपने यहां चुनाव कर लें। अन्त में उनकी सिफारिश यह थी:—

"The consensus of opinion in the committee was that Gaon Sabha should have the choice of electing their President or Vice-President by making such arrangements as they may like or deem adequate for ensuring secrecy of voting."

यह कमेटी की राय है। क्या माननीय मंत्री जी जिनको इस कमेटी का चेयरमैन होने का सौभाग्य प्राप्त था और जिस चीज को कमेटी ने एक राय से तय किया था उसको ठुकराने जा रहे हैं, क्या वह बैलट पद्धति को ठुकराने जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि मंत्री जी के ऐसे विचार नहीं हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी और आदरणीय सदन प्रजातंत्र पद्धति को देखते हुये और उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये इस गुप्त मतदान पद्धति को किसी भी तरीके से लाने की चेष्टा करेंगे ताकि सही माने में उनका सुधार हो सके और अच्छे आदमी उनके चुनाव में आ सकें जिससे ग्राम्य जीवन स्मृद्धि को प्राप्त हो सके।

†श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं इसलिये कि जहां चुनाव होते हैं, उनमें जो गड़बड़ियां होती हैं और बेईमानियां होती हैं उन पर अगर विचार किया जाय तो हमें यह कहना पड़ेगा कि अगर वोटिंग के सिस्टम में ठीक तरीका नहीं रखेंगे और उसमें बेईमानी होने की गुंजाइश रहेगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके लिये कोई ऐसा तरीका हम सोचें जिसमें कि बेईमानी होने का अन्देशा न रहे। हाथ उठाकर काउंटिंग करने का जो तरीका है उसमें जमींदारों के दबाव से या और जो अक्खड़ लोग होते हैं उनके दबाव से या जो गुन्डे जमींदार लोग खरीदकर लाते हैं, उनके दबाव से लोग हाथ ही नहीं उठाते और इतना ही नहीं बल्कि भाग भी जाते हैं जिससे कि वोटिंग न हो सके। ऐसी अवस्था में यह तो साफ है कि अगर हम उनको पूरा अधिकार न दें वोट देने का तो यह पंचायतें व्यर्थ हैं। उनको इस प्रकार का अधिकार देना कि हाथ उठाकर

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वोट करें, इसमें दुनिया भर की बेईमानियां होंगी और इस तरीके से वोटिंग कराने से कोई लाभ नहीं है। काउंटिंग आफिसर २० का ५० और ५० का १० करके जिसको चाहे कामयाब बना दे और जिसको चाहे नाकामयाब बना दे, इस तरह से इसमें हजारों बेईमानियां होंगी। ऐसी अवस्था में मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि देहातों के अन्दर जितनी बेईमानियां एलेक्शन के जमाने में हाथ उठाकर वोटिंग के तरीके से होती हैं उतनी और किसी दूसरे तरीके से नहीं हो सकती हैं। पिछली बार भी इसी वजह से बड़ी बड़ी धांधलियां की गईं। जहां चार चार हजार वोटर थे वहां २०-२० और २५-२५ आदमियों की वोटिंग कराके जिसको चाहा उसको बना दिया। इस तरीके से जिसको देहात के आदमी अपना प्रधान बनाना चाहते हैं, उसको न बनाकर उनकी इच्छा के विपरीत आदमी को उनका प्रधान बना दिया गया और और भी तमाम गड़बड़ियां की गईं। यह कहा गया कि इस पर खर्चा बहुत होगा। खर्चा हो यह ठीक है। खर्चा कम करने के और दूसरे तरीके हो सकते हैं। यहीं पर खर्चा बचाया जाय, यह तो उचित नहीं है। बहुत सा खर्चा इन पंचायतों के सिलसिले में आफिसरों आदि के ऊपर रखा गया है। हम आफिसर्स को हटाकर असिस्टेंट्स को रखने का अधिकार प्रधान को दे दें और इस तरह के कागजात को रखने के लिये असिस्टेंट रखकर अगर वह अपना काम कर लेता है तो बहुत सा खर्चा जो हो रहा है वह बच सकता है। तो ऐसी अवस्था में मैं यह कहता हूं कि खर्चे का ख्याल करके इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये, जिसमें कि गड़बड़ी हो और बेईमानियां हों। यह मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन मौजूदा जो क्लाज है उसमें यह पासिबिलिटी है कि माननीय मंत्री जी या गवर्नमेंट अगर चाहे तो वह सीक्रेट वोटिंग करा सकती है। अभी पिछले दिनों म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव हुये हैं। उसमें भी आपने देखा कि बैलट के जरिये से चुनाव किया गया। तो वह इसमें भी हो सकते हैं। जरूरत तो आज इस बात की है कि गवर्नमेंट इस चीज को महसूस करे कि जो इस तरह की बेईमानियां एलेक्शन के दौरान में होती हैं उनको कैसे रोका जाय। इसलिये मैं इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं चाहता हूं कि रूल्स के अन्दर यह चीज आ जाय और मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह इस सिस्टम को सिद्धांततः हमेशा के लिये मान ले, क्योंकि रूल्स में भी यह किया जा सकता है तथा और तरीके भी अख्तियार किये जा सकते हैं। इसलिये मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार इन दिक्कतों को देख कर कोई भी ऐसा रास्ता निकाले, जिससे ईमानदारी से चुनाव हो सके। खास तौर से उन तबकों के लिये जो हमेशा से दबे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं उन तबकों के लिये इंसाफ मिलना ही चाहिये नहीं तो उनके साथ इंसाफ होना नामुनासिब हो जायगा।

(इस समय १ जकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री धर्मसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11—A (i) में "may be prescribed" के स्थान पर "decided upon by the Gaon Sabha" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---सवाल यह है कि जो त्रिपाठी जी का अमेंडमेंट चल रहा है उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं लेकिन कोई नया अमेंडमेंट मूव नहीं कर सकते।

श्री धर्म सिंह---जो मूल धारा है उसमें अमेंडमेंट रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---इसका इस वक्त मौका नहीं है। जो चल रहा है उसी को चलने दीजिये।

श्री धर्मसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण जी के संशोधन पर ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---उस पर तो शायद आप एक दफा बोल चुके हैं।

श्री धर्म सिंह---मैं नहीं बोला।

श्री मोहन लाल गौतम---वस्तुस्थिति यह है कि पहले राम नारायण जी का अमेंडमेंट आया था और उसके साथ साथ धर्म सिंह जी का अमेंडमेंट भी ले लिया गया, जिसकी संख्या २७(ख) है और उन्होंने जो कुछ इस संबंध में कहना था वह कहा। जब ये दोनों संशोधन साथ साथ हैं तो मेरा यह ख्याल है कि पहले धर्म सिंह जी उत्तर दे लें, फिर राम नारायण जी उत्तर दे लें और बाद में मैं उत्तर दे दूंगा। उसके पश्चात् वोट ले लिया जाय और आगे चला जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अगर प्राइमाफेसी मंत्री जी की बात सही मालूम होती है तो मैं कुछ कहूं लेकिन अगर रूल आउट कर देते हैं तब मुझे कहने की कुछ आवश्यकता नहीं होगी। धर्म सिंह जी ने अपना संशोधन जब मूव किया तो उनके बोलने के पश्चात् बहुत से सदस्य खड़े हुए थे। माननीय अध्यक्ष ने एडजर्न होने के पहले कहा था कि सबको मौका मिलेगा लिहाजा इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह मेरे और मैं उनके संशोधन पर बोल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---जब दो संशोधन सदन के सामने हैं और जो पहले न बोला हो वह उन पर बोल सकता है। अगर धर्म सिंह जी चाहें तो अपने संशोधन पर या राम नारायण जी के संशोधन पर बोल सकते हैं।

श्री धर्मसिंह---राम नारायण जी ने जो अमेंडमेंट रक्खा है मैं उस पर बोलना चाहता हूं।

जहां तक इस खंड का संबंध है बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं। हमारे एक दोस्त ने कहा कि अगर इलेक्शन हम बाई बैलेट से रख लेंगे तो इसमें खर्चा बहुत बढ़ेगा और उसमें पुलिस के द्वारा प्रबन्ध करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जब ३६ हजार पंचायतें होंगी तो उसके इन्तजाम के लिए इतने आदमी कहां से लाये जायेंगे। जब हम डेमोक्रेसी की बात कहते हैं और उस तरह के वातावरण में जाते हैं तो मैं यह समझता हूं कि डेमोक्रेसी के नाम पर या उस डेमोक्रेसी की बात कहने पर यदि हम उस प्रणाली को और उस वातावरण को नहीं अपनाते हैं जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं या जनतंत्र कहते हैं तो उसमें कामयाबी नहीं हो सकती। यह मानी हुई बात है कि वह सिक्रेट बैलेट होगा और उसमें बहुत से आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन जब वहां पर ग्राम सभायें प्रधान को चुनने जायंगी वहां पर जैसा कि प्रणाली है जैसा कि आजकल इस तरह की गांवों में बातें हैं कि वहां पर दो पार्टी हैं तो उन दोनों पार्टीज में व्यक्तित्व के नाम पर या अन्य किसी नाम पर अगर लड़ाई होगी या लड़ाई झगड़े का वातावरण वहां पर होगा तो फिर समझ में नहीं आता किस प्रकार से वहां पर हाथ उठाकर ग्राम सभा द्वारा प्रधान का चुनाव किया जा सकता है। यह मानी हुई बात है कि जब हम पंचायतों के पुराने रिकार्ड को देखते हैं या पुरानी उन बातों को देखते हैं और यह हमारे मुल्क का या हमारे उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि उसमें यहां पर जमींदारी प्रथा जो थी उसमें जमींदारों का इस तरह का प्रभाव था और बहुत से गांवों में जैसा कि मैंने पहले कहा कि छोटे आदमी या बड़े आदमी की भावना को लेकर इस प्रकार की बातें गांवों में चली आ रही हैं कि जिनसे वहां पर एक फ़िक्शन पैदा हो रहा है जिस फ़िक्शन की वजह से वहां पर एक बड़ी दिक्कत है। उस गांव का रहने वाला एक छोटा आदमी अगर एक पार्टी की तरफ जाता है तो उसका वैसे नुक्सान होता है और अगर वह दूसरी पार्टी की तरफ जाता है तो उससे भी उसका नुकसान होता है। जब यह हम देखते हैं कि दोनों पार्टीज के अन्दर तनातनी है और वहां पर पुलिस का प्रबन्ध होगा नहीं और जो गांव के सदस्य होंगे वही चुनकर वहां पर आये होंगे और वही प्रधान को चुनेंगे तो फिर समझ में नहीं आता कि आप आखिरकार किस प्रकार से वहां प्रबन्ध करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पुरानी बातों की वजह से वहां पर फ़िक्शन पैदा हो जाता है और पार्टी-बाजी वहां पर चली आती है। हम तो यह भावना वहां पर देखते हैं कि जिस पार्टी के लोगों को कोई छोटी कौम का आदमी चाहे वह कोई भी हो अगर वह गरीब आदमी उनको वोट

नहीं देता है या उनके खिलाफ अपने भाव व्यक्त करता है तो वहां पर हमेशा के लिए उनमें दुश्मनी पैदा हो जाती है और आप जानते हैं कि उस दुश्मनी का नतीजा बुरा ही होता है।

जहां तक बैलट की बात है उसमें लाभ भी है और नुक्सान भी है। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि बाई बैलट भी नहीं हो सकता है क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से आप कर सकते हैं लेकिन उसमें खामी है और लाभ भी है और नुक्सान भी है और खर्च भी है। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि आप प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के लिए कोई ऐसा प्राविजन लायें जिसका अभिप्राय यह हो कि ग्राम सभा के लोग अगर चाहें और वहां पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होने की बात हो तो वह पंचायत के सेक्रेट्री या किसी अन्य लेखपाल वगैरह को नियुक्त किया जाय जो उसके मुताबिक प्रबन्ध करे। मेरा मतलब इस बात से बिलकुल नहीं है कि बैलट पेपर रखा जाय। उनका बाद में चल कर काउंटिंग हो और बाकायदा रिजल्ट डिक्लेयर हो। उसके बाद पेटीशन्स हो सकें, यह अलहदा तरीका हो सकता है। लेकिन अगर कहीं गांव में लड़ाई होती है या वहां ऐसा अंदेशा है तो आप बैलट भी न रखें और साथ में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में इस तरह का प्रावीजन हो कि जहां इस तरह का अन्देशा हो वहां लोग अपना वोट ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकें। तो कोई सेक्रेट्री या कोई सरकारी अधिकारी या मुअजिज आदमी वहां जाय जो पर्चियां प्रत्येक गांव सभा के सदस्य को बांट दे, जिन्हें वे सन्दूक में डालें। वहां पर काउंटिंग होकर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाय और साथ में यह कह दिया जाय कि किसी को एतराज की बात नहीं है। इस तरह से पार्टीबाजी नहीं होगी और हाथ उठाने का तरीका भी निकल जायगा। बैलट का खर्चा भी बच जायगा यद्यपि वह बहुत ही अच्छा तरीका होता। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में इस तरह की बातें ले आवें जिससे पार्टी बाजी न हो। यदि गरीब आदमी अपना वोट स्वतंत्रता से नहीं दे सकेगा तो पंचायतों से कोई-लाभ नहीं होगा। मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा रास्ता अपनावें जिससे गलतफहमी और पार्टीबाजी होने से बचे और वोटर इस प्रकार वोट दें कि वे वहीं खुल जावें और नतीजा डिक्लेयर हो जाय।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--मैं एक संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि संशोधन पर संशोधन उपस्थित करने के लिए कब तक आज्ञा देते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि संशोधन पर संशोधन पहले ही आ जाना चाहिये था और उसका नोटिस होना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस पर वादानुवाद काफी हो चुका है।

श्री मलखान सिंह--काफी नहीं हुआ है और काफी समय से भी नहीं चल रहा है। मैं कई दफा खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि क्लोजर का प्रस्ताव तभी आया है जबकि काफी समय से वादानुवाद हो रहा होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय सदस्य एक संशोधन रखना चाहते हैं। हमारे नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है संशोधन में संशोधन के लिए कि ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिये। जब आपकी कृपादृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वह खड़े होकर अपनी बात कह सकेंगे। अगर और लोग संशोधन पेश करना चाहें तो उनको भी आप अधिकार दे दें। माननीय मलखान सिंह जी का संशोधन इस समय आप लेकर उसके बाद अपना फैसला दे दें।

श्री मोहन लाल गौतम--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मलखान सिंह अपना संशोधन उपस्थित कर दें फिर क्लोजर उपस्थित कर दिया जाय।

श्री मलखान सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण जी के संशोधन में अपना यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि "ballot" के बाद पूर्ण विराम को हटा दिया जाय, उसके बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं-

"and by symbol system of voting"

श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य कुछ भाषण भी देना आवश्यक समझते हैं ?

श्री मलखान सिंह--जी हां, अभी मेरे एक भाई कह चुके हैं कि हाथ उठाने की प्रथा हर प्रकार से निन्दनीय घोषित की जा चुकी है और मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी मेरे माननीय भाई ने बतलाया कि हाथ उठाकर जब गांवों में वोटिंग होती है तो विपक्षी लोग जन्म भर उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। इसलिये जैसा कि रिपोर्ट में भी बताया गया है किसी भी सदस्य ने जो कि वहां कमेटी का मेम्बर था इस बात के पक्ष में अपना मत प्रकट नहीं किया कि हाथ उठाने का सिस्टम किसी भी तरह से सराहनीय है या ठीक है। इसलिये मैं आपके सामने यही कह देना चाहता हूं कि बार बार यह दुहाई दी जाती है कि बैलेट के जरिये से चुनाव कराने में खर्चा अधिक होगा। मैं तो कहता हूं कि प्रधान के चुनाव के सिलसिले में यह बात कहना वस्तुस्थिति से अलग हो जाना होगा। एक गांव में अधिक से अधिक १ हजार निवासी होते हैं। इस प्रकार गांव सभा के ज्यादा से ज्यादा ५०० वोटर होंगे और ज्यादा से ज्यादा दो तीन पार्टीज होंगी और अगर तीन पार्टीज भी हुई तो ५०० वोट तीनों में बंट जायंगी। अगर सिंबल सिस्टम रक्खा गया और रंगित पर्चियां रख दी गयीं तो चुनाव में ज्यादा देर नहीं लगेगी फिर शुमारी भी वहीं हो जायेगी, न कोई देर लगेगी और न कोई दिक्कत होगी, रिजल्ट भी फौरन ही एनाउन्स कर दिया जायगा। जो कहते हैं कि फौज बुलानी होगी, पुलिस बुलानी होगी, यह सब गलत है। आप चाहे जिससे पूछ लीजिये और मुझे इसका जाती अनुभव है कि गांवों में अगर एक भी पुलिस का सिपाही चला जाता है तो आतंक रखने के लिये वही काफी है। एक हेड कानिस्टेबिल या थानेदार चला गया, डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार चला गया, वही काफी होगा। एक घंटे में सारा काम खत्म हो जायगा एक तहसील में एक दिन लगेगा और एक जिले में ज्यादा से ज्यादा ६ तहसीलें हैं, इस प्रकार से चुनाव एक हफ्ते में समाप्त हो जायगा। बैलट बाक्सेज भी बनवाने की जरूरत नहीं है, खजाने में बहुत से पड़े हुए हैं। उनको इस्तेमाल किया जा सकता है जैसा मैंने बतलाया कि सिम्बल सिस्टम से बहुत आसानी हो जायगी; वे लोग अपने अपने चिन्हों वाले बक्सों में वोट डाल देंगे और कोई गड़बड़ न होगी। हाथ उठाने का तरीका बहुत ही गलत है उसमें आंख मिचौनी हो सकती है। कोई कितने भी हाथ उठाये लेकिन जो डिप्टी साहब और दूसरे दो आदमियों ने कह दिया वही ठीक है। अगर उन्होंने कह दिया कि इधर के १०० और उधर के ८० हाथ उठाये गये तो बस। फिर किसी की सुनवाई नहीं हो सकती। जो उन्होंने कागज में लिख दिया वही चुना जायगा। तो मेरी समझ में नहीं आता, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, उन्होंने ठीक ही कहा कि एक तरफ तो आप प्रजातंत्र का ढोंग रचते हैं और दूसरी तरफ एक तरफ़ की डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। यह तो मुनासिब बात नहीं है और जब तमाम हिन्दुस्तान में आपकी पार्लियामेंट का एलेक्शन होता है, म्युनिसिपैलिटीज का एलेक्शन होता है, असेम्बली का एलेक्शन होता है, कौंसिल का एलेक्शन होता है, यानी तमाम देश में एडल्ट फ्रैंचाइज के जरिये, बैलट बाक्सेज के जरिये एलेक्शन होता है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि उस रिवाज को क्यों तोड़ें ? ग्राम सभाओं के लिए यह एक मामूली बात है। आप चाहते ही नहीं हैं कि ग्राम सभायें कुछ सीखें और वे जो आज तक बदनाम हो चुकी हैं आप उनकी बदनामी भी दूर करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिये मैंने एक बात आपसे सीखी है और मैं आज तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह सरकार किसी भी भलेमानुष की बात सुनने के लिये तैयार नहीं है। जो कुछ वह तय कर लेती है उसको पूरा करने के लिये आपका हाथ उठवा लेती है क्योंकि बहुमत उसके साथ है इसलिये वह जो कुछ चाहेगी वह तो तय हो ही जायगा। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यहां पर मेरे भाई और दूसरे लोग जिस तरह से वाद विवादकरते हैं वह वादविवाद उन्हीं के लिए है और शायद मुझे भी उसी स्तर पर उतरना पड़े। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस स्तर पर मैं आऊं। मैं अपनी

नम्रता के साथ माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कम से कम हाथ उठाने का जो सिस्टम है यह किसी प्रकार भी शोभनीय नहीं है, उचित नहीं है और जनतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है। इसलिये मैंने जो सुगम रास्ता माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन में पेश करके बतलाया है उससे बड़ी आसानी हो जायगी। तीन घड़े ले लीजिये, चार घड़े ले लीजिये और उनको रंग दीजिये पीले, लाल, काले रंगों में और वहीं के वहीं पर उनके वोट डलवा लीजिये। इससे कहीं लाठी नहीं चल जायगी। डिप्टी के सामने, एक तहसीलदार के सामने या एक हेड कांस्टेबिल के सामने आजकल के जमाने में गांव वालों को हिम्मत नहीं होगी कि लाठी चलायी जाय। वहां चुनाव अच्छी तरह से हो जायगा। आप इस काम को करके देख लीजिये। माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन में जो मैंने अपना संशोधन पेश किया है, मुझे आशा है कि त्रिपाठी जी उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामलखन मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर अब सम्पूर्ण वादविवाद बन्द किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--अभी क्लोजर मूव करना ठीक नहीं है। अभी हम लोग इस संशोधन पर बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--लेकिन क्लोजर तो पहले ही मूव हो चुका है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्री मलखान सिंह जी के संशोधन पर हम लोगों को बोलने की इजाजत दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस पर क्लोजर मूव हो चुका है और इस विषय पर बहस भी काफी हो चुकी है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि उन्होंने माननीय श्री रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन पर क्लोजर मूव किया हो।

श्री उपाध्यक्ष--फिर भी क्लोजर तो मूव हो ही चुका है।

श्री रामलखन मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय पर सम्पूर्ण वादविवाद बन्द करने के लिए प्रस्ताव किया है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जो वादविवाद इस वक्त सदन के सामने चल रहा है उस सम्पूर्ण वादविवाद को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव पेश किया है।

प्रश्न यह है कि अब इस विषय पर बहस समाप्त की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--५३

विपक्ष में--१७।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस पर इधर और उधर से काफी पक्ष में और विपक्ष में बातें हुई हैं। उस तरफ से कोई खास ऐसी दलीलें नहीं दी गईं कि जिनकी वजह से साबित हो सके कि सदन इस बात को तय करेगा कि बैलट से वोटिंग न हो। दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया। टाउन एरिया कमेटी के चुनाव में भी व्यवस्था रखी गई है कि फौरन उसी वक्त काउंटिंग हो जाय तो अच्छा होगा और नियमित होगा और इसी तरह से गांव सभाओं में भी हो सकता है। दूसरे खर्च का सवाल उठाया गया। खर्च के बारे में बात यह है कि खर्च तो अवश्य होगा सरकारी नौकरों के वहां पहुंचने में चाहे आप कोई भी तरीका रखें। बैलट बाक्सेज तो मुस्तकिल तौर पर गाडरेज टाइप के हैं ही उनको चाहे जहां इस्तेमाल करें लेकिन अगर सरकार उनको भी

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इस्तेमाल करना न चाहें तो घड़ों से काम चला सकती है उससे मुंह को सख्त कागज से बन्द करके गले में रस्सी बांध दिया जाय और एक सूराख उसमें कर दिया जाय तो काम भी चल जायगा और खर्च भी कम होगा। जिस तरह से देहात में खंजड़ी बनाते हैं उस तरह से मजबूती से घड़े का मुंह बन्द कर दिया जाय। वैसे खर्च का तो सवाल नहीं है बैलट बाक्सेज तो साथ ही जा सकते हैं आपके अफसरान के। इसके अलावा मैं सदन का ध्यान उपस्थित बिल की तीन चार धाराओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। मूल अधिनियम की धारा १३ में प्रस्तावित उपधारा १२ के खंड ५ को आप देखें।

"The area of a Gaon Sabha may be divided by the prescribed authority into such number of constituencies as may be convenient for the purpose of election."

यह व्यवस्था है कि छोटे चुनाव क्षेत्र बनाये जा सकते हैं और उनमें इस बात का प्राविजन किया जा सकता है, सिंगिल मेम्बर हो या दो दो तीन तीन मेम्बर हों। अब यह गया चुनाव में समय ज्यादा न लगे और किसी खास समय के अन्दर चुनाव कराना जरूरी है तो इसके लिये खंड १४ में प्रस्तावित जो धारा १२ (बी) है, वह इस प्रकार है--

"Notwithstanding anything contained in sections 11-A, 11-B, sub-section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of Pradhans of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including (*pances*) Panches of Nyaya Panchayats in the whole State or in any specified area thereof."

तो इससे कोई ऐसी पाबन्दी सरकार के लिये नहीं है कि एक समय में सारे स्टेट में चुनाव करायें जायं। तो अगर हम इस गुप्त मतदान के महत्व को स्वीकार कर लेते हैं और उसमें थोड़ा समय लग जाय तो लग जाय लेकिन किसी को निराशा नहीं होगी। लेकिन मैं अन्त में माननीय मंत्री जी का ध्यान उनकी ही रिपोर्ट की तरफ दिलाता हूं। पंचायत राज अमेंडमेंट ऐक्ट कमेटी की रिपोर्ट के पेज ८ के १४ वें पैरे पर साफ लिखा है--

"The committee devoted several hours to the discussion on the question of the mode of the election of the members of Gaon Panchayat, the Pradhan and Up-Pradhan. Many members of the committee stated, from personal experience, that the only way to preclude the bullies corrupt and influential men from grabbing power in a Gaon Sabha was to introduce secret voting.

It was also felt that in an election by show of hands casteism and communalism were likely to predominate."

तो रिपोर्ट का भी यही निश्चय है कि बैलट से ही वोटिंग होनी चाहिये। इस कमेटी ने काफी परिश्रम किया। माननीय स्वशासन मंत्री जी और अन्य माननीय सदस्य भी इसके सदस्य थे और वे काफी वादविवाद के बाद इस नतीजे पर पहुंचे। मेरे इस संशोधन को कमेटी की राय से भी काफी बल मिलता है, इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेगी।

श्री धर्मसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसको पेश किया था, मैं इसको अब माननीय मंत्री जी के ऊपर छोड़ता हूं अगर वे इसे उचित समझते हैं तो स्वीकार करें और अगर नहीं समझते हैं तो इसे उनके ऊपर छोड़ता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक धर्म सिंह जी के अमेंडमेंट का संबंध है वह अगर स्वीकार हो जाय और अगर न स्वीकार हो तो दोनों हालतों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जो धारा हम स्वीकार कर

चुके हैं पेज तीन पर ४ (गग) और ४ (गगग) कि "प्रेसीडेंट" की जगह "प्रधान" रख दिया जाय और "वाइस प्रेसीडेंट" की जगह "उपप्रधान" रख दिये जायं तो फिर जब प्रेसीडेंट की जगह प्रधान हो गया तो "ही शैल बि काल्ड प्रधान" रिडन्डेंट सा हो जाता है। अब--

"The Pradhan and Up-Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed and he shall be called Pradhan."

तो वह दोनों में एक सा हो जाता है लेकिन उसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक धर्मसिंह जी का संशोधन है, मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन जहां तक राम नारायण जी के संशोधन का प्रश्न है उसमें काफी बहस हुई। मुझसे कई प्रश्न पूछे गये। तिवारी जी ने दो एक प्रश्न मुझसे पूछे हैं और उन्होंने कहा है कि बैलेट हर जगह जहां भी डिमोक्रेसी होती है वहां होता है और इस संबंध में मेरी निजी राय पूछी है। उसके संबंध में मेरी निजी राय यह है कि यहां गांव सभाओं के चुनाव में बैलेट को अख्तियार करना ह्यूमन नेचर की वीकनेस को साबित करता है और जितनी जल्दी वह दूर हो सके उतना अच्छा है। जितनी दलीलें इस सदन में दी गईं जो बैलट के हक में हैं वह यही हैं कि गुंडे दबाव डालेंगे, बेईमानी होगी, दुश्मनी होगी और आगे रगड़ होगी। यह सब ह्यूमेन नेचर की वीकनेस हैं। अगर ह्यूमेन नेचर से ऊपर उठ सके तो हमें आशा करनी चाहिए कि वह भी ऊपर उठेंगे और फिर गांव सभाओं में बैलेट पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप यह कहें कि आज बैलेट की जरूरत है या नहीं तो मैं कहूंगा कि आज वह स्थिति है। यह मैं मानता हूं कि बैलेट के गुप्तदान की जरूरत है और अगर बैलेट द्वारा चुनाव हो तो उसमें ज्यादा झगड़े नहीं होंगे। इसलिये मैं बैलट पर जहां तक बहस-मुबाहसे का सवाल है उसके विरोध में बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं उसके गुणों को मानता हूं और जितनी बातें कही गयी हैं उनमें मुझे किसी का जवाब नहीं देना है। वैसे तिवारी जी ने एक बात और कही थी, बिरादरी के बारे में, वह भी मैं मानता हूं कि अगर इस देश में डेमोक्रेसी को कायम करना है तो इस जातिवाद को, बिरादरी को और कास्टिज्म को बिल्कुल ख़त्म करना होगा। मैं कह सकता हूं कि एलेक्शन के दिनों में मैंने पब्लिक मीटिंग्ज में साफ साफ कहा था कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं और मुझे ब्राह्मण के नाते से कोई ब्राह्मण वोट न दे। तो मैं तो अपने को साफ समझता हूं और इसमें दो रायें नहीं मानता, बल्कि अमल करने के लिये भी तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी बिरादरी का भूत हम सब से अलग हो जाय उतना ही अच्छा है क्योंकि यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी का कारण है। ऐसी सूरत में प्राविन्शियलिज्म जहां नहीं है वहां हमको बिरादरी और जातिवाद ने कमजोर बना रखा है, ऐसी मेरी धारणा है। इसलिये मैं सबके साथ हूं और इस बात को दूर करना चाहता हूं और जहां तक मुझसे हो सके मैं सहायता देने के लिये भी तैयार हूं। * मैंने निवेदन किया कि मैं इसकी खूबियों को मानता हूं, इसलिये किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

मैं उसकी कुछ दिक्क़तें समझता हूं। जब लोकल बाडीज के बारे में म्यूनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज की बात आई थी उस वक्त भी मैंने उस संशोधन को नहीं माना था क्योंकि दिक्क़तें उस वक्त नजर आती थीं। जब तक कि उनको हल न किया जाय उन पर अमल नहीं हो सकता। इसलिये जब उन दिक्क़तों को हल कर पाये तब दोनों चुनाव म्युनिसिपल बोर्ड के भी और टाउन एरिया के भी बैलेट से कराया गया। इस वक्त भी वही दिक्क़त हमारे सामने है। एक तो मैं निवेदन करूं कि हालांकि इस रिपोर्ट में है कि सीक्रेसी के लिये अगर कोई तरीका निक ला जा सके तो अच्छा है, घड़ा रख लें, घड़ों को रंग दें, ऐसा कुछ कर दें लेकिन मैं कहता हूं कि गांव सभा वाले अगर और कोई तरीका अख्तियार करना चाहें तो उसमें क्या दिक्क़त है। उनको महदूद कर देने की क्या जरूरत है।

अगर कानून में आप बैलेट कर देंगे तो उसका अर्थ यह है कि बैलेट बाक्सेज होने चाहिये। अब मैं आपसे निवेदन करूं कि कितने बैलेट बाक्सेज होंगे। जैसा कि कई बार निवेदन किया जा चुका है कि अगर हर रेवेन्यू विलेज की एक गांव सभा बन जाय तो ६५-७० हजार के क़रीब

[श्री मोहनलाल गौतम]

गांव सभायें बन जायंगी। एवरेज के हिसाब से अगर एक गांव सभा में ३० आदमी हों और सिंगिल मेम्बर कान्स्टीटुएन्सी बना दी जाय तो ६५ हजार भी अगर गांव सभायें हों तो ६५ जरब ३०, इतनी कान्स्टीटुएन्सीज हो जायंगी और हर कान्स्टीटुएन्सी में ३, ३ कैंडीडेट हों तो ६५ लाख बाक्सेज की आप को जरूरत होगी चुनाव कराने के लिये। बैलेट पेपर कितने होंगे? हमारे गांवों की तादाद ५ लाख के क़रीब है और वोटरों की तादाद ढाई करोड़ के क़रीब होगी। अगर तीन-तीन कैंडीडेट हुए तो साढ़े सात करोड़ वोटर हो जायंगे। इतने लोगों के वोट डलवाने के लिये कम से कम ९ करोड़ बैलट पेपर आप को छपवाने पड़ेंगे जिन्हें आपको गांवों में भेजना पड़ेगा। एक चीज तो यह है। तो अगर हम गांव वालों पर ही छोड़ दें कि अगर वे चाहें तो घड़ा इस्तेमाल करें, उर्द, चना, चावल जो भी चाहें रंग लें और उसका प्रयोग करें, यह उनके ऊपर है। लेकिन उसको बैलेट से वोट कराना नहीं माना जा सकता क्योंकि बैलेट से वोट कराने में वह तमाम चीजें आजायंगी जो कि उसके लिये जरूरी हैं। उस वक्त बैलेट पेपर होने चाहिये, बैलेट बाक्सेज होने चाहिये, उसके बाद गिनती को चैलेंज करने का एलेक्शन पेटीशन में जो हक है उसके लिये बैलेट बाक्सेज बन्द कर के सुरक्षित होने चाहिये। अगर आप कानून में बैलेट लायेंगे तो यह सारी चीजें जरूरी हो जायंगी। अगर उन चीजों का तरीका आप अख्तियार करना चाहते हैं जैसा कि बालेन्दुशाह जी ने कहा कि आप मटर, मसूर, घड़ा या टिन कंटेनर्स आदि का प्रबन्ध कर सकते हैं, तो आप कानून में बैलेट नहीं ला सकते हैं। यह आप गांव सभा वालों पर छोड़ दें, चाहे वह हाथ उठा कर वोट दें, चाहे घड़े का प्रयोग करें या जैसा चाहें करें, लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप कानून में बैलेट न लावें। मैंने सिर्फ बैलट पेपर्स और बैलेट बाक्सेज के बारे में बतलाया और इस तरफ और भी माननीय सदस्यों ने इशारा किया है। इसके अतिरिक्त पुलिस वालों और अफसरों के बारे में बहुत बातें कही जा चुकी हैं और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मेरा कहना यह है कि कानून में "बैलेट" शब्द लाने में बहुत सी दिक्कतें हैं, फाइनेंसेज का भी सवाल है और बहुत सी ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टीज भी हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि जो कानून बनाया जा रहा है उसमें बैलट एक्सक्लूडेड नहीं है। इसलिये मेरा यह खयाल है कि जो इस वक्त कानून में है वह ठीक है और जो संशोधन है उसको मान लेने में बहुत सी दिक्कतें पैदा हो जायगी। इसलिये उस अमेंडमेंट को सदन मंजूर न करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री मलखान सिंह--हाथ उठाने के सिस्टम को एक्सक्लूड कर दीजिये और बाकी कोई सिस्टम रख दीजिये।

श्री मोहनलाल गौतम--कोई भला आदमी हाथ उठाना पसन्द नहीं करेगा, हाथ दिखलाना पसन्द करेगा?

श्री उपाध्यक्ष--मैं पहले श्री मलखान सिंह जी का संशोधन ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि नम्बर २७ पर माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन में "ballot" शब्द के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह (.) हटा दिया जाय और उसके बाद "and by symbol system of voting" ये शब्द बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में--१९

विपक्ष में--६१।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित नई धारा 11--A की उपधारा (1) निम्न प्रकार से रख दी जाय --

"The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon sabha from amongst them by ballot."

श्री जगन्नाथ मल्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विभाजन चाहता हूं और प्रार्थना करूंगा कि चूंकि यह बैलट का मामला है इसलिये लिखित विभाजन हो जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि लिखित विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है।

(विभाजन के बीच में)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न इस विषय का है कि .....

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)--जिस वक्त डिवीजन हो रहा हो उस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--श्रीमान् जी, उसके बाद तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न बेकार हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--डिवीजन हो जाने के बाद आप कहें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--उपाध्यक्ष महोदय, आप के कहने का तात्पर्य यह है कि गिनती का निर्णय आप पहले न दें।

श्री उपाध्यक्ष--वही मैंने तय किया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहले संशोधन पर विभाजन के समय दो मिनट तक घंटी बजी थी वह माननीय मलखान सिंह जी के संशोधन के लिये बजी थी। बाद को फिर से घंटी बजानी चाहिये थी क्योंकि और भी माननीय सदस्य आना चाहें तो नहीं आ सकते, क्योंकि दरवाजा बन्द है।

श्री मोहनलाल गौतम--जब कि डिवीजन हो रहा है तो दुबारा घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--घंटी तो दुबारा बजाई गई थी।

(प्रश्न हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१९

विपक्ष में--६२।)

श्री उपाध्यक्ष--मैं श्री धर्म सिंह से एक बात जान लेना चाहता हूं कि जो उनके संशोधन के शब्द हैं उनमें से शब्द "दिया" के बाद जो शब्द माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहे थे कि रिडेंडेंट है क्या, वह निकाल दिये जायं।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं तो पूरे संशोधन को मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ में धारा 11-A के उपखंड (१) में "President" के स्थान पर "Pradhan" रख दिया जाय और अंतिम शब्द "and he shall be called Pradhan" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ओंकार सिंह (जिला बदायूं)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से संशोधन पेश करता हूं कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-A की उपधारा (२) की पंक्ति १ में अंक "5" के स्थान पर अंक "3" रख दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन यह करना है कि जब माननीय मंत्री के भाषणों से बराबर यह साबित हो रहा है कि पिछले समय में पंचायतों पर उन्हें विश्वास नहीं रहा है।...

श्री मोहनलाल गौतम—क्वेश्चन, आप मेहरबानी कर के ऐसा इंटरफेर न करें।

†श्री ओंकार सिंह—ऐसी सूरत में कोई वजह इस बात की साबित नहीं होती है कि बजाय तीन साल के ५ साल कर दिया जाय। साथ ही साथ मंत्री महोदय यह भी नियम कर रहे हैं कि आइन्दा समय अब और बढ़ सकता है। ऐसी सूरत में कोई वजह साबित नहीं होती है कि खामख्वाह अभी ३ साल के बजाय ५ साल बढ़ायें जायं जब कि इस समय दूसरे ढंग का अनुभव करना है तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि बजाय तीन के पांच साल उसका समय रखा जाय। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय मंत्री जी से कि वह इस अनुभव को एक दफा तीन साल के वक्त में कर लें और उसके बाद चाहें तो पांच साल रखें। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से वह ऐसा करें। समय बढ़ाना तो उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, वैसे भी बढ़ा सकते हैं। यह कह कर मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं।

†राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे मित्र ओंकार सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, यह जो समय पांच साल का, ग्राम सभा के सभापति के लिये रखा जा रहा है, देखने में यह आया है कि तीन साल के समय में तो वह सभापति ग्राम सभा का ठीक काम करता नहीं और जब आप उसे पांच साल के लिये रखने जा रहे हैं तो यह तो और भी अनुचित है। इतना लम्बा समय उनके लिये रखना उचित नहीं है। यह पांच साल का समय जो धारा सभा और पार्लियामेंट के लिये नियत किया गया है तो वह तो इसलिये है कि वह पांच साल के अन्दर कुछ कार्य पूरा कर पायेंगे लेकिन ग्राम एक छोटी सी जगह है। उसमें अगर कोई आदमी पांच साल तक प्रधान के पद पर बैठा रहा और कुछ काम न किया तो फिर सारे ग्राम की उन्नति का कार्य बन्द रहेगा और मैं समझता हूं कि ग्राम सभा के लिये ५ साल अनुचित है। अगर आप उस समिति की रिपोर्ट को देखें जो कि इसके लिये बैठायी गयी थी तो उसमें भी यह है कि पांच साल का समय ज्यादा है और तीन साल ही शायद उसने भी रिकमेंड किया है। तो मैं यह कहूंगा कि यहां पर श्रीमन्, यह तीन साल न किया जाय। पार्लियामेंट, धारा सभा या और चुनाव के लिए पांच साल रखे गये हैं, ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में ग्राम सभा का क्षेत्र बहुत छोटा है और उसके लिये भी पांच साल का समय मुकर्रर हो यह अनुचित है। मैं समझता हूं कि अगर वह प्रधान अच्छा होगा तो वह फिर दूसरे चुनाव में भी आ सकता है। इसका कोई कारण नहीं है कि वह आदमी ५ साल तक प्रधान बना बैठा रहे और कोई कार्य न करे। इससे तो बहुत कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसलिये यह एक बहुत सीधा सा संशोधन है और मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यही एक दिक्कत हो सकती है, एलेक्शन की। तो श्रीमन्, यह तो अच्छा है, ग्राम में चहलपहल हो जायगी और अगर बजाय एक के दो एलेक्शन इतने समय में हो जायंगे तो उसमें सरकार को भयभीत नहीं होना चाहिये। अगर वह उसमें जीतती है तो इसमें भी जीतने की उम्मीद करे।

†श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय ओंकार सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों के तीन साल या साढ़े तीन साल के काम का कुछ अनुभव हमारे सामने है। हमको खुद इसका फैसला नहीं करना होगा कि पंचायतें ठीक तरह से चल रही हैं या नहीं, क्योंकि हमारे शिक्षा मन्त्री ने इलाहाबाद में अभी हाल में एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने पंचायतों के विषय में अपनी राय जाहिर की है, जिससे यह अन्दाज लगता है कि कैबिनेट के मिनिस्टर्स में भी आपस में इन पंचायतों के बारे में समझौता नहीं है कि पंचायतें अच्छी तरह से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो जब ऐसी चीज है और जब हमारी सरकार इस बात को

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी नहीं मान रही है कि बैलेट के जरिये से वोट लिया जाय, खुले हाथ उठा कर वोट लेने का तरीका रखा जा रहा है तो यह अन्देशा होता है और हो सकता है कि किसी के असर से कुछ ग़लत तरीके के लोग भी आ जायं। जब हाथ उठाने का प्रश्न आ जाता है उस वक्त लोगों की शकल देख कर के भी लोग असर में आ जाते हैं और हाथ उठा कर के प्रधान को छांट दिया करते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो कोई कारण हमारे सामने नहीं दिखाई पड़ता कि जो आज तक तीन साल की अवधि प्रधान के चुने जाने की थी उसमें कोई तब्दीली की जाय। इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। शायद वह इसीलिये पांच साल रखना चाहते हैं कि विधान सभा में मेम्बरों की अवधि पांच साल है। इसलिये कि पांच साल की हवा चली है उसी हवा को चलाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमें मौका देना चाहिये। तो हो सकता है, गलत आदमी छंट जायं और उन आदमियों को ५ साल तक बरदाश्त करें। वह शायद जनता के लिए कोई इन्साफ की बात नहीं करेंगे। वह जनता जो कि ग्राम पंचायतों के कार्य को अभी अच्छी तरह से नहीं समझ पायी है, समझने की कोशिश कर रही है उनको आज इस बात का मौका मिलना चाहिये कि गलत आदमी जो छंटे वह तीन साल के लिए ही रहें। जब इस साल पंचायतों का चुनाव एक साल के लिये बढ़ा दिया गया था तो जनता से बड़ी भारी मांग आयी थी। जनता ने इसका विरोध किया था कि पंचायतों के चुनावों की मियाद बढ़ायी जा रही है। पहले जब एक साल चुनाव बढ़ाने पर जनता की ओर से विरोध हुआ तो उससे हम इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह कहां तक उचित है कि तीन साल के बजाय पांच साल की मियाद रखी जाय। मैं समझता हूं कि खुद कैबिनेट में फैसला न हो जाय कि पंचायतें किस तरह से चलने वाली हैं तब तक के लिए कम से कम तीन साल की बात रखी जाय और जब पंचायतें अच्छी ढंग से चलने लगेंगी तो उस समय चुनाव का समय बढ़ा दिया जाय। उसके बाद माननीय मंत्री जी एक संशोधन ला सकते हैं कि तीन साल के बजाय पांच साल कर दिया जाय। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री राम हेत सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, ओंकारसिंह जी ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। उसका कारण एक तो यह है कि छोटे समय में कोई काम ठीक नहीं होता है। तीन साल का समय बहुत छोटा है। एक साल में तो चुनाव से फुरसत मिली और तीसरा साल आया तो फिर चुनाव की गुटबन्दी शुरू हो गयी। चुनाव ही चुनाव रहा। आखिर काम के लिए भी तो समय होना चाहिये। उसको दो चार साल मिल जायं, जिसमें वह ठीक तरह से काम कर सके।

तीसरी बात यह है कि जो भी योजना बनती है, पांच साल के लिये बनती है। इसी तरह से जो ग्राम पंचायत में काम होते हैं, वह भी अपनी योजना बनाते हैं। वह योजना पांच साल में पूरी होती है। तीन साल का अगर समय रखें तो चुनाव के झगड़े में ही खुल जाय। इससे गांव का भला नहीं हो सकता। पंच चुनना और न चुनना सब बराबर हो जाता है। क्योंकि यह आप भी महसूस करते होंगे कि जहां चुनाव का सवाल होता है गुटबन्दी शुरू हो जाती हैं। उस समय कोई काम नहीं होता। फिर दूसरे साल के आखिर में फिर वही काम शुरू हो जाता है। इसलिये ओंकार सिंह जी ने जो पांच साल की जगह तीन साल रखा है तो हर मामले में तीन पांच लगा देना समय को बरबाद करना है। कोई बात हो उसमें तीन पांच लगाने से कैसे काम चलेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इसे वापस ले लें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं माननीय ओंकार सिंह जी के संशोधन पर एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। और वह यह कि जहां माननीय ओंकारसिंह जी ने लिखा है कि अंक "५" के स्थान पर अंक "३" रख दिया जाय मैं चाहता हूं कि अंक "५" के स्थान पर अंक "४" रख दिया जाय।

एक कारण तो इसका यही है कि जो अभी-अभी शिकायत की गयी कि हर विषय पर तीन पांच लगायी जाती है.....

श्री उपाध्यक्ष—इसमें यही एक संशोधन आगे है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—क्योंकि प्रस्तावक महोदय और हमारी यह राय थी कि इसको संशोधन रूप में पेश कर दिया जाय इसलिये मैंने आज्ञा मांगी थी। इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह देख रहा हूं कि जब एक अलग संशोधन आया है तो इस समय संशोधन से वही संशोधन करने की क्या आवश्यकता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—इसमें एक यह दिक्कत पैदा हो जाती है कि संशोधित रूप में जब यह सदन इस संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो ओंकार सिंह जी को यह कहने का मौका हो जायगा कि उनका संशोधन स्वीकार नहीं हुआ। लिहाजा उनके संशोधन को ही संशोधित रूप में पेश किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन इसमें और भी संशोधन इसी तरह के मौजूद हैं।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि "पांच" की जगह पर जितने अंक वाले संशोधन हैं वे एक साथ ले लिये जायं और उन पर एक साथ बहस हो जाय और प्रस्तावों को बारी बारी से पुट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि पहले जिन सदस्यों के नाम ये प्रस्ताव हैं उनको पेश करने का मौका मिलना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें क्या आपत्ति है। जो संशोधन है उसमें संशोधन करने का अधिकार तो किसी माननीय सदस्य को है ही।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जिनके नाम पर वह संशोधन है वह इस सदन में उपस्थित भी नहीं हैं। फिर यह हरएक सदस्य को अधिकार है कि वह संशोधन पर संशोधन पेश करे अगर आपकी आज्ञा मिल जाय तो।

तो उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था मुझसे पहले वक्ता ने जो कहा कि तीन साल की अवधि बहुत कम है यह मैं मानने के लिए तैयार हूं। उन्होंने जो यह कहा कि पहला वर्ष चुनाव में बीत जायगा, तीसरा वर्ष भी चुनाव के सम्बन्ध में बीत जाता है और इससे नतीजा यह निकलता है कि केवल एक ही वर्ष चुनाव के लिए मिलता है। यह सही शिकायत है लेकिन मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि ऐसा भी पाया जाता है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हाल ही में पद मिला हो और उसको वह पद लम्बी अवधि के लिये दे दिया जाय तो उसका अहंकार स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। केवल गांव सभाओं के प्रधानों के सम्बन्धमें ही यह बात लागू नहीं होती बल्कि और भी ऊंचे ऊंचे पदों पर जो व्यक्ति हैं उनका भी अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उनकी अवधि बहुत लम्बी न की जाय। पिछले दिनों पंचायत राज्य की यही दो मुख्य शिकायतें रहीं। एक तो यह थी कि प्रधान और सरपंच पद ग्रहण करने के बाद उनका रुख एक दम बदल जाता था और जहां वे पहले जनता से हिल मिल कर काम करते थे, पद पाने के बाद जनता के हितों की ओर उनकी कम रुचि हो जाती थी। इसलिए मैंने यह सुझाव पेश किया कि यदि तीन के स्थान पर ४ रख दिया जाय और फिर संशोधन में जो यह लिखा है कि एक साल का एक्सटेंशन सरकार के अधिकार में रहेगा तो नतीजा यह होगा कि चार साल के बाद अगर आवश्यकता पड़े तो एक साल एक्सटेंड सरकार कर दे और ५ साल की अवधि के पश्चात् छठे साल चुनाव होना आवश्यक हो जाय। जिस तरह से असेम्बलियों का चुनाव हर छठे साल होता है उसी के साथ पंचायतों का चुनाव भी हर छठे साल यूनीफार्म पेटर्न होने लगेगा। मुझसे पहले बोलने वाले एक वक्ता ने पञ्चवर्षीय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हर योजना पांच साल की होती है। इसे मैं मानने के लिये तैयार

नहीं हूं। योजनायें विभिन्न प्रकार की होती हैं। ग्रामों की योजनायें कम ही ऐसी होंगी जो पांच साल तक फल देना शुरू न कर दें। वहां तो शार्ट टर्म योजनायें बनाना आवश्यक है ताकि जनता को कार्य का नतीजा देखने से उत्साह मिले। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से मंत्री महोदय से यह सिफारिश करूंगा कि वह ओंकारसिंह जी से संशोधित संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

†श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय सदन के सामने है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और एक प्रकार से अभी जिन माननीय सज्जन ने ४ साल का सुझाव सदन के सामने रखा, उसमें उन्होंने ४ साल या ५ साल या ३ साल इसमें से शायद उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की बात सोची हो और उसको उन्होंने सदन के सामने रखा हो। लेकिन इससे कितना लाभ होगा, इसके लिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह स्वयं विचार कर लें। हमारे देश में प्रजातंत्र शासन प्रणाली के अन्तर्गत पिछला आम चुनाव संसार का सब से बड़ा आम चुनाव हुआ और हमारे प्रदेश में जिसमें १,१३,४९५ गांव आज हैं और जिनकी संख्या जैसा कि अभी सदन के सामने आया कुछ घटने की आशा है। इसके पश्चात् फिर कितने गांव रहेंगे। और उनका चुनाव कितनी बार और कब-कब हो यह स्वयं एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे मित्र को उनका अनुभव है और उनमें से एक मैं भी भुक्तभोगी हूं और मेरे दूसरे मित्र भी उसका अनुभव करके ही यहां पर पधारे हैं इसके लिये कोई संशय की बात नहीं है। उस चुनाव में कैसी कठिनाइयां हमारे सामने आयीं और कितनी हमारी शक्ति का ह्रास हुआ और उसके बाद कितनी राजनैतिक कटुता की भावना पैदा हुई, यह सब हमारे चुनाव की देन है जो हमको इस पिछले चुनाव से मिली। वह इस देश को बहुत दूर ले जायगी या गांव-गांव की चौखट पर इस चुनाव राक्षस को रख देगी मैं नहीं समझता कि उसका अन्त कैसे होगा। चुनाव कार्य करने में प्रजातंत्र प्रणाली से काम लिया या माननीय मंत्री जी ने जैसा कि अपने प्रारंभिक भाषण में कहा था, मेरा भी यही विचार है और इस सदन का प्रत्येक सदस्य इस विचार से सहमत होगा कि अब यदि ३ वर्ष की बात इस ग्रामीण जनता के चुनाव के सम्बन्ध में कही जाय तो मैं स्पष्ट रूप से सदन से यह कहना चाहता हूं कि यह हमारी ग्रामीण जीवन के प्रति और हमारी ग्रामीण जनता के प्रति एक गहरी अश्रद्धा और संशय का द्योतक है। प्रधान बुरा हो सकता है और ग्राम सभा जिस प्रधान को चुनेगी वह भी बुरा है और हम लोग भी जो यहां पर चुनकर आये हैं बुरे हैं, यदि इस प्रकार से इसके अन्त तक जाया जाय तो इस देश में प्रजातंत्र का ढांचा केवल हास्यास्पद ढांचा बनकर ही रह जायगा। यदि हमको अपने चुनाव के सम्बन्ध में यह कहने का हक है कि हम लोग यहां पर नियमित रूप से चुनकर आये हैं और यदि हम संसार को यह कहते हैं कि हमारे देश की जनता के पास एक बहुत बड़ी बुद्धि थी और विवेक था कि जो उन्होंने सही कार्य किया तो मैं सम्मानपूर्वक इस माननीय सदन के सदस्यों से यह कहूंगा कि उनको कृपा करके उस ग्रामीण जनता की ओर भी उसी दृष्टि से देखना होगा कि जिस दृष्टि से वे अपनी ओर देखते हैं। मैं निश्चय ही इस भेद में नहीं पड़ता हूं कि ग्रामीण जनता अपने वहां प्रधान का चुनाव करने में गलती करेगी। अपने वहां के प्रधान का चुनाव करने में उनकी बुद्धि और विवेक गलत हो जायगा इस बात को नहीं मानता हूं। यदि यह सही है कि प्रधान का चुनाव करने में और पंचों का चुनाव करने में बहुत बड़ी कठिनाइयां आती हैं तो मैं इस बात को भी मानता हूं कि इसके संबंध में पार्टी बन्दी होती है और यहां पर दलगत बातें चलती हैं। वहां पर व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता है, राजनैतिक आदर्श सम्मान या श्रद्धा के लिये स्थान नहीं रहता है। किन्तु मैं यह भी ख्याल करता हूं कि इसके लिये ३ साल का समय अपर्याप्त है और गलत है। ३ वर्ष या ५ वर्ष में क्या अन्तर हो सकता है? ३ वर्ष के लिये चुनाव हो या ५ साल के लिये चुनाव हो, यह कौन से फर्क की बात है। ऐसी कौन सी बात है जो ३ साल के लिए कही जाय और ५ साल के लिये न कही जाय। या जो ३ साल के लिये गलत हो सकती

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

है और ५ साल के लिये गलत नहीं हो सकती। जहां पर आप ५ साल का समय उनके लिये रखते हैं तो उसके लिये आपके पास इस विधेयक में शक्ति भी प्राप्त है जिसके द्वारा उस प्रधान को हटाया जा सकता है और आप उसको हटा देंगे, इसके संबंध में भविष्य में बड़ी सतर्कता से काम किया जाय और अगर कोई सरपंच इस प्रकार चुना हुआ एक दिन के लिये गलत है तो वह ५ साल के लिये भी गलत है और ३ साल के लिये भी गलत है और न ५ साल के लिये ही वह ठीक है और न ३ साल के लिये ही ठीक है और ऐसे गलत आदमियों को हटाने के लिये यदि कोई व्यवस्था प्रस्तुत विधेयक में नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक की असफलता है। मैं इस समय सदन का समय न लेता यदि कोई सम्मानित सदस्य कहते कि इस बिल में ऐसी क्षमता होनी चाहिये कि अगर कोई गलत प्रधान है, कोई गलत सरपंच है, पंच है या अदालती पंचायत का सरपंच है तो वह अलग किया जा सके। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह ३ साल की बात ग्राम-वासियों के प्रति संशय और गहरी अश्रद्धा का कारण होगी और मैं चाहता हूं कि ऐसी बात न होनी चाहिये।

दूसरे तर्क को यदि स्वीकार किया जाय तो मैं निश्चयपूर्वक अपने मित्रों से सम्मानपूर्वक कहूंगा कि इन चुनावों के जल्दी कराने की बात से हमें सावधान रहना चाहिये। ५ वर्ष के समय की इस देश की और बहुत से देशों की एक परिपाटी सी है, अपने संविधान के अनुसार भी हम लोग ५ वर्ष के लिये ही यहां चुनकर आते हैं और जो व्यक्ति चुनकर आते हैं उनमें समझने की और कार्य करने की क्षमता होनी चाहिये। मेरे मित्रों ने आवाज उठाई और कहा कि सरकार गांवों में ५ साल तक अपनी फिजा कायम करना चाहती है। मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने ऐसा कह कर राजनैतिक कटुता का ही जिक्र किया और उनका ऐसा कहना भी राजनैतिक कटुता का द्योतक है जिसका मैंने जिक्र किया। श्री मदनमोहन जी उपाध्याय जिन्होंने इस फिजा का जिक्र किया मैं जानना चाहता हूं कि वह किस फिजा का जिक्र करते हैं। फिजा जिसको जनता जानती है, जिसके प्रति निष्ठा प्रगट करती है और फिजा किस बात की? यह फिजा है कि जिस से राजनैतिक जीवन का और प्रजातांत्रिक जीवन का प्रादुर्भाव हुआ और जिसको हम कायम रखना चाहते हैं इस देश में और हम उसके प्रति खिलवाड़ नहीं करना चाहते। इसलिये यह ३ वर्ष की बात करना अपने ग्रामवासियों के प्रति गहरी अश्रद्धा है, उनके प्रति संशय है और एक खिलवाड़ मात्र है।

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री कृपाशंकर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ३–४–५ के मसले पर जो बहस हुई और जो लोग ३–४ साल के पक्ष में हैं, उन्होंने जो दलीलें दीं वह यह मुमकिन है कि चुनाव में गलत आदमी आ जायं और प्रधान आदि के पदों पर वे ही जायें तो दिक्कत होगी, लेकिन हमारे माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने जैसा कि गलत आदमी तो तीन साल या पांच साल दोनों में ही आ सकते हैं, वे तो एक दिन के लिये भी गलत हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो चुनाव इस देश में हुआ है वह संसार में बड़ा चुनाव हुआ है उसमें भी हमने ५ साल की मियाद रखी है। दूसरी बात यह है कि जो गांव सभा का प्रधान होगा वही आगे चलकर बताया गया है कि वही ग्रामपंचायत का सभापति होगा और ग्रामपंचायतों की उम्र ५ साल की मानी गई है इसलिये यहां भी मियाद कम करना मुनासिब न होगा। इस तरह से अगर यहां ५ की जगह ३ साल रखते हैं तो ग्राम पंचायतों को भी ३ साल के लिए ही रखना पड़ेगा। सोचना यह है कि ३ साल में कोई पंचायत क्या काम कर सकती है। एक साल तो उसे सोचने में ही लग जायगा कि किस तरह से काम किया जाय और एक साल भी वह काम न कर पावेगी कि फिर ८–७ महीना पहले चुनाव का चक्कर शुरू हो जायगा? इसके मानी यह हुए कि उनको असल काम करने का मौका कम मिलेगा और जो हम चाहते हैं कि गांवों का काम आगे बढ़े, डेवलप हो वह सब गड़बड़ हो जायगा। जो गांव में पंच या सरपंच चुना जाय उस को तो तरक्की करने के लिये, स्कीम बनाने के लिए, सोचने के लिये और उसे कार्यान्वित करने के लिए समय और मौका मिलना चाहिये जो कुछ तब्दीली करनी हो वह करें और उसको

करने के बाद आगे बढ़े। तीन साल का मौका इतना कम है कि किसी भी काम को ठीक प्रकार से करने का मौका नहीं मिलता। यह भी कहा गया कि कोई खराब आदमी आ जायगा। मान लिया कि कोई खराब आदमी आ गया। आगे चल कर उसके लिये भी प्रावीजन है। अगर कोई आदमी खराब या बुरा काम करता है तो उसको उन प्रावीजन्स के अनुसार निकाल दिया जायगा। इसमें कोई डर की बात नहीं है। अगर वह कोई गड़बड़ करता है तो कानूनी अधिकारों के अनुसार उसको निकाला जा सकता है। इसलिये ५ वर्ष ही ठीक है। अतः जो संशोधन रक्खा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण अपना-अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मदन-मोहन जी उपाध्याय की बात का समर्थन करता हूं कि उन्होंने इन पंचायतों को इनफेन्ट बताया, तीन वर्ष का बच्चा ही होता है और फिर तीन पिक्कड, महाविक्कड़ भगवान शंकर के त्रिनेत्रहैं, जब वे तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सृष्टि भस्म हो जाती है। इसलिये हमारी संस्कृति में तीन की संख्या दोषपूर्ण मानी गयी है। इसलिये तीन साल के रखने में मुझे महान आपत्ति होगी। तीन साल में हमारे पंच इन्फेंट होंगे, उनमें ताकत और शक्ति कम होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल का बच्चा भी इस योग्य नहीं होता कि वह कोई बात समझ भी सके या बोल सके, लेकिन जब वह ५ वर्ष का हो जाता है तो ताऊ और चाचा कहने लगता है। ५ का अंक पवित्र है। पंच तत्व से ही सारी सृष्टि बनी है। हम सब भी उन्हीं पंच तत्वों के बने हुये हैं। सरकार ने बड़े सोच विचार के बाद ही इसको रक्खा है। हमारे देश में पांच नदी बहती है, पांचाल देश हो चुका है, पांच पांडव भी हमारे देश में थे।

इसके बाद मैं अपने दोस्त शाह साहब को बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से चार की संख्या भी अशकुन है। हमारी संस्कृति में ४ भी निषिद्ध है। तीन और चार दोषपूर्ण हैं। इसलिये इनका रक्खा जाना बिलकुल गलत है। मैं राजा साहब को बता देना चाहता हूं कि राजा लोगों के लिये समय इस वक्त बिलकुल उल्टा जा रहा है, पंडित भी उनके पास आजकल नहीं हैं। इसलिये उनको भी ४ के बजाय ५ को ही मान लेना चहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ३ और चार के अंक बिलकुल निरर्थक हैं इसलिये सरकार ने ५ वर्ष रक्खा है। हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही है। ५ साल के लिये असेम्बली के और ५ साल के लिये पार्लियामेंट के मेम्बर चुने जाते हैं। आज तमाम तरह की खुराफात करने के बावजूद भी माननीय अपोजीशन के नेता को हम निकालना भी चाहें तो नहीं निकाल सकते क्योंकि उनका समय ही पांच साल का है। अगर कोई प्रधान किसी गांव का नहीं हटता है तो कहा जाता है कि आर्डर इज आर्डर, रूल इज रूल, यह कोई हवाई बात नहीं है। इस तरह का नियम हमें सोच समझ कर बनाना है। मैं कहना चाहता हूं कि तीन का अंक बहुत दोषी है। कानपुर का जो एलेक्शन हुआ है वहां भी इसी कारण से हमारे सोशलिस्ट भाई पिट रहे हैं, त्रिशंकु की हालत है। इसतरह से मैं समझता हूं कि तीन का शब्द खतरनाक है। ५ का जो अंक रखा गया है वह बहुत मुनासिब रखा गया है। उन पंचों और सरपंचों को काम करने का अवसर दीजिये। पांच शब्द हमारे देश में बहुत पवित्र माना गया है। कहा जाता है पांच पंच परमेश्वर के तुल्य हैं। सारे पंचायत-राज की बेसिस इसी पर है, जिस प्रकार महात्मा जी ने कहा था कि रामराज्य गांवों में स्थापित होगा और उसी के लिये हमारी पंचवर्षीय योजना भी चल रही है जिसकी तरफ सारे देश की नजर लगी हुई है, रूस और अमेरिका भी हमारी तरफ देखते हैं और दुनिया का हर आदमी हमारे यहां सलाह लेने के लिए आता है। हमारा देश गणितज्ञ है, वह पंडित है, इसलिये हम गलत अंक नहीं रख सकते हैं। जो ५ का अंक रखा गया है वह निहायत सुन्दर है इसलिये जो उनका संशोधन है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने थोड़ी सी सीरियसनेस (गम्भीरता) लाना चाहता हूं। इस विषय पर भारतीय संविधान

[श्री रामलखन मिश्र]

की रचना काल से बहुत बार विचार हो चुका है। माननीय सदस्यों द्वारा भी बहुत विवाद हो चुका है कि कार्य करने की क्या इकाई मानी जाय वोट और कोर्ट का साथ है ? जब वोट होता है उसके बाद कोर्ट में जाना ही पड़ता है। एक बार वोट के मौके पर प्रकम्पन होता है और दूसरी बार कोर्ट में जाने पर प्रकम्पन होता है ? जब हमने संसद् में, विधान सभा में, म्युनिसिपैलिटीज में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में इस ५ वर्ष के कार्यकाल को रखा है तो यह बात अवश्यमेव सत्य मानें कि ग्राम पंचायतों के लिये भी आपको ५ वर्ष का ही समय करना पड़ेगा। क्योंकि वोट के बाद कोर्ट में जाने पर जो प्रकम्पन होता है उससे ह्रास होता है। तो ऐसी अवस्था में जो ५ वर्ष का सुझाव रखा गया है वह बहुत गम्भीरता के साथ सोच समझ कर रखा गया है। इसमें किसी तरह की चंचलता नहीं है। इसलिये ५ वर्ष का कार्यकाल अवश्य रखना चाहिये। ५ वर्ष के स्थान पर आप पर दो वर्ष रखें, एक वर्ष रखें, तीन वर्ष या चार वर्ष रखें लेकिन वह विचार उचित नहीं होगा। ५ वर्ष से छोटी इकाई ग्राम सभाओं के लिए है। इस कारण से इस विषय पर विशेष चर्चा करना नहीं चाहता क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने गम्भीरता के साथ इस पर विचार किया है इसलिये मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्यों के सामने फिर यह बात लायी जाय कि ५ वर्ष के स्थान पर कोई दूसरा अंक लाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार को प्रकट करता हूं और ५ वर्ष के कार्यकाल का समर्थन करता हूं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से क्लोजर का प्रस्ताव पेश करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि अभी माननीय गेंदासिंह जी बोलने के लिये खड़े हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय गेंदासिंह जी, अगर आप ५ वर्ष के स्थान पर एक वर्ष का संशोधन पेश करना चाहें तो पेश कर सकते हैं।

*__श्री गदासिंह__ (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता लेकिन असल में मैं इस राय का नहीं हूं कि एक वर्ष चुनाव की अवधि हो। मैं माननीय ओंकारसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि माननीय मिश्र जी ने जो कहा उस पर गम्भीरता से विचार करें। लेकिन उसके पहले जो बातें माननीय शिवनारायण जी ने जितनी गम्भीरता से कहीं उन पर भी उतनी ही गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है। उन्होंने ३ और ५ में बहुत अन्तर बताया है, और है भी ३ का। लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ३ बुरा अंक नहीं है। हमारे देश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन हैं, त्रिभुवन है, त्रिलोक है, और मैं अब समझता हूं कि शिवनारायण जी की राय बदल गई होगी और वह ३ को पसन्द करते होंगे। अगर उन्होंने नापसन्द भी किया तो मैं कहना चाहता हूं कि असल में पंचतत्व से अपने शरीर को उन्होंने अधम माना है। अब जैसी उनकी बुद्धि हो, मैं क्या कहूं उनसे ! हर सदस्य के लिये मैं यह नहीं कह सकता कि पंचतत्व से यह शरीर अधम है। हर माननीय सदस्य को हक है कि अपने को जो चाहे सो कहे। लेकिन मैं तो कम से कम माननीय शिवनारायण के शरीर को अधम नहीं मानता।

श्री शिवनारायण—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैंने यह कभी नहीं कहा।

श्री गेंदासिंह—संभव है मेरे कानों में दोष हो या उनकी याददाश्त का दोष हो लेकिन कोई ऐसी बात थी जो हमने सुनी माननीय शिवनारायण जी के मुंह से कि पंचतत्व से अधम शरीर बना हुआ है। बहरहाल, इस बात को अगर वह वापस लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि वह अपने शरीर को अधम नहीं कहेंगे और न हम लोगों को कहेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना यह चाहता हूं कि ३ वर्ष की मियाद रखी जाय। माननीय मिश्रजी ने कहा कि ३ के कुछ प्रकम्पन होते हैं और वे ऐसे होते हैं जो १ वर्ष इधर और १ वर्ष उधर और इन दोनों वर्षों में आदमी कांपता रहता है। मैं बिलकुल गम्भीरता के साथ उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह संसार ही गतिवाला है। अगर इसमें गति न हो तो यह समाप्त हो जाय। तो जितना प्रकम्पन रहे उतना ही अच्छा है। और ३ वर्षों में १ वर्ष बीच में जो है उसमें प्रकम्पन जरा कम रहेगा। २ वर्षों में १ वर्ष में यह प्रकम्पन रहेगा कि चुनाव आनेवाला है और १ वर्ष चुनाव हुआ, यह रहेगा। लेकिन कुछ समय जरूर रहेगा जिसमें लोग काम कर सकें। अब हम यह कहें कि असेम्बली या पार्लियामेंट के लिये भी प्रकम्पन का मुकाबला करना ही पड़ता है, लेकिन गांवों की हालत में ऐसा सोचता हूं कि ऐसी है जिसमें यह नई बात है। असेम्बलियां तो पुराने जमाने से हमारे देश में थीं। अंग्रेजी राज्य ने भी किसी न किसी प्रकार की असेम्बली रखी, केन्द्रीय असेम्बली भी थी लेकिन गांव पंचायतों को जन्म हमने और हमारे माननीय मिश्र जी ने दिया है और इसमें अबभी सीखने की जरूरत है इसमें ऐसा हो सकता है कि दो-तीन वर्षों के अन्दर फिर कुछ दूसरी तरह से सोचना पड़ जाय और फिर अनुभव के बाद अगर नया चुनाव हो जाय तो उसमें अनुभव के लोग आ सकें उनमें नया जोश रहे और नया उमंग रहे काम करने का तो मैं समझता हूं कि इन तीन वर्षों में कोई अहित नहीं होने वाला है। बल्कि होगा यह कि जो लोग तीन वर्ष के लिये चुने जायेंगे वह कुछ गांव के लिये जल्दी-जल्दी करेंगे, इसलिये कि तीन ही वर्ष हमें रहना है, इसलिये तीन वर्ष के भीतर ऐसा करना चाहिये, जिससे हम अगली बार खड़े हों और इस प्रतिष्ठा के पद को प्राप्त कर सकें। इसलिये जो आज गांव की जनता की अवस्था है उसमें तीन वर्ष की मियाद ही रहना चाहिये, इसमें गांव की जनता की अवस्था सुधारने का लक्षण दिखाई देता है। और अगर हम पंचवर्षीय अवधि रख दें तो प्रकम्पन नहीं होगा जैसा मिश्र जी कहते हैं तो वह दो तीन वर्ष तक निश्चिन्त रहेंगे क्योंकि मैंने सुना है कुछ माननीय सदस्यों से कि अभी तो दो तीन वर्ष हैं, दो तीन वर्ष के बाद दो एक वर्ष का जमाना आवेगा और फिर उस वक्त प्रकम्पन लावेंगे, काम करेंगे और ढंग से गांवों में घूमकर काम करेंगे। शिवनारायण जी ने पंचवर्षीय योजना की चर्चा की है। मैं उनको याद दिलाता हूं कि दो-ढाई वर्ष का जमाना गुजर गया लेकिन आज से तीन-चार महीने पहले दिल्ली में एक कांफ्रेंस हुई थी और पंचवर्षीय योजना का रिव्यू हुआ था कि कितना काम हुआ और कितना पैसा खर्च हुआ। अगर मेरी याद्दाश्त काम देती है तो मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि उस समय यह कहा गया था कि ६ अरब ७१ लाख यानी सात अरब के नीचे रकम दो-ढाई वर्ष के बीच में खर्च हुई। दो-ढाई वर्ष में सिर्फ ७ अरब रुपया और उससे कम रुपया खर्च हुआ जब उसपर २३ अरब रुपया खर्च किया जाना है, तो ऐसा मैं सोचता हूं कि शायद यह हो कि रुपया धीरे-धीरे खर्च किया जाय और जब ५७ के करीब आवे तो उसमें गहरी रकम खर्च की जाय ताकि लोगों को याददाश्त रहे। इसलिये मैं सोचता हूं कि अगर पांच न रहता तो काम जल्दी होता और फिर इस देश और इस प्रदेश के गांवों की हालत जैसी है उसमें आवश्यकता इस बात की मालूम होती है कि उसमें जल्दी-जल्दी काम हो खासकर जब गांवों में जब गांव सभायें बनेंगी, उनका काम रचनात्मक होगा यह जरूरी है कि रचनात्मक कार्यों को जल्दी-जल्दी कराया जाय। इसलिये एक मात्र उपाय यह मालूम होता है कि तीन वर्ष की अवधि रख दी जाय। अगर यह रख दिया जायगा तो काम जल्दी-जल्दी हो पायेगा, तो गांवों की हालत सुधरेगी। मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी तीन के पक्ष में हैं कि तीन वर्ष रखा जाय, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि मैं अपने वयोवृद्ध व्रजविहारी जी को नहीं मना पा रहा हूं, लेकिन अगर वह किसी तरह से मेहरबानी करेंगे और तीन वर्ष के पक्ष में जायं तो माननीय मंत्री जी जरूर स्वीकार कर लेंगे। मैं इतना कह कर माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि तीन वर्ष के पक्ष में अपनी राय दें, ताकि जल्दी-जल्दी काम होकर गांवों का कुछ भला हो सके।

श्री ओंकार सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के संबंध में गेंदासिंह जी ने बहुत कुछ कह दिया है, इसलिये मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। मैं समझता

[श्री ओंकार सिंह]

हूं कि सरकार हम लोगों के संशोधन न सुनना ही चाहती है और न देखना ही चाहती है, इसलिये मुझे उम्मीद तो है नहीं कि सरकार इसे मान लेगी।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी ज्यादती है, माननीय ओंकार सिंह जी के यह समझने की कि सरकार कोई बात सुनना ही नहीं चाहती है। कल यह शायद मौजूद नहीं थे और अखबारों में भी शायद नहीं देखा कि कल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन जोकि विरोधी दल की ओर से आया था, मैंने उसे मान लिया था। उसके बाद भी उनके इस तरह के निराशाजनक व्यवहार से न तो मुझे खुशी है और मैं समझता हूं कि उनको भी खुशी नहीं होनी चाहिये।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

बहर हाल इसपर काफी बहस हो चुकी है, इसलिये मैं समझता हूं कि ५ साल ही ज्यादा ठीक है लिहाजा ३ साल स्वीकार करने में मुझे कठिनाई मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष—श्री ओंकार सिंह जी का यह संशोधन है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11—A की उपधारा (२) की पंक्ति १ में अंक "५" के स्थान पर अंक "३" रख दिया जाय इसमें फिर संशोधन है बालेन्दुशाह जी का कि अंक "३" के स्थान पर "४" रख दिये जायं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-A की उपधारा (२) की पंक्ति १ में अंक '5' के स्थान पर अंक '3' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मलखानसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १२ में प्रस्तावित नई धारा 11-A की उपधारा (२) की पंक्ति २ में शब्द "election" के बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।

"The term of office of the Pradhan shall be 5 years from the date of his election"

इसके बाद जो शब्द हैं:—

"Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, extend the term from time to time for a period not exceeding one year at a time.", वह निकाल दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बहुत से सदस्यों ने बड़े जोरों के साथ अपनी राय जाहिर की कि गांव सभा के प्रेसीडेंट का जो टर्म हो वह ५ साल का ही होना चाहिये, तीन साल का नहीं होना चाहिये कुछ साथियों ने इस बात का भी उल्लेख किया कि तीन साल कम है, क्योंकि दो साल एलेक्शन में निकल जाते हैं, इसलिये ५ साल कर दिया जाय। अब यह सरकार यह चाहती है कि उसके हाथ में यह अधिकार और दे दिया जाय कि इन पूरे पांच सालों के बाद भी वह उनकी अवधि को ऐट ए टाइम बढ़ा दें। मैं यह समझता हूं कि यह गैरमुनासिब बात है और अनुचित बात है। इस संबंध में सभी उधर बैठे हुए भाइयों ने इस बात पर जोर दिया है कि अवधि पांच वर्ष की हो और प्रत्येक पांच वर्ष के बाद फिर एलेक्शन हो, तो यह एक प्राविजो लगा देना कि स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार हो जाना चाहिये, मैं समझता हूं कि किसी तरह से यह न्यायसंगत नहीं होगा। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि माननीय मंत्री जी इस प्राविजो को हटा दें और केवल वही भाग जो पांच साल का है,

उसे रहने दें, नहीं तो वही होगा जैसा पहले हुआ कि गांव सभाओं की मियाद तीन वर्ष की थी लेकिन सरकार उनका टर्म बढ़ाते-बढ़ाते पांच वर्ष ले आई। अब वह पांच वर्ष तक रहेंगी और सरकार उनका टर्म बढ़ा करके सात वर्ष तक ले जायगी। इसके माने यह हुये कि कानून बनाना और न बनाना कोई माने नहीं रखता है। लेकिन अगर कोई माने रखने की बात है और कानून को कानून की हैसियत से रखे जाने की बात है, तो यह प्राविजो हटा देना चाहिये। केवल इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मलखान सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। श्रीमन्, मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय मंत्री जी ने इतने विचार के बाद भी इस विधेयक में एक ऐसा विधेयक रखना उपयुक्त समझा जिसके अनुसार वे ग्राम सभाओं की अवधि को पांच साल के बाद एक साल की अवधि एक समय में बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रधान के टर्म आफ आफिस को वे एक समय में "for a total period not exceeding one year at a time...."

श्री अध्यक्ष—(at a time) ब्रैकेट में है, इसलिये वह हट जायगा "extend the term [from time to time] for a total period not exceeding one year [at a time] जो ब्रैकेट हैं उनको सिलेक्ट कमेटी ने खत्म कर दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसमें छपा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—जो ब्रैकेट में छपा हुआ है उसका मतलब यह है कि वह सिलेक्ट कमेटी द्वारा खत्म हो गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो कापी मुझे मिली है उसमें ब्रैकेट नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो उसमें गलत छपा है "from time to time" और "at a time" यह दोनों खत्म हो गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जो कमेटी की सिफारिशें हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। कमेटी ने इस संबंध में जो परिवर्तन करना उचित समझा वह पेज ६४ पर दिया हुआ है और उसमें बिलकुल स्पष्ट है कि उस सिफारिश में और जो माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में रखा है उसमें फर्क है।

साथ ही साथ जो और प्रान्तों ने इस संबंध में अवधि रखी है वह किसी हालत में पांच साल से अधिक नहीं है। मेरे पास इस समय उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और मध्य, भारत के सब ऐक्ट्स रखे हुये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि और प्रांतों में भी जहां ग्राम सभायें हैं वहां पर प्रधानों के समय की अवधि क्या है? वहां पर हर प्रधानों के लिये या ग्राम सभाओं के लिये केवल तीन साल की अवधि रखी गयी है। माननीय मंत्री जी ने अभी इस बात को इस सदन में मंजूर करवा लिया है कि पांच वर्ष ग्राम सभाओं की या ग्राम सभाओं के प्रधानों की अवधि हो, तो जब पांच साल की अवधि हो गयी, पहले तीन साल की थी, अब पांच साल की हो गयी, उसके बाद भी माननीय मंत्री जी इस बात का और अधिकार लें कि उनकी अवधि बढ़ा दी जाय, तो मैं समझता हूं कि यह प्रजातांत्रिक पद्धति के विपरीत है। अगर माननीय मंत्री जी मद्रास के ऐक्ट को देखेंगे तो मद्रास में तो इतना निश्चित कर दिया गया है कि तीन साल से अधिक किसी भी हालत में अवधि नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार पेप्सू में माननीय मंत्री जी देखेंगे तो वहां भी ४ साल से अधिक किसी प्रकार भी अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार मध्य भारत में भी ५ साल से अधिक किसी तरह से नहीं बढ़ाई जा सकती। तो और भी प्रांतों की अगर हम मिसाल लें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सरकार अधिकार ले ले यह उचित नहीं है विशेष रूप से जब हम इस बात को मानते हैं कि हमें ग्राम पंचायतों का निर्माण एक नयी प्रणाली से करना है, वहां पर हर तरीके से, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, हमें जातिवाद को मिटाना है। और इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने कुछ छींटाकशी भी की। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव में ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा था कि हमने शायद ऐसा कहा। मैंने विचार से, श्रीमन्, इस प्रकार का यहां आरोप लगाना कुछ अच्छा नहीं लगता। यह तो हर एक के लिये कहा जा सकता है कि जो जिस जाति का है उसने उस जाति का सहारा चुनाव में लिया। तो जब माननीय मंत्री जी अपने बारे में कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो दूसरे के लिये भी उन्हें ऐसा ही सोचना चाहिये कि उसने नहीं कहा। इस प्रकार चुनाव की बात को यहां पर लाना मैं समझता हूं कुछ उचित नहीं है। अगर वास्तव में हमें ग्रामों से जातिवाद और गुटबाजी को समाप्त करना है तो वहां की जनता को हमें लगातार इस बात का मौका देना चाहिये कि कोई भी ग्राम सभापति अगर निरंकुश हो कर ग्राम सभा में बैठ गया है और निरंकुशता से अपने व्यक्तित्व को वहां के समाज को छाये रखता है तो जल्दी से जल्दी उसको चुनाव द्वारा बदल सके। तो ५ साल की अवधि आपने ले ली और उसके बाद फिर अवधि को बढायें, मैं समझता हूं कि यह पंचायत राज की आत्मा के विपरीत है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी पुनर्विचार करेंगे और इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से माननीय नारायणदत्त जी का भाषण सुन रहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि वह बड़े अध्ययनशील व्यक्ति हैं, मुझे विश्वास होता है कि वे जो बातें कहेंगे वह विचारपूर्ण होंगी और विद्वतापूर्ण होंगी। मालूम हुआ उन्होंने कुछ गलतफहमी में अपना भाषण कर दिया। उनको पहले मालूम नहीं था कि शब्द at a time निकाल दिये गये हैं, जिसकी ओर श्रीमान जी ने भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में हमने निश्चय कर दिया कि एक ही मर्तबा एक साल के लिये अवधि बढ़ सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वह बात तो मान ली मैंने।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र---तो ठीक है। इसके लिये भी उन्होंने एतराज किया कि एक साल का मौका भी नहीं मिलना चाहिये और मद्रास, मध्य भारत और पेप्सू का उदाहरण दिया और कहा कि वहां पर निश्चित है कि ३, ४ और ५ साल से ज्यादा अवधि बढ़ायी नहीं जा सकती। हमने भी अपने यहां केवल ५ वर्ष के लिये प्राविजन रखा है और एक नेसेसरी केसेज के लिये केवल यह रखा गया है कि एक साल की अवधि बढ़ायी जा सकती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि एक साल की अवधि अवश्य ही बढ़ा दी जायगी। उसका अर्थ सिर्फ यह है कि अगर ऐसी आवश्यकता पड़े और ऐसी अवस्था आ जाय जिसमें कि हमको जरूरी हो जाय कि अवधि बढ़ायें तो हम बढ़ायेंगे, वरना आम तरीके से पांच साल समाप्त होने के बाद चुनाव होगा। तो इतना भी अधिकार न देने के माने यह हैं कि कभी ऐसी अवस्था आ जाय तो फिर लेजिस्लेचर के सामने अवधि बढ़ाने के लिये एक विधेयक पेश हो। इस दिक्कत को दूर करने के लिये कानून को तो ऐसा बनाना ही चाहिये कि अगर जरूरत हो तो इसका हम उपयोग कर सकें। इसमें कोई सिद्धांत का प्रश्न निहित नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर एतराज किया जा सके। यह तो एक व्यावहारिक बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि जैसा विधेयक में रखा गया है सदन उसे स्वीकार करेगा और माननीय प्रस्तावक महोदय अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विद्वानों का कहना है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा बैलून है, जो एक बार उड़ाया जाता है तो फिर इलेक्शन के वक्त जमीन पर उतरता

है और बाद में पता नहीं चलता कि किधर गया और नीचे वाले लोग देखते ही रह जाते हैं। यही हालत पंचायत राज्य के बारे में लागू की जा रही है एक लम्बी मियाद बढ़ाकर। सदन ने जो ५ साल की मियाद स्वीकार कर ली है वह तो ठीक है, लेकिन और ज्यादा इसको बढ़ाने का मौका नहीं देना चाहिये। यदि ज्यादा मौका दिया जाय तो यह बैलून को और ज्यादा ऊपर रखने का तरीका है।

मैं समझता हूं कि ऐसे मौके पर जबकि हमें मुश्किलात महसूस होती है और पंचायतों में बहुत सी इर्रेग्यूलेरिटीज होती हैं। ऐसी हालत में उनको जल्द से जल्द दूर करके मौके से फायदा उठाया जाय। जहां भी इलेक्शन होता है उसको यदि पोस्टपोन किया जाता है तो कोई विशेष बात होती है जैसे पार्लियामेंट का इलेक्शन है, असेम्बली का इलेक्शन है, यह ऐसी हालत में पोस्टपोन होता है जब कि कोई स्टेट आफ इमरजैन्सी हो या जब कि इलेक्शन करने नामुमकिन हों तो उस समय ही पोस्टपोन किये जा सकते हैं। लेकिन पंचायतों के बारे में कोई इस तरह की बात लागू नहीं होती है। अगर कोई इमर्जेंसी हो भी तो गांव के जीवन पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है कि इस वक्त इलेक्शन न किया जाय। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति देश में हो तभी यह बात जस्टीफाई की जा सकती है कि इलेक्शन हटा दिये जायं या यह जो टर्म गांव पंचायतों का है उसे बढ़ा दिया जाय अन्यथा और कोई चीज नहीं है, जिसमें एक्सटेंशन को जस्टीफाई किया जा सके और मैं समझता हूं कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने में कई दोष भी हैं एक सबसे बड़ा दोष जो मैं समझता हूं वह यह है कि इतने अरसे से जो इर्रेग्यूलेरिटीज हो रही हैं और जो गलत काम हो रहे हैं और जो अनडिजायरेबिल आदमी काम कर रहे हैं उनको और मौका मिलता है। इसलिये ऐसा होना चाहिये कि उनको जल्द से जल्द हटाया जा सके। जो अच्छा काम करने वाले हैं, अगर इलेक्शन जल्दी होते हैं तो उनको तो गांव वाले स्वयं चुनेंगे ही लेकिन ऐसे आदमी जो अनडिजायरेबिल हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जा सकता है।

एक बात मैं समझता हूं वह यह है कि ईविल को जितनी जल्दी से जल्दी हटाया जा सके उतना ही अच्छा है। उसको ज्यादा कंटीन्यू करना सैद्धांतिक रूप से गलत है। इलेक्शन का एक खास फायदा जो डैमोक्रेसी में है वह यह है कि हम मासेज को ऐजूकेट करते हैं और इस योग्य बनाते हैं कि वह सिविक एक्टीविटीज में हिस्सा ले सकें। अगर हम इलेक्शन को पोस्टपोन करते हैं तो एक अरसे तक उनकी अटेंशन हम उनकी तरफ ड्रा नहीं करते हैं और काफी देर बाद उनको ख्याल होता है। इस जमाने में जब कि हमारे यहां अनएजूकेशन है तो बहुत ही जरूरी है कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन करें और उनकी दिलचस्पी पैदा की जाय और उनको ऐजूकेटेड किया जाय और उनको एजुकेट किया जाय। अगर हम एलेक्शन को पोस्टपोन करते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि हम उनको एजुकेशन का मौका नहीं देना चाहते। तीसरी बात यह है कि एलेक्शन को पोस्टपोन करने से उन लोगों को हम डीवार करते हैं जो कि उस पीरियड में क्वालीफाइड हो गये किसी आफिस को होल्ड करने के लिये। यह एक उचित बात है कि उन लोगों को हमें मौका देना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं। वह यह है कि जब कभी भी एलेक्शन्स पोस्टपोन किये जाते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर एक दोषारोपण किया जाता है कि गवर्नमेंट यह देखती है कि पोलिटिकल एटमास्फेयर अगर गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है तो वह एलेक्शन्स नहीं करती है। अगर यह एक्सटेंशन की बात खत्म कर दी जाय तो इस प्रकार का जो आरोप होता है उसके लिए मौका लोगों को नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण---मैं प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मलखान सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अभी आखीर में बोलने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिये हैं वे इस बात के लिये पर्याप्त प्रमाण हैं कि सरकार को यह जो प्राविजो उन्होंने रखा है इसको हटा देना चाहिये। उन्होंने सभी बातें इसमें कह दीं और मैं एक उदाहरण भी दे दूं कि इस समय जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चल रहे हैं जिनकी मियाद कभी की खत्म हो चुकी है और सरकार बराबर मियाद बढ़ा रही है उससे मैं समझता हूं कि इस सरकार का मुंह कुछ उज्ज्वल नहीं हो रहा है बल्कि सरकार के ऊपर दोषारोपण ही हो रहा है। इसलिये जो अभी माननीय सदस्य ने कहा वह एक प्रत्यक्ष उदाहरण मिल जाता है। सरकार के लिए कि वह अपने ऊपर दोष न लगाये, न लगने दे। इसका एक ही कारण हो सकता है और वह साफ है कि वह एक लचीला कानून बनाना चाहती है और अपने हाथ में सब कुछ ताकत रखना चाहती है कि एक साल की मियाद बढ़ा दें, दो साल की बढ़ा दें या तीन साल की बढ़ा दें। मैं समझता हूं कि एक साल की मियाद अपने हाथ में रखने के बाद भी अगर सरकार फिर कोई और जरूरत समझे, लिस्ट नहीं तैयार है या संशोधन लाना है, इस तरह की कोई जरूरत है तो सरकार को कोई रोक नहीं सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि भला इसी में है कि सरकार इस प्राविजो को हटा दे और इस बात को मान ले कि जो टर्म ५ साल का है वह ५ साल में ही खत्म करके दोबारा चुनाव करा दे। इससे जितनी बातें कही गई हैं कि जितने नये आदमी हैं उनको भी मौका मिलना चाहिये, वह पूरी हो जायंगी और उनको भी मौका मिलेगा तथा जनतांत्रिक प्रणाली हमारे देश में अच्छी तरह से शीघ्रता-पूर्वक लागू हो सकेगी और उस पर अमल होने लगेगा। मैं समझता हूं कि यह एक मुनासिब बात है और केवल इतना ही कह कर मैं फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि यह संशोधन किसी गलतफहमी की वजह से पेश हुआ है। माननीय नारायणदत्त जी तो साफ ही 'एट ए टाइम' को भूल गये थे इसलिये उनको आपत्ति थी और जितनी भी पुस्तकें वह लाये वह सब शायद बेकार सी साबित हुईं। उन्होंने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पेज ६४ पर जो उसमें कहा गया है उसके भी खिलाफ यहां किया गया। जहां तक उसका ताल्लुक है उसमें यह है कि--

"(2) The term of office of the Pradhan and Up-Pradhan shall be 5 years from the date of their respective elections or if the State Government so delcares by a notification in the official Gazette, such longer term not exceeding 6 years."

यानी इतना वक्त बढ़ा सकता है कि ६ साल से ज्यादा न हो। एक साल से ज्यादा ५ साल के बाद नहीं बढ़ा सकता। यह इसमें है। वही इसमें भी है। मैं समझता हूं कि एट ए टाइम निकालने के बाद जो बाकी बच जाता है वह यह है कि साल से ज्यादा गवर्नमेंट टर्म नहीं बढ़ा सकती। अभी मलखान सिंह जी कह गये कि अभी एक साल बढ़ाये, उसके बाद लिस्ट तैयार नहीं है या और कुछ है तो और बढ़ा दे इसे कौन रोक सकता है, जितना चाहे उतना बढ़ाती चली जाय। तो यह उनके दिमाग में बड़ा कन्फ्यूजन है। इसका अर्थ जो है वह यह है कि एक साल के बाद अगर गवर्नमेंट को बढ़ाना होगा तो वह इस सदन के सामने आयेगी और अगर आपकी आज्ञा होगी तब बढ़ सकेगा। और जितनी बातें माननीय नारायणदत्त जी ने कहीं, बहुत से ऐक्ट्स को कोट किया दूसरे सूबों के, मैं जानना चाहता हूं कि वहां मियाद बढ़ाने का कोई प्राविजन है या नहीं। मैं यह समझता हूं कि कई जगह ऐसे जहां नहीं हैं उनको अपने तजर्बे से यह मालूम होगा कि ऐसी

इमर्जेंसी आ सकती है कि चुनाव आगे बढ़ाना पड़े और इसके लिये गवर्नमेंट को अधिकार होना चाहिये। जिन ऐक्ट्स में यह प्राविजन नहीं है उनमें यह कमी है। बजाय इसके कि हम उनकी नकल करें हम उम्मीद करते हैं कि वह इस कमी को पूरा करेंगे। सरकार ज्यादा से ज्यादा एक साल की मियाद बढ़ा सकती है। अगर इससे ज्यादा बढ़ानी हो तो उसके लिये एक अमेंडिंग बिल लेजिस्लेचर के सामने लाना पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि यह प्राविजन आवश्यक है और मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-A की उपधारा (२) की पंक्ति २ में शब्द "election" के बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ---

पक्ष में---१४

विपक्ष में---७८।)

श्री धर्मसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में धारा 11-B की उपधारा (1) में "Vice-President" के स्थान पर "Up-pradhan रख दिया जाय तथा अन्तिम शब्द "and he shall be called Up-pradhan" निकाल दिया जाय।

तो यह ऐसा ही प्राविजो है जैसा कि पहले था और इसमें मुझे अधिक नहीं कहना है। कुछ टेक्निकल बात है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इसको स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे स्वीकार नहीं है

श्री धर्मसिंह---तो मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री वीरसेन---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में धारा 11-B की उपधारा (1) में से "prescribed" के स्थान पर "decided" upon by the Gaon Panchayat" रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह जो उप-प्रधान का चुनाव होगा इसमें इतने थोड़े सदस्य होंगे कि गवर्नमेंट को इस बात की जरूरत नहीं है कि कोई प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी गवर्नमेंट मुकर्रर करे। २०, २५ या ३० मेम्बर्स होंगे और वे जैसा खुद तय करें वैसा होने दिया जाय। इस तरह से कोई प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं है, उनकी ही मर्जी पर छोड़ दिया जाय। इतनी आजादी तो गांव पंचायत को मिलनी ही चाहिये। इसलिये माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वीरसेन जी का प्रस्ताव है यह वाइस-प्रेसीडेंट के चुनाव के सम्बन्ध में है। यह बहुत इम्पार्टेन्ट बात है कि वाइस-प्रेसीडेंट का चुनाव किस तरह से किया जाय। इस बात को हर गांव पंचायत पर छोड़ देना मुनासिब नहीं होगा। कहीं पर भी इस प्रकार से नहीं है। जो आफिस बेयरर्स हों उनके लिये सारे सूबे में एक ही प्रकार से तरीका होना चाहिये। इसलिये मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, यह बात समझ में नहीं आयी कि दो बात माननीय मंत्री जी किस प्रकार से अलग-अलग न मिलने वाली कहते हैं। अभी बैलट के सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा कि यह उचित होगा कि इस बात को उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाय और वह अपनी इच्छा से ठीक तरीका अख्तियार करेंगे। अभी वीरसेन जी ने कहा कि वाइस-प्रेसीडेंट के चुनाव की बात को उनके ऊपर छोड़ दिया जाय तो माननीय मंत्री जी पलट गये और कहा कि इस बात को उनके ऊपर न छोड़ा जाय। मैं यह समझता हूं कि इस तरह से नान-कंसायलिंग स्टेटमेंट यहां पर देना किसी तरह से उचित नहीं मालूम होता है। एक समय में उनकी दृष्टि में जो बात सही होती है, दूसरे समय में वह गलत हो जाती है।

श्री वीरसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि थोड़े से आदमियों में चुनने के लिये कोई ऐसे प्रतिबन्ध की जरूरत नहीं है चूंकि उम्मीदवार भी केवल २, ३ ही होंगे और मजारिटी वोट से ग्राम पंचायत उसको डिसाइड कर सकती है। अगर माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो चीज किसी को साफ नहीं मालूम होती है, उसको समझने की जरूरत है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कृपाशंकर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के अधीन प्रस्तावित धारा 11-C के खंड (b) में—

(i) शब्द "for" तथा "the" के बीच आने वाले कोष्ठक चिह्न को निकाल दिया जाय, तथा

(ii) शब्द "offices" तथा "for" के बीच में कोष्ठक आरम्भ का चिह्न लगाया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—(ii) (iii) का यह अर्थ हुआ कि 11-C की (b) की दूसरी लाइन में से कोष्ठक निकल जायगा और चौथी पंक्ति के शुरू में आ जायगा। यानी शब्द "फार दी वैकेशन" केवल निकलेंगे।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। प्रश्न यह है कि धारा 11—C की उपधारा (b) की दूसरी लाइन से कोष्ठक हटा दिया जाय और चौथी पंक्ति के प्रारम्भ में रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं, मूल संशोधन में थोड़ा-सा परिवर्तन आपकी आज्ञा से करते हुये कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा ११-सी का (ए) भाग निकाल दिया जाय।

जहां तक (बी) का सम्बन्ध है वह तो ठीक ही है कि कोई भी व्यक्ति २ गांव-सभाओं में सदस्य नहीं हो सकता। प्रायः प्रत्येक गांव के अन्दर बहुत से पढ़े-लिखे लोग नहीं होते और उसके बाद ३० वर्ष के नीचे के व्यक्तियों को आफिस होल्ड करने का अधिकार नहीं है (गांव सभा के प्रधान का)। गांवों में प्रायः बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते हैं। क्योंकि गांव पंचायत और न्याय पंचायतों के अधिकार अलग-

अलग हैं, गांव पंचायत का संबंध एक प्रकार से गांव का प्रबन्ध करना है, उसके ऐक्जीक्यूटिव के अधिकारी हैं। वह गांव सभा को अपने ऊपर लीड करेगी, इसलिये एक मेंबर अगर दोनों तरफ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों तरफ न रहने का जो प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, मेरा ख्याल है उससे सफलता नहीं मिल सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना—मैं आपकी आज्ञा से माननीय मैठाणी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। मेरा यह ख्याल है कि इसके पहले जब कभी इस सदन में न्याय के संबंध में कोई बातचीत हुई उधर से हमेशा सेपरेशन आफ जुडिशियरी फ्राम दी ऐक्जीक्यूटिव की बात कही गयी, लेकिन यहां पर उस चीज के विरुद्ध माननीय मैठाणी जी ने यह संशोधन रख दिया है। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव पंचायतों के जो सदस्य होंगे उनका एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव फंकशन होगा, लेकिन न्याय पंचायतों के सदस्यों का फंकशन जुडिशियरी का है। इसलिये न्याय पंचायत के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में न पड़ें क्योंकि उसमें पड़ने से यह संभावना हो सकती है कि वे किसी का पक्ष या विपक्ष करें और उससे प्रभावित होकर न्याय पंचायत में किसी के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय प्रदर्शित करें। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उनका हाथ रोजमर्रा के मामलात में नहीं होना चाहिये। इसी आधार पर जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन चाहा जाता है। इसी आधार पर न्याय पंचायत के सदस्यों को गांव-पंचायत में भाग नहीं लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—जो दलील अभी श्री अष्ठाना जी ने दी वही काफी है। चूंकि दोनों के फंकशन्स अलहदा-अलहदा हैं इसलिये दोनों को अलहदा रखना ही ठीक होगा। बहुत से अवसर ऐसे हो सकते हैं जब कि न्याय पंचायत के सामने गांव पंचायत के सदस्यों को जाना पड़े, ऐसी अवस्था में बहुत झंझट हो जायगा। इसलिये दोनों को अलहदा रखना ही उचित होगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि आप इस पर वोट लें एक त्रुटि जरा सी इसमें रह गयी है। इसलिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिससे पास करते समय यह ग़लतफहमी न रह जाय। इसमें जो शब्द "and the rules may provide for the vacation" आये हैं वह (a) (b) तो दोनों को कवर करेंगे। मेरा ख्याल है अगर यह चीज यहां साफ हो जायगी तो कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष—यह इस तरह से नहीं होगा। फिर आपको अमेंडमेंट लाना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल—अध्यक्ष महोदय, यहां पर "and" को काट दिया जाय और "the rules may provide" रख दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ब्रैकेट वाले शब्द तो निकल गये हैं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, दूसरी जगह ब्रा.केट लगा दिये गये हैं।

तो यह इस तरह से होगा। खंड १२ की उपधारा 11-C के उपभाग (b) की पहली पंक्ति के अन्त में सेमीकोलन ";" रख दिया जाय और दूसरी पंक्ति के आरम्भ का शब्द "and" निकाल दिया जाय और तीसरी पंक्ति में शब्द "offices" के बाद शब्द " under (a) or (b) above" रख दिये जायं।

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—मैं अभी सदन को बतला देना चाहता हूं कि इसको सदन ने तो समझ ही लिया लेकिन ड्राफ्टिंग में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं उसको दुरुस्त कर दूंगा।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड १३

यू० पी० एक्ट २६, १९४७ की धारा १२ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

Establishment and constitution of Gaon Panchayat.

"12. (1) As soon as may be after its establishment, every Gaon Sabha shall elect from amongst its members an Executive Committee called the Gaon Panchayat.

(2) The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed and the Pradhan and the Up-Pradhan of the Gaon Sabha shall be ex-officio Pradhan and Up-Pradhan of the Gaon Panchayat.

(3) The term of office of a member of Gaon Panchayat other than a Pradhan or Up-Pradhan or a member chosen to fill a causal vacancy shall be 5 years :

Provided that the State Government may , by notification in the official *Gazette*, extend the term from time to time for a period not exceeding one year.

(4) The Notification under sub-section (3) may be published at any time before the expiry of five years aforesaid or when the period has been extended before the expiry of such extended period.

(5) The area of a Gaon Sabha may be divided by the prescribed authority into such number of constituencies as may be convenient for the purpose of election.

(6) The election of the members of a Gaon Panchayat shall be held on joint electorate system in such manner as may be prescribed and the rules may provide for the payment of fees and the furnishing of security deposit.

(7) Seats shall be reserved for scheduled castes in the Gaon Panchayat and the nu mber of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats in the Gaon Panchayat as the population of the scheduled castes in the area of the Gaon Sabha bears to the total population of such area.

Provided that this sub-section shall cease to have effect on and from the twenty-sixth day of January, 1960.

Provided further that nothing in the preceding proviso shall affect any representation in a Gaon Panchayat until the disolution thereof.

(8) Where a prescribed under sub-section (2) it shall be called upon to elect the remaining number of members, but if it again fails to elect the full number of remaning members it shall be lawful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so nominated shall be deemed to have been duly elected.

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (२) की पंक्ति २ के वाक्यांश "such as may be prescribed" के स्थान पर "between 11 and 41" रख दिये जायं

माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी इस धारा के अनुसार चाहते हैं कि जो गांव सभा की एक्जीक्यूटिव होगी जिसको गांव पंचायत कहते हैं उसकी सदस्यों की तादाद नियत न की जाय और इस चीज को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के निश्चय करने के लिये छोड़ दिया जाय। मैं समझता हूं कि ऐसा करना उचित न होगा कि हम इस चीज को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के लिये छोड़ दें। जब हमें यह मालूम है कि हमारी ग्राम सभायें ढाई सौ से १४ हजार मेम्बर्स तक होगी तो कोई वजह नहीं है कि हम कोई नम्बर निर्धारित न करें और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पर छोड़ दें। इसलिये अच्छा हो कि ११ से ४१ मेम्बर रख दिये जायं और ग्राम सभा पर ही छोड़ दिया जाय कि वह जहां मुनासिब समझे इसके अन्दर मेम्बर रख ले। खेर कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया था और जब म्युनिसिपल बिल बन रहा था तो कहा गया था कि यह नम्बर ज्यादा होना चाहिये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुताल्लिक भी वही बात कही गई थी कि ज्यादा मेम्बर होने चाहिये तो कोई कारण नहीं मालूम होता कि एक्जीक्यूटिव के मेम्बर के बारे में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पर क्यों निर्भर किया जाय।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ३ मई, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
३० अप्रैल, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

सेवा में श्रीमान मंत्री जी व माननीय अध्यक्ष महोदय,

पुलिस विधान, उ० प्र० सरकार, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ।

महोदय,

आपको विदित होना चाहिये कि जिस प्रकार स्थानीय सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस अधिकारी वर्ग ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को पार्लियामेंट के उप-निर्वाचन में विजयी बनाने के लिये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के साथ पशुवत व्यवहार किया वह केवल जनतंत्र के लिये ही नहीं वरन प्रत्येक प्रकार की मानवीय सभ्यता के विरुद्ध है। मैं सर्व श्री रामसागर मिश्र, मंत्री हिन्द किसान पंचायत, उ० प्र० तथा एक और सज्जन के साथ कई पोलिंग स्टेशन से निरीक्षण करते हुये जब जी० एन० के० पोलिंग पर पहुंचा तो प्रातः-काल के पोलिंग का समय समाप्त हो चुका था। वहां से मैं होकर हर सहाय जगदम्बा सहाय स्कूल की पोलिंग स्टेशन पहुंचा। वहां मुझे मालूम हुआ कि दर्शनपुरवा पोलिंग पर गहरी लाठी वर्षा हुई है और तीस चालीस हमारे कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये हैं। यह खबर सुनकर हम अपनी कार से ही दर्शनपुरवा गये। वहां पोलिंग से करीब चार फर्लांग दूर एक एक चौराहे के पास एक डिप्टी पुलिस सुप० श्री मुकरजी पुलिस दल तथा कुछ स्थानीय कांग्रेस कार्य-कर्त्ता के साथ खड़े थे। सड़कें सूनी पड़ी थीं और लोगों ने भयातुर होकर मकान अन्दर से बन्द कर लिये थे।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी, जनरल सेक्रेट्री, यू० पी० हिन्द मजदूर सभा उनके पास ही खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे। चौराहे पर हमारी कार रुक गई, हम उतरे और बाजपेयी जी से कहलवाया और वह आकर हमारे साथ कार में बैठ गये। ज्योंही कार चलने को हुई पुलिस आफिसर श्री मुकरजी हमारे पास आये और बोले कि वह हमें सारी परिस्थिति बतायेंगे हम तीनों ने राम सागर मिश्र, मैं और बाजपेयी जी उतर कर उनसे बात की। बाजपेयी जी ने पुलिस बर्बरता तथा घरों में घुस घुस कर लोगों को बाहर निकालना, मारना, गिरफ्तार करना व औरतों को भी मारना इत्यादि की कारुणिक कहानी श्री मुकरजी के सामने ही मुझे बताई। मुकरजी साहब ने थोड़े संशोधन के साथ पूरी कहानी का समर्थन किया। फिर जब बाजपेयी जी ने मुझे बताया कि तीस चालीस कार्यकर्त्ता, जिनमें श्री राजाराम शास्त्री के पोलिंग एजेंट तथा चुनाव के प्रमुख कार्यकर्त्ता थे, गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इनमें सर्वश्री प्रभू पांडे, राम सुभग मिश्र और गणेश त्रिपाठी को निर्दयता पूर्वक मारा भी गया है तब मैंने श्री मुकरजी से कहा कि साहब ऐसी हालत में पोलिंग बन्द हो जानी चाहिये। मुकरजी साहब ने कहा कि नहीं पोलिंग नहीं बन्द होगी। सब मामला अब शांत है। तब मैंने कहा अच्छा हम अपने दफ्तर जा रहे हैं। वहां से आकर सब ब्योरा दूसरे पक्ष की बात सुनने के बाद बतायेंगे। इतना कहने के बाद मैं आफिस जाने के लिये आगे बढ़ा। इसी पर मुकरजी साहब ने कहा कि आप वहां नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों? तो वह बोले कि बलवा हो जावेगा। तब मैंने कहा कि आप तो कहते हैं कि सब शांत है फिर बलवा कैसे हो जायेगा। मैं आगे बढ़ा तो पुनः मुकरजी ने कहा कि आप आगे न बढ़िये क्योंकि आप गिरफ्तार हैं। इसके बाद वह हमें राम सागर मिश्र, श्री गणेश दत्त बाजपेयी और मैं तथा दो कांग्रेसमैनों को लारी में बैठाकर थाना सीसामऊ ले गये। वहां दोनों कांग्रेसमैन तो भाग गये लेकिन हम गिरफ्तार पड़े रहे। गिरफ्तारी के समय हमें १५१ में गिरफ्तार किया गया है। ऐसा बताया गया है, मगर अब सुनता हूं कि कुछ कानूनी जाल बट्टा बनाकर बाद में दूसरी दफायें भी लगा दी गई हैं।

थोड़े में गिरफ्तारी की यह कहानी है। श्री अरजुन सिंह भदौरिया जी मुझे थाने पर मिलने आये। मैं उनसे बात कर रहा था जब पुलिस के लोगों को मालूम हुआ कि यह श्री अरजुन सिंह भदौरिया हैं जो श्री राजाराम शास्त्री के चुनाव इंचार्ज हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया।

बाद में श्री रामचन्द्र शुक्ल, श्री कल्याण चन्द्र मोहिले, एम० एल० ए० तथा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी मुझसे मिलने आये।

हम सर्वश्री अरजुन सिंह भदौरिया, संयुक्त मंत्री, प्रजा सोललिस्ट पारटी, उत्तर प्रदेश, श्री राम सागर मिश्र, मंत्री, हिन्द किसान पंचायत, उत्तर प्रदेश, गणेश दत्त बाजपेयी, प्रधान मंत्री, हिन्द मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश के साथ सी क्लास में अन्य २८ आदमियों के साथ पड़े थे कि रात में श्री राम नरेश सिंह, मंत्री, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश तथा श्री धर्मवीर गोस्वामी पी० ए० के सम्मानित छात्र भी आ धमके। मुझे बताया गया कि मैं उच्च क्लास में हूं। मगर मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारे तमाम सुपीरियर इन्फीरियर क्लास में हों तब मैं अकेला अपने पार्टी के तमाम उच्च पदाधिकारियों के सामने कैसे सुपीरियर हो सकता हूं। मैं तो विधान सभा में पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम संचालित करता हूं। मैं केवल विधान सभा का सदस्य होने के नाते पार्टी के मंत्री तथा अन्य संस्थाओं के मंत्रियों के सामने कैसे सुपीरियर हो सकता हूं। मुझे आश्चर्य और क्षोभ है कि सरकारी कानून की उपेक्षा करके हमारे अन्य साथियों को सुपीरियर क्लास नहीं दिया गया। इसलिये मैं अपने साथियों के साथ सी क्लास के बन्दी की तरह रह कर आपके अधिकारियों के कुत्सित आचरण का सामना कर रहा हूं।

जनतांत्रिक प्रणाली का यह कैसा सुन्दर मखौल उड़ाया गया है। कानपुर के सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस अधिकारियों के इस कार्य की जांच करने के लिये मैं आपसे स्वतंत्र जांच कमेटी, जिसमें हाई कोर्ट के जज हों, नियुक्त करने की मांग करता हूं।

ह० राजनारायण सिंह,
एम० एल० ए०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०३ पर)

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की पुनर्व्यवस्था

(इस नई शिक्षा योजना को नीचे दी हुई रूपरेखा का सम्बन्ध विशेषतः जूनियर हाई स्कूलों से है और यह उस "संहत योजना" का एक अंग है जिसके अनुसार बेसिक शिक्षा का पुनर्संगठन होगा और प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का बहुपार्श्वीय संस्थाओं में परिवर्तन कर दिया जायगा।)

गत कुछ वर्षों से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता का अधिकाधिक अनुभव किया जाता रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने १९५१ ई० में ही इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये थे। तब से अब तक उन्होंने अनेक अवसरों पर निर्देश किया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली का प्रदेश की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से पूर्ण समन्वय होना चाहिये। इस प्रदेश की अस्सी प्रतिशत से भी अधिक जनता जीवनयापन के लिये कृषि पर निर्भर है। अतः इस भारी जनसंख्या का हमारी शिक्षा प्रणाली से भरपूर लाभ उठाना चाहिये। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर उसे फिर से व्यवस्थित एवं संगठित करने की नई योजना बनानी होगी। इस योजना की सफलता अधिकांश में दो बातों पर निर्भर करेगी---टेकनिकल योग्यता प्राप्त कार्यकुशल कर्मचारियों पर तथा समाज के प्रति नागरिकों की सहर्ष कर्तव्य पालन की इच्छा पर। इसलिये यह आवश्यक है कि आज के प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक का ऐसे उपयोगी "सामाजिक केन्द्रों" में बदल दिया जाय जिनमें विद्यार्थी नियमित पाठों को कंठ करने की जगह इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकें जो उनकी संस्कृति और परम्परा तथा उनके आर्थिक साधन एवं भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

इस नई योजना के अनुसार सामान्यतः गांवों के सभी प्रारम्भिक बेसिक जूनियर हाई स्कूलों एवं कतिपय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पाने वालों को कृषि की शिक्षा दी जायगी। जूनियर हाई स्कूलों में विशेषतः नगर के जूनियर हाई स्कूलों में उद्योग की शिक्षा भी दी जायगी जिससे छात्र इन स्कूलों से निकल कर या तो छोटे मोटे शिल्पकार बन सकें अथवा बहुपार्श्वीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जाकर उद्योगों की अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त इस योजना के अनुसार प्रदेश के टेकनिकल स्कूलों में उद्योग तथा कौशल की शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को सामान्य बौद्धिक शिक्षा भी प्रदान की जायगी।

२---पुनर्व्यवस्था

यह प्रस्तावित पुनर्व्यवस्था हमारे प्रदेश की शिक्षा के तीन मुख्य भागों---प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा---से संबंध रखती हैं।

(अ) प्रारम्भिक स्कूल प्रदेश के समस्त ३०,००० प्राथमिक स्कूलों में से प्रत्येक को पांच एकड़ भूमि दी जायगी। इस खेत में स्कूल के अध्यापक और वे विद्यार्थी कार्य करेंगे जिनकी अवस्था ९ वर्ष से अधिक होगी। खेत में जो कुछ पैदा होगा उसे शिक्षक और विद्यार्थी उसी तरह आपस में बांट कर उपयोग करेंगे जिस प्रकार गांव का सम्मिलित कुटुम्ब करता है। इन स्कूलों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जायगी जिससे ये ऐसी उपयोगी वस्तुयें भी बना सकें जो स्थानीय बाजार में बिक सकें। पुराने स्कूलों को इस प्रकार के नए स्कूलों में परिवर्तित करने में कुल व्यय ११.२५ करोड़ रुपये अनावर्त्तक तथा ३.७ करोड़ रुपये आवर्त्तक होगा। यह व्यय वर्त्तमान ४ करोड़ रुपये के आवर्त्तक व्यय के अतिरिक्त है।

इस प्रस्तावित योजना के अनुसार प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा की पुनर्व्यवस्था करने पर इन स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन करने के अतिरिक्त उनके पाठ्यक्रम और टाइम टेबुल में भी संशोधन तथा परिवर्तन करना होगा। ९ वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी स्कूल का आधा समय खेती के व्यावहारिक कार्य में व्यतीत करेंगे। कार्य आरम्भ करने के पहले अध्यापकों की प्रशिक्षा का सुचारु प्रबन्ध किया जायगा। इस योजना की सफलता के लिये जनता के सहयोग की बड़ी आवश्यकता होगी। अतः इन स्कूलों के लिये एक सलाहकार समिति बनाने का निश्चय किया गया है जिसमें गांव की सभा के सभापति, गांव के मुखिया, गांव पंचायत के सरपंच और स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे। इनका गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों को "कोआप्ट" करने का अधिकार होगा।

(ब) जूनियर हाई स्कूल

नई योजना के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों को उपयोगी तथा प्रभावपर्ण सामाजिक केन्द्रों में परिवर्तित करना है जिससे वे अपने पास-पड़ोस की जनता की सेवा कर सकें। साधारणतः २५–३० गांवों के बीच में एक जूनियर हाई स्कूल होता है।

नवीन स्कूलों में कृषि की शिक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित चार प्रकार का कार्य होगा––

१––कृषि––कृषि के क्षेत्र में स्कूलों का कार्य निम्नांकित है :

(अ) बीजों का संग्रह और वितरण।

(ब) यंत्रों का वितरण।

(स) छोटे पौदों तथा बेहन के वितरण के लिये पौधघरों का निर्माण।

(द) गांवों के पथ-प्रदर्शन एवं लाभ के लिये फार्मों का आदर्श फार्मों के रूप में परिवर्तन।

(इ) समुन्नत कृषि प्रणालियों का प्रचार और प्रसार।

२––जनहित के कार्य––(अ) सामूहिक स्वास्थ्य और स्वच्छता।

(ब) गांव की सफाई।

३––कुटीर उद्योग––(अ) एक या अधिक हस्त कौशलों में विशेष दक्षता।

(ब) निर्मित वस्तुओं का विक्रय।

४––सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा––(अ) अभिनय, लोक कला तथा तथा लोक संगीत।

(क) त्यौहारों के अवसर पर मनोरंजन तथा संगठित खेलकूद का कार्यक्रम।

(ख) प्रदर्शिनियों का सामयिक आयोजन।

यह स्पष्ट है कि इस नई योजना की सफलता स्थानीय जनता के उत्साह एवं सहयोग पर अवलम्बित है। यह भी सत्य है कि आज गांवों में एक नये प्रकार के नेतृत्व के निर्माण की आवश्यकता है। यह कार्य नवीन जूनियर हाई स्कूलों के प्रसार द्वारा अधिक सम्भव है। यदि ये स्कूल स्थानीय जनता की सेवा का ध्येय लेकर अग्रसर हों तो निश्चय ही वे जनता के अधिकाधिक सहयोग की आशा कर सकते हैं।

यदि हमारे अध्यापक प्राणप्रण से इन योजनाओं को सफल करने में लग जायें तो अपने स्तर को ऊंचा उठाने की उनकी महत्वाकांक्षा भी पूरी हो सकेगी। इस प्रकार स्कूल सामाजिक विकास के केन्द्र हो सकेंगे।

अतः इस योजना के आधार पर चलने वाली ३,००० शिक्षा संस्थाओं में से प्रत्येक को १० एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव है। अनुमान है ५, ६ अध्यापक तथा १०० विद्यार्थी इस १० एकड़ भूमि को जोत कर उपयोगी बना सकेंगे जिससे इन शिक्षा संस्थाओं को निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मिल जायेगी। ऐसी अवस्था में शिक्षा की पुनर्व्यवस्था के लिये प्रत्येक दिशा में परिवर्तन की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम में सुधार की अपेक्षा होगी, कृषि एक अनिवार्य विषय होगा और स्कूल के साधारण कार्यक्रम के अतिरिक्त नित्य ६ घंटे कृषि के शास्त्रीय ज्ञान तथा १२० मिनट क्रियात्मक अथवा व्यावहारिक कार्य के लिये निश्चित होंगे। ग्रामोपयोगी शिक्षा जैसे वैकल्पिक विषय भी कृषि के अन्तर्गत ही पढ़ाये जायेंगे। वर्तमान पाठ्यक्रम में समुचित सुधार करके उसमें पशुपालन, ग्रामीण अर्थशास्त्र, सहकारिता तथा प्रसार प्रणालियों के सामान्य ज्ञान को भी सम्मिलित किया जायेगा। इन स्कूलों में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अनेक उद्योगों में से किसी एक में विशेष दक्षता प्राप्त करने के लिये ३ वर्ष के प्रशिक्षण कोर्स की भी व्यवस्था होगी। स्कूलों में जो अवकाश दिये जाते हैं उनमें इस प्रकार परिवर्तन किया जायेगा जिससे कि अध्यापक तथा विद्यार्थी बोआई और कटाई के अवसरों पर आवश्यकतानुसार अपना सम्पूर्ण समय कृषि के काम में लगा सकें।

जूनियर हाई स्कूलों का साप्ताहिक कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि विद्यार्थी तथा अध्यापक अपने समय का लगभग आधा भाग सरलतापूर्वक कृषि-कार्य में लगा सकें। आशा की जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक दो घंटे प्रतिदिन कृषि का कार्य करेगा। इन शिक्षा संस्थाओं की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इन्हें सभी प्रकार से सक्षम बनाने का विचार है। कृषि शिक्षण का उद्देश्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे योग्य अध्यापकों का प्रबन्ध न कर लिया जाय जो विद्यार्थियों को इस अनिवार्य विषय का शास्त्रीय ज्ञान देकर फिर उन्हें फार्म पर ले जाकर विषय की सफल व्यावहारिक शिक्षा भी दे सकें। शिक्षा की इस नई योजना की सफलता वास्तव में अध्यापक के दृष्टिकोण, उसकी निष्ठा, उसके आत्मबल तथा कार्यकुशलता पर निर्भर है।

अतः यह परमावश्यक है कि इस कार्य के लिये अध्यापकों के चुनाव में पूरी सावधानी रक्खी जाय और साथ ही उनके प्रशिक्षण का भी सुचारु प्रबन्ध किया जाय। इस योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से इन शिक्षा संस्थाओं में जुलाई, सन् १९५४ से कृषि शिक्षा प्राप्त ५०० ग्रेजुएटों, कृषि में डिप्लोमा प्राप्त ५,००० व्यक्तियों तथा इस प्रदेश के जे० टी० सी० कालेजों तथा अन्य संस्थाओं के प्रशिक्षित १,००० अध्यापकों तथा २०० हस्तकौशल के अध्यापकों अर्थात् कुल ३,२०० अध्यापकों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की जा रही है। वे अध्यापक फार्मों पर चलने वाली विविध कार्य पद्धतियों के निरीक्षण का कार्य करेंगे, कृषि की समुन्नत प्रणालियों की शिक्षा देंगे और उत्पादित वस्तुओं के विक्रय में सहायता करेंगे। वे कृषि के विषय में अपने पोषक (फीडर) प्राइमरी स्कूल का भी पथ-प्रदर्शन करेंगे। इन संस्थाओं में नियुक्त दस्तकारी के अध्यापक, विद्यार्थियों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार चुने हुये उद्योगों में ३ वर्ष तक शिक्षा देकर उन्हें दक्ष बनायेंगे जिससे कि जूनियर हाई स्कूल के निकले हुये विद्यार्थी छोटे-मोटे कुटीर उद्योग चला सकें। इस योजना के अन्तर्गत जिस प्रकार के जूनियर हाई स्कूलों की कल्पना की गई है उन्हें चलाने के लिये जनता के

सहयोग की अत्याधिक आवश्यकता है। अस्तु, यह प्रस्तावित किया गया है कि इन शिक्षा संस्थाओं के संचालक के लिये एक ऐसी सक्षम सलाहकार समिति का निर्माण किया जाय जिसे स्थानीय नेताओं, पंचायत विकास तथा सहकारी समितियों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। इस समिति के सेक्रेटरीज स्थानीय प्रधानाध्यापक होंगे। ये समितियां प्राइमरी पाठशाला परिषद् तथा जिला समिति के बीच की संबंध शृंखला होंगी जो कि दोनों से सम्पर्क बनाये रहेंगी।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की पुनर्व्यवस्था में वर्तमान विद्यालयों में जहां एक टेकनिक शिक्षा को अधिक महात्वपूर्ण स्थान देना होगा वहां दूसरी ओर आज के टेकनिकल स्कूलों में सामाजिक शिक्षा का भी विशेष प्रबन्ध किया जायेगा। नवीन योजना का उद्देश्य आज के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का बहुपार्श्वीय संस्थाओं में परिणित करने का है। इस नवीन योजना के अन्तर्गत चार पोलीटेकनिकल संस्थायें खोलने का भी प्रस्ताव है। पाठ्यक्रम जहां तक कृषि और हस्तकौशल के शास्त्रीय ज्ञान का संबंध है उक्त दोनों प्रकार की शिक्षा के पाठ्यक्रम में किसी तात्विक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु पशुपालन, दुग्धशाला, कृषि प्रसार योजना, सामाजिक विकास प्रणालियों तथा ग्रामीण मनोरंजन संबंधी विषय जोड़ दिये जायेंगे। जनस्वास्थ्य के विषय को भी इस पाठ्यक्रम में स्थान देना आवश्यक होगा। वास्तव में आज प्रत्येक विद्यार्थी के लिये उसके पाठ्यक्रम में ५० घंटा के सामुदायिक कार्यों की व्यवस्था हो चुकी है। फिर भी कृषि कार्य के क्रियात्मक ज्ञान के लिये अधिक समय की व्यवस्था करनी होगी। स्कूलों में विभिन्न उद्योग-धंधों की शिक्षा की व्यवस्था वहीं की स्थानीय योग्यता के अनुसार होगी। बौद्धिक शिक्षा की अपेक्षा औद्योगिक शिक्षा के बढ़ते हुये महत्व को देख कर उसी के अनुरूप शिक्षा संस्थाओं में चलने वाले कार्य का समय विभाजन भी फिर से करना पड़ेगा। इसी प्रकार ज्योंही शिक्षा योजना कार्यान्वित होगी त्योंही वर्तमान पाठ्य पुस्तकों को भी बदलना पड़ेगा।

नार्मल स्कूलों का नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरण

नार्मल स्कूलों का उद्देश्य ग्रामीण पाठशालाओं के लिये शिक्षक तैयार करना है। अतः उन्हें स्वभावतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थित भी होना चाहिये। कृषि के अत्याधिक महत्व को देखते हुये यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि भूमि उपलब्ध होते ही नार्मल स्कूलों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया जाय। धीरे-धीरे यह स्कूल शिक्षण केन्द्र के साथ-साथ उत्पादन केन्द्र का रूप भी धारण कर लेंगे और ग्रामीण नेतृत्व के निर्माण में विशेष रूप से सहायक हो सकेंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।

राजकीय शिक्षा परिषद् तथा स्कूल समिति

यह निश्चय है कि जनता के समुचित सहयोग के अभाव में शिक्षा की यह पुनर्व्यवस्था योजना सफल नहीं हो सकती। इस योजना के लिये सब से पहले भूमि की आवश्यकता होगी, जहां भूमि मिल जायेगी वहां योजना तीव्रगति से चल पड़ेगी। जिन उद्देश्यों से आज के स्कूलों के स्वरूप में परिवर्तन करने का विचार किया गया है जनता को उनसे पूर्णतः परिचित करना आवश्यक है। अतः स्कूलों के लिये जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्कूल में एक परिषद् होगी, जिसके सदस्य गांव के सभापति तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति होंगे जो

कि स्कूल की उन्नति और हित साधन में पूरी दिलचस्पी रखते हों, स्थानीय अध्यापक इस समिति का सचिव होगा। जूनियर हाई स्कूलों में भी एक परिषद् होगी जिसके सदस्यों की संख्या अधिक होगी। इस परिषद् का सम्बन्ध प्राइमरी स्कूल परिषद् से होगा। इसके अतिरिक्त एक जिला परिषद् भी होगी जिनमें कि स्थानीय एम० एल० ए० भी सम्मिलित होंगे, इस परिषद् के सेक्रेटरी, जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे। इन सब के ऊपर प्रान्तीय स्तर पर एक दूसरी राजकीय शिक्षा परिषद् होगी।

योजना की अर्थ व्यवस्था

शिक्षा की इस पुनर्व्यवस्था योजना के सम्पूर्ण आवर्त्तक व्यय का भार वहन कर सकना वास्तव में शासन की शक्ति के बाहर है किन्तु फिर भी इस योजना की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये शासन इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये उत्सुक है और आशा करता है कि स्थानीय जनता अपने धन और श्रम दोनों ही से उसे कार्यान्वित करने में कोई कसर उठा नहीं रखेगी। इस योजना के लाभ प्रत्यक्ष हैं।

(अ) यह योजना प्रत्येक स्तर पर उत्पादक है और इस पुनर्व्यवस्था से स्कूलों के लिये एक ठोस आय की निश्चित आशा की जाती है। इस आय से एक ओर अध्यापकों को बोनस मिलेगा और दूसरी ओर विद्यार्थियों को भी इतना आर्थिक लाभ होगा जिससे उनकी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की विभिन्न कक्षाओं की फीस, पाठ्य पुस्तकों का मूल्य तथा मध्याह्न के भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। प्राइमरी, जूनियर और नार्मल स्कूलों से कुल आय लगभग २० लाख रुपये होगी। उद्योगों और दस्तकारियों से २ लाख की आय होगी।

(ब) यह योजना आधुनिक शिक्षा के नवीनतम सिद्धान्तों पर आधारित है। फिर भी आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। सन् १९३९ में बर्धा कमेटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि प्राइमरी स्कूलों की संपूर्ण शिक्षा किसी न किसी उद्योग के अध्ययन द्वारा होनी चाहिये और इस शिक्षा की आधारिकता स्वावलम्बी होनी चाहिये। प्रथम और द्वितीय आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात को अत्यधिक महत्व दिया गया है कि प्राइमरी कक्षाओं की सम्पूर्ण शिक्षा विभिन्न दस्तकारियों के माध्यम से दी जाय और जहां तक सम्भव हो साधारणतः दूसरे स्कूलों में कृषि और औद्योगिक तथा टेकनिकल पाठ्यक्रम की उचित व्यवस्था की जाय। इस योजना में इन समितियों तथा अन्य विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बात की आशंका नहीं होनी चाहिये कि इस शिक्षा योजना से बौद्धिक स्तर गिरेगा। वास्तव में विशेषज्ञों का अनुमान तो यह है कि इस योजना से छात्रों का बौद्धिक स्तर और अधिक ऊंचा उठेगा क्योंकि यहां शिक्षा का जीवन से सीधा संबंध स्थापित हो जायेगा और हाथ का काम सम्पूर्ण शिक्षा का साधन बन जायेगा।

(स) यह योजना शिक्षितों की बेकारी दूर करने के एक सामयिक प्रयास से अधिक महत्व की वस्तु है। सब को पूर्ण रूप से काम देने की शासन की निश्चित नीति की यह एक अंग है। उपभोग और अवकाश दोनों ही दृष्टियों से बेकारी की समस्या का समाधान आवश्यक है। यदि बेकारी दूर करने की किसी योजना से उत्पादन और क्रियाशीलता नहीं बढ़ती तो यह अपने उद्देश्य में असफल ही समझी जावेगी। इस दिशा में यह नवीन योजना एक ऐसे क्रियाशील समाज का निर्माण करती है जिससे इन लक्ष्यों की वास्तविक पूर्ति होती है और बेकारी की समस्या हल हो जाती है। सर्वप्रथम यह उत्पादन में वृद्धि करती है जिसका मूल्य दो करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य यह है कि जूनियर हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों

से प्रति वर्ष २० से २५ हजार तक की संख्या में ऐसे विद्यार्थी निकलें जो खेती और दस्तकारियों में दक्षता प्राप्त करके कुशल कृषक अथवा व्यवसायी का जीवन व्यतीत कर सकें। इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं से लगभग ५,००० विद्यार्थी ऐसे भी निकलेंगे जो प्रतिवर्ष उद्योगों की उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् माध्यमिक उच्चतर विद्यालयों में चले जायेंगे।

(द) शिक्षितवर्ग गांव से नगर की ओर पलायन का जो क्रम आज निरन्तर जारी है और जिसके कारण देहातों में दरिद्रता बढ़ रही है, यह भी इस योजना के कारण रुक जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि इस पलायन से देहातों के जीवन की प्रगति को बड़ा धक्का लगा है और सुखी, सांस्कृतिक ग्रामीण जीवन की कल्पना तब तक स्वप्नवत है जब तक यह पलायन रुक न जाय। हमारा शासन विशेष अवसरों पर सदैव अपने गांवों में सुरक्षित जनशक्ति का मुखापेक्षी रहा है। अस्तु, कोई आश्चर्य नहीं है कि यदि गांवों से शहरों की ओर भागने का यह क्रम न रुका तो एक दिन उसे आशातीत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस योजना से निश्चय ही शिक्षित जनसमूह का एक बहुत बड़ा भाग गांवों में ही रह जायगा।

(इ) इस पुनर्व्यवस्था के कुछ लाभ विद्यार्थी वर्ग के लिये भी विशेष महत्व रखते हैं। शिक्षा-संस्थाओं में आज जो अनुशासनहीनता सर्वत्र दिखाई दे रही है, उसमें भी निश्चित रूप से सुधार होगा। भूमि और उद्योग मनुष्य का अनुशासन और स्थिरता प्रदान करने में सदैव सहायक रहे हैं। पूरे समय तक रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विद्यार्थियों के पथभ्रष्ट होने अथवा उद्वेग पूर्ण कार्यों में संलग्न होने की आशंका नहीं रहेगी। इससे समाज में हाथ से काम करने की महत्ता और सर्वमान्यता बढ़ेगी। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से इस योजना के प्रसार से सामाजिक स्तर के उन्नयन में निश्चित सहायता मिलेगी।

(ई) इस योजना से बेसिक स्कूल की समस्या हल करने में भी पर्याप्त सहायता मिलेगी। इस प्रदेश के शासन ने सन् १९३८–३९ में ही बेसिक शिक्षा का श्रीगणेश किया था। इसको सफल बनाने के लिये शासन ने स्कूलों को आवश्यक सामग्री देने, अध्यापकों के प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण तथा शिक्षा का "उद्योग केन्द्रित" बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। उस समय शासन का विचार था कि शिक्षा के सिद्धान्त को उत्पादन संबंधी सिद्धान्तों के अधीन न किया जाय और बेसिक शिक्षा को पूर्णतः अथवा अंशतः किसी रूप में भी स्वावलम्बी बनाने की कल्पना अव्यावहारिक समझ कर छोड़ दी जाय। आज इस प्रदेश के शासन का यह विश्वास है कि अपेक्षाकृत कई गुना अधिक द्रव्य व्यय किये बिना बेसिक शिक्षा में सुधार कर सकना सम्भव नहीं है। "सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड" ने अध्यापकों के लिये जिस वेतन-क्रम की सिफारिश की है उसे तथा स्कूल के लिये आवश्यक सामग्री और अतिरिक्त वार्षिक व्यय को ध्यान में रखते हुये यदि इस प्रदेश के ८० लाख बच्चों को बेसिक शिक्षा देने का आयोजन किया जाय तो इस शिक्षा पर ४० करोड़ रुपये से कम व्यय नहीं होगा। एक ही योजना पर इतना अधिक व्यय शासन के लिये सम्भव नहीं है। इस योजना के अनुसार जो छोटे-छोटे फार्म प्रत्येक स्कूल को उपलब्ध होंगे, उनसे न केवल अध्यापकों को ही आर्थिक सहायता मिलेगी, अपितु इन संस्थाओं में हस्तकौशल की शिक्षा के लिये अपेक्षित कोष की भी व्यवस्था हो जायेगी। इस प्रदेश ने शिक्षा में समन्वय के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया है और उसे कार्यान्वित भी किया है। जहां तक सम्भव है, शिक्षा दस्तकारी के माध्यम से दी जाती है। किन्तु पर्याप्त साधनों के अभाव में स्वभावतः इस कार्य के स्तर में भी अवनति हुई है। नवीन योजना के कार्यान्वित होने पर इस दिशा में भी सुधार हो जायगा।

(उ) पंचवर्षीय योजना में जनशक्ति के समुचित उपयोग का जो लक्ष्य रखा गया है उस पर भी इस योजना में भांति-भांति विचार किया गया है। शिक्षा की प्रत्येक कक्षा की पाठ्य पुस्तक के पुनर्निर्धारण में राष्ट्रीय विकास एवं प्रसार योजनाओं की मांगों का पूरा ध्यान रखा गया है। पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देकर विभिन्न उद्योग धंधों की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से सद्विषयक शिक्षण के लिये इस योजना में सुविधा प्रदान की गई है।

यद्यपि निश्चित आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण राष्ट्रीय प्रसार योजना की मांगों के संबंध में ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता और इस योजना के संचालन के लिये अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगा सकना कठिन है। तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जनशक्ति के उपयोग की दिशा में यह योजना अवश्य ही राष्ट्रीय विकास योजना को सहायता प्रदान करती है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३८ एल० ए०—१९५४—८५० ।